खण्ड-428, अंक-4
शुक्रवार, 23 माघ, शक संवत् 1920
(12 फरवरी, 1999 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1999)

खण्ड 428 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1999

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	2–85
जनपद महराजगंज के ग्राम पचरुखिया में हुये गोलीकाण्ड की जांच कराने की मांग ...	85–97
डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा भीम प्रसाद सोनकर को सदन त्याग करने हेतु मा० अध्यक्ष का निर्देश (जारी)	97
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	97–98
मेरठ के ग्राम मामेपुर विकास खण्ड रजपुरा में अल्पसंख्यकों द्वारा सार्वजनिक मार्ग में गाड़ी गई कब्रों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
गढ़वाल एवं जिला मुख्यालय पौड़ी में रासी खेलकूद स्टेडियम के विस्तार के प्राक्कलन को स्वीकृत कर निर्माण को पूर्ण कराने के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98
तहसील कार्यालय मऊ जिला चित्रकूट में एक व्यक्ति की हत्या से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	98–99
जनपद कुशीनगर के गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में हो रही असुविधा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद बागपत में बरनाला से दाहा तथा बिनौली से अमीरनगर सराय मार्गों का नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99–100
जनपद मथुरा के गोबर्धन क्षेत्रान्तर्गत कस्बा ओल में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
जनपद पौड़ी गढ़वाल नगर पालिका परिषद् कोटद्वार अन्तर्गत नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने की नीति से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100–101
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	101
विधान सभा के तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण - (सदन के पटल पर रखा गया) ...	101
यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1995-96 का उन्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	101
लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988–89 (सदन के पटल पर रखा गया)	101
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1993–94 (सदन के पटल पर रखा गया)	102

विषय	पृष्ठ संख्या
संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	102
यू०पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबबेल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1996–97... (सदन के पटल पर रखा गया)	102–103
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें..	103
प्रदेश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये कन्टीनेन्टल ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महराजनगर को शीघ्र चालू कराये जाने से सम्बन्धित श्री ददूदू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन ...	103
आगरा में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु यमुना नदी पर बैराज एवं वीयर बनाने के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन ...	103
उत्तरांचल क्षेत्र में पानी से चलने वाले घाटों (पनचक्कियों) के लघु उद्योग घोषित कर उनके समुचित विकास की त्वरित कार्यवाही के संबंध में श्री लाखीराम जोशी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन	103
राज्याधीन सेवाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु समयबद्ध एवं स्पष्ट नीति बनाने के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन	103
प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह, द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन	103
उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद् स्तर पर उद्योग धन्धों की स्थापना के सम्बन्ध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय, द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन	104
वित्तीय वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान ...	104
अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग ...(स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या 02–आवास विभाग ...(स्वीकृत)	104
अनुदान संख्या 03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) ...(स्वीकृत) ...	104
अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज) ...(स्वीकृत) ...	105
अनुदान संख्या 05–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) ...(स्वीकृत) ...	105
अनुदान संख्या 06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) ...(स्वीकृत) ...	105
अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) ...(स्वीकृत) ...	105
अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग ...(स्वीकृत)...	106
अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत)...	106
अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	106

विषय			पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत)	...		106
अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत)	...		107
अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत)	...		107
अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत)	...		107
अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) (स्वीकृत)	...		107
अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	...		108
अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	...		108
अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) (स्वीकृत)	...		108
अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग (स्वीकृत)	...	...	108
अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	...	...	109
अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत)	...		109
अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (स्वीकृत)	...	...	109
अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	...	...	110
अनुदान संख्या 28–गृह विकास विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)			110
अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत)	...		110
अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत)	...		110
अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...		111
अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) (स्वीकृत)	...		111
अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)	...		111
अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	...		112
अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	112
अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	...	...	112
अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग (स्वीकृत)	...	...	112
अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग (स्वीकृत)	...	...	113
अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	...	...	113
अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग (स्वीकृत)	...	...	113
अनुदान संख्या 43–नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...	113
अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	...	...	114
अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	...	...	114
अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	...	...	114
अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत)	...		114

विषय				पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...			...	115
अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) (स्वीकृत) ...				115
अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...				115
अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (स्वीकृत) ...			...	115
अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत) ...				116
अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) (स्वीकृत) ...				116
अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ...				116
अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...				116
अनुदान संख्या 60–वन विभाग (स्वीकृत) ...	...		...	17
अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा अथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...				117
अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) (स्वीकृत) ...				117
अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...				117
अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा अल्प बचत आदि) (स्वीकृत) ...				118
अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...			...	118
अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत) ...			...	118
अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग (स्वीकृत) ...			...	118
अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...			...	119
अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...			...	119
अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) (स्वीकृत) ...			...	119
अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) (स्वीकृत) ...			...	120
अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत) ...			...	120
अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ...			...	120
अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत) ...			...	120
अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत) ...			...	121
अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत) ...			...	121
अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग (स्वीकृत) ...			...	121
अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग (स्वीकृत) ...			...	121
अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...				122

विषय				पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत)	...			122
अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)	...			122
अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत)	...			122
अनुदान संख्या 92–संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	...	...		123
अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) (स्वीकृत)	...	...		123
अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	...	...		123
अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग (स्वीकृत)	...	...		124
उत्तर प्रदेश विनियोग (1998–99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 (पारित)		...		124–133
डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर को सदन त्याग करने का श्री अध्यक्ष का निर्देश		...	...	133
डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)			...	133
श्री जोखूलाल यादव को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	134–135
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	135–136
नत्थियां ...	...	...	...	137–148

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 1999

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर
अजय राय, श्री	वाराणसी	चन्द्र नाथ सिंह, श्री	प्रतापगढ़
अजित कुमार मेहरोत्रा, श्री	सीतापुर	चन्द्रपाल सिंह यादव, श्री	झांसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
अनिल कुमार, श्री	बलिया	छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर	छोटे लाल वर्मा, डा०	महोबा
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती	जगपाल, श्री	सहारनपुर
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़	जटा शंकर, श्री	बहराइच
अमर मणि, श्री	महराजगंज	जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	जय नारायन तिवारी, श्री	सुल्तानपुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली	तेजभान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
अशोक कुमार, श्री	जौनपुर	तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना	दिलीप कुमार, श्री	बहराइच
आलमबदी, श्री	आजमगढ़	दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद	दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर	दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव	देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी	परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	प्रेमपाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
ओम प्रकाश, श्री	एटा	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर	बिजेन्द्र आर्य, श्री	मुजफ्फरनगर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	भरत सिंह, श्री	बलिया
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी	भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
कंवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर	भोनू, श्री	गाजीपुर
काशिम हसन, श्री	फतेहपुर	महराज सिंह यादव, श्री	इटावा
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
कृष्णपाल सिंह, श्री	कानपुर देहात	मानिक चन्द्र यादव, श्री	मैनपुरी
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	ऊधमसिंह नगर	माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
कैलाश, श्री	गाजीपुर	मुख्तार अन्सारी, श्री	मऊ
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	फर्रुखाबाद	मुराद लारी, श्री	देवरिया

मुस्तार सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
मुस्लिम, डा०	रायबरेली
मूल चन्द्र, श्री	बिजनौर
मोती लाल, श्री	खीरी
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेन्द्र सिंह सेंगर, श्री	देवरिया
रंगनाथ मिश्र, श्री	भदोही
रंग बहादुर पटेल, श्री	इलाहाबाद
राजधारी, श्री	बलिया
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	पडरौना
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री	मिर्जापुर
राम चन्दर यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश रावत, श्री	गाजियाबाद
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्यारे सिंह, श्री	आजमगढ़
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिफाकत हुसैन चौधरी, श्री	मुरादाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लालमणि प्रसाद, श्री	बस्ती
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, श्री	गोण्डा
विभूति प्रसाद निषाद, श्री	आजमगढ़
विरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
विश्वनाथ, श्री	पडरौना
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजय सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सन्दीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सिंहासन सिंह, श्री	गाजीपुर
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री	ऊधमसिंह नगर
सूर्य भान सिंह, श्री	सुल्तानपुर
सौलत अली, एडवोकेट,	मुरादाबाद
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 1999

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरीनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

व्यवस्था का प्रश्न उठाए जाने का प्रयास

* श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, कल महराजगंज की घटना के बारे में यहां चर्चा हुई । पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की शान्तिपूर्ण ढंग से जनता की समस्याओं को लेकर, इस जालिम सरकार की असफलताओं और निकम्मेपन के कारण, किसान विरोधी नीतियों के कारण, अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों के कारण तथा महंगाई के विरोध में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक सफल और शांतिमय ढंग से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 फरवरी से जेल भरों आन्दोलन चल रहा है और आज अन्तिम दिन है । मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि इतने शान्तिपूर्ण ढंग से यह आन्दोलन चल रहा था परन्तु इसको दबाने के लिये.....

श्री अध्यक्ष–

क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अवधेश प्रसाद–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप मेरा ज्ञानवर्धन करें । आप व्यवस्था का प्रश्न किन-किन मुद्दों पर उठा रहे हैं । जो आप बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) पर प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रश्न संख्या–1 (अल्पसूचित तारांकित प्रश्न) का उत्तर पढ़ना शुरू किया किन्तु समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें । जो कहा जा रहा है वह समाचार-पत्रों में नहीं लिखा जायेगा । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें । आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी यह नहीं आयेगा । सदन का दुरुपयोग किया जा रहा है । कृपया आप लोग स्थान ग्रहण करें । सदन की कार्यवाही कार्यसूची के हिसाब से चलने दीजिये । हर बात को उठाने का एक अवसर होता है । उस समय आप उठाइये । यह नहीं लिखा जायेगा ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य वेल में आ गये और जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(सदन के फ्लोर पर खड़े होकर सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । देखिये यह सदन सिर्फ आपका ही नहीं है । यह जितने निर्वाचित सदस्य हैं, उन सबका है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

एक सदस्य–

यहां हमारी बात नहीं सुनी जायेगी तो हम अपनी बात कहने कहां जायेंगे । आज पूरे प्रदेश में तमाम हत्याएं हो रही हैं ।

समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्यायें हो रही हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(हम लोग कल से मांग कर रहे हैं । जब तक उनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिलती है हम लोग शान्त नहीं बैठेंगे । सदन में नारे लगाये जाने लगे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही को 12.00 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(11 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजे डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा जनता को राहत पहुंचाने के लिये प्रत्येक सोमवार को जनता की "समस्या समाधान दिवस" घोषित करने का मामला

** श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाल में सरकार द्वारा जनता को राहत पहुंचाने के लिये प्रत्येक सोमवार को जनता की "समस्या समाधान दिवस" के रूप में घोषित किये जाने के प्राविधान का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में सामान्य प्रवेश प्रतिबन्धित होने के कारण से आम व्यक्तियों के लिये "समस्या समाधान दिवस" का औचित्य नहीं रह गया है ? क्या सरकार उपरोक्त व्यवस्था को जनहित में प्रवर्तित किये जाने हेतु प्रत्येक सोमवार को जनता को सामान्य प्रवेश दिलाये जाने का प्राविधान भी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कल्याण सिंह)–

सरकार द्वारा प्रत्येक सोमवार को जनता की "समस्या समाधान दिवस" के रूप में घोषित किये जाने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है, अपितु शासकीय कार्यालयों में एक नई कार्य संस्कृति के सूत्रपात

** उ०प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

के उद्देश्य से सोमवार को कोई भी बैठक सचिवालय, निदेशालय तथा अन्य कार्यालयों में आयोजित न किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता बनी रहे और जन साधारण के कार्यों का त्वरित निस्तारण सम्भव हो सके।

उ० प्र० सचिवालय में सामान्य प्रवेश पत्र पर कोई प्रतिबन्ध निरूपित नहीं है। शासकीय कार्यों के सुचारू सम्पादन के लिए गैर सरकारी आगन्तुकों की अपरान्ह में 3 बजे से 5 बजे तक के प्रवेश पत्र जारी किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति प्रदेश में भी कर्मचारियों की आयु सेवा निवृत्ति 60 वर्ष करने की मांग

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी, डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति प्रदेश में भी राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 60 वर्ष करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कल्याण सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बलरामपुर, के उतरौला कस्बे के निकट नगर पालिका द्वारा गांधी प्रतिमा तोड़ कर अवैध दुकानों के निर्माण को रोकने का मामला

*1–श्री उबैदुरहमान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला कस्बे के निकट जनपद बलरामपुर में नगर पालिका द्वारा गांधी प्रतिमा तोड़ दी गयी एवं उस गांधी पार्क में नगर पालिका अवैध रूप से दुकानों का निर्माण करा रही है ? क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण रोकेगी तथा उस पार्क में पुनः गांधी जी की प्रतिमा स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त भूखण्ड पर कभी भी गांधी जी की प्रतिमा स्थापित नहीं थी।

प्रश्नगत भूखण्ड पर सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का निर्णय लिया गया। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–2707/98–श्री तौसीफ अहमद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में स्थगनादेश पारित होने के फलस्वरूप मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है।

*2–श्री विजय सिंह–

[2रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

मेरठ स्थित पशुवधशाला (कमेले) को हटाये जाने का मामला

*3–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि मेरठ स्थित पशुवधशाला (कमेले) में लाइसेंस से निर्धारित संख्या से सैकड़ों गुना अधिक पशुओं का वध हो रहा है ? क्या यह सही है कि दिल्ली/हापुड़ से भी हड्डी मांस लाकर चर्बी पकाने का काम अवैधानिक तौर पर वहां हो रहा है जिससे बदबू से वहां की जनता कष्ट में है ? क्या वहां जन स्वास्थ्य तथा व्यवस्था को गम्भीर खतरा बन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पशुवधशाला के लिये समुचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम, मेरठ की ओर से आधुनिक पशु वधशाला बनाने की कार्ययोजना भारत सरकार को प्रेषित है ।

तारांकित प्रश्न

टिहरी बांध परियोजना को पूरा करने तथा उससे होने वाली विद्युत उत्पादन क्षमता की जानकारी

*1–कुं० रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी बांध परियोजना कब तक पूरी होगी ? उससे कितनी विद्युत का उत्पादन होगा एवं कितने एकड़ सिंचाई होगी ? इसमें कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? प्रदेश सरकार का क्या हिस्सा होगा और कितनी धनराशि केन्द्र सरकार को देनी होगी ? क्या प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा दे दिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

टिहरी बांध हाइड्रो पावर काम्पलेक्स की स्थापना टिहरी हाइड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० (भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम) द्वारा की जा रही है । इसके अन्तर्गत प्रथम चरण की 1000 मेगावाट क्षमता का फलीभूतीकरण वर्ष 2002 तक लम्बित है ।

प्रथम चरण से औसतन 3568 मि० यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन आंकलित है । सिंचन क्षमता में 2.70 लाख की वृद्धि होगी । प्रथम चरण की अनुमानित लागत दिसम्बर 1997 के मूल्यांक पर कुल रु० 4962.43 करोड़ है । जिसमें द्वितीय चरण एवं कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के कतिपय आवश्यक कार्य भी सम्मिलित है । टिहरी बांध परियोजना की लागत में 20 प्रतिशत सिंचाई विभाग एवं 20 प्रतिशत विद्युत विभाग का हिस्सा है । साथ ही उपरोक्त आवश्यक कार्यों की लागत में सिंचाई विभाग का शून्य और विद्युत विभाग का 25 प्रतिशत अंश है । निर्धारित अंश के अनुसार धनराशि सरकार को देनी होगी ।

प्रदेश के विद्युत अंश के रूप में दिसम्बर 98 के अन्त तक रु० 181.92 करोड़ की धनराशि दी गई है ।

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[नियम 28(2) के अन्तर्गत निरस्त ।

जिला योजना पूर्वांचल विकास निधि/सांसद निधि से धन प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित ग्रामों के विद्युतीकरण का मामला

*3–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जिला योजना पूर्वांचल विकास निधि एवं सांसद निधि से भी धन प्राप्त होने पर ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाता

है ? यदि हां, तो क्या उक्त जिला योजना पूर्वांचल विकास निधि/सांसद निधि से धन प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित ग्रामों का विद्युतीकरण करने की कोई अवधि निर्धारित है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

अवधि पूर्व में निर्धारित नहीं थीं । अब निर्धारित कर दी गयी है ।

उपरोक्त निधियों से ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक धन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अधिकतम 10 माह की सीमा निर्धारित है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के 33 के०वी० तक के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के विभिन्न अवयवों की चार्जेबिल रिपेयरिंग कास्ट की दरों का विवरण

*4–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 33 के०वी० तक के क्षतिग्रस्त कापर बाउन्ड/एल्यूमिनियम बाउन्ड के विभिन्न अवयवों चार्जेबिल रिपेयरिंग कास्ट वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में क्या निर्धारित की गयी थी तथा वर्तमान में क्या निर्धारित की गयी हैं ? क्या यह सत्य है कि उच्च अधिकारियों द्वारा इसके निर्धारण में अनियमितताएं की गयी हैं ? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 7-4-98 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० रा० वि० प० के अन्तर्गत 33 के०वी० तक के क्षतिग्रस्त परिवर्तकों के विभिन्न अवयवों की चार्जेबिल रिपेयरिंग कास्ट की दरें निम्नानुसार हैं :–

क्र०सं०	विवरण	अवधि
1–	एल्युमिनियम बाउन्ड वितरण परिवर्तक	94–95, 95–96 तथा 96–97 (अक्टूबर 96 तक) संलग्नक ''क''–1 96–97 अक्टूबर 96 से आगे) तथा 97–98 संलग्नक ''ख''–1
2–	कापर बाउन्ड वितरण परि०	94–95, 95–96 तथा 96–97 (अक्टूबर 96 तक) संलग्नक ''क''–2, 96–97 अक्टूबर 96 से आगे) तथा 97–98 संलग्नक ''ख''–2
3–	33/22 के०वी० पावर परिवर्तक	94–95, 95–96 तथा 96–97 (फरवरी 97 तक) संलग्नक ''क''–3, 96–97 (फरवरी 97 से आगे) तथा 97–98 संलग्नक ''ख''–3

वर्तमान में निर्धारित विभिन्न अवयवों की रिपेयरिंग कास्ट संलग्नक ''ख'' के अनुसार है । †

दरों का निर्धारण खुली निविदाओं से प्राप्त दरों के अनुसार केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति द्वारा किया जाता है अतः अनियमिततायें होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, पत्र का निरीक्षण करने के उपरान्त इसमें निहित तथ्यों का आंकलन करने के पश्चात इन्हें निराधार पाया गया ।

† छापी नहीं गई ।

जौनपुर में बिजली की सप्लाई सुचारु रूप से किये जाने की मांग

*5–श्री अफजाल अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जौनपुर में बिजली की आवा-जाही से छोटे-छोटे उद्योग प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या एक समय सीमा के तहत बराबर विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विधान सभा क्षेत्र, जौनपुर के अन्तर्गत जौनपुर नगर एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र आते हैं । जौनपुर नगर को औसतन 20 घंटे प्रतिदिन एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 9-10 घंटे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जाती है । स्थानीय दोषों को यथासम्भव शीघ्रतिशीघ्र ठीक कर दिया जाता है । छोटे-छोटे उद्योगों के प्रभावित होने का कोई विशेष प्रकरण संज्ञान में नहीं है ।

निर्धारित विद्युत आपूर्ति कराने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कटिया कनेक्शनों को नियमित करने के कारण उपकेन्द्रों पर क्षमता से अधिक भार बढ़ जाने के फलस्वरूप उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की जा रही है ।

निम्नलिखित क्षमता के ट्रान्सफार्मरों की आवश्यकता है :–

क्र०सं०	परिवर्तकों की क्षमता	कटिया संयोजनों को नियमित करने के लिये परिवर्तकों की आवश्यकता
1–	25 केवीए	200
2–	63 केवीए	3758
3–	100 केवीए	1954
4–	160 केवीए	312
5–	250 केवीए	507
6–	400 केवीए	290

सभी ट्रान्सफार्मर की आपूर्ति मई, 1999 तक संभावित है ।

प्रदेश में अधिक क्षमता वाले ट्रान्सफार्मर लगाये जाने का मामला

*6–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कटिया कनेक्शनों को नियमित करने के कारण अतिरिक्त भार बढ़ जाने के फलस्वरूप ट्रांसफार्मर लगाने के विषय में प्रदेश स्तर पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? नयी परिस्थितियों में कितने और किस-किस क्षमता के ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है ? वह कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत कालोनी में 4 आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने लखनऊ में ही अपना निजी मकान बनवा रखा है ।

आवंटन निरस्त कर विक्रय हेतु विचार किया जायेगा ।

शीघ्र ही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० आवास विकास परिषद् में सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों की संख्या, वेतनमान तथा सम्पत्ति के ब्योरे की जानकारी

*7–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास विकास परिषद् में कुल कितने सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी हैं ? वे किस वेतनमान में हैं ? क्या उन्होंने सेवा में आने के तुरन्त बाद अपनी सम्पत्ति का ब्योरा दिया था ? क्या इस समय सरकार के पास उनकी सम्पत्ति का ब्योरा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इनकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् में वर्तमान समय में कुल 22 सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी नियमित रूप से कार्यरत हैं।

रु० 2000–3200 के वेतनमान में हैं।

जी हां।

जी हां, 21 सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारियों की सम्पत्ति का ब्योरा उपलब्ध है, शेष एक सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी का ब्योरा एक पक्ष के भीतर शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवास एवं विकास परिषद् को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–श्री अब्दुल मन्नान–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

रिवर बैंक कालोनी में स्थित मकानों/फ्लैट्स आवंटियों द्वारा अपने निजी आवास बना लेने के कारण सरकारी मकानों के आवंटन को निरस्त करने की शिकायत

*9–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी में स्थित मकानों/फ्लैट्स में रहने वाले कितने आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने लखनऊ में ही अपनी निजी मकान बनवा रखा है तथा उसके बावजूद लखनऊ नगर निगम की उक्त रिवर बैंक कालोनी के मकानों/फ्लैटों में रह रहे हैं ? क्या ऐसे आवंटियों का आवंटन निरस्त कर उन्हें जरूरतमन्द व्यक्तियों को आवंटित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत कालोनी में 4 आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने लखनऊ में ही अपना निजी मकान बनवा रखा है।

आवंटन निरस्त कर विक्रय हेतु विचार किया जायेगा।

शीघ्र ही।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में घाटे को पूरा करने की सरकार की घोषित ऊर्जा नीति

*10–श्री राजधारी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद में निरन्तर घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिये कोई कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? क्या राज्य विद्युत परिषद् को आयातित विद्युत की निर्भरता से मुक्ति दिलाकर आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में उत्पादन क्षमता बढ़ाने की कोई योजना भी सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उसे कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

राज्य विद्युत परिषद् के अधिकतर विद्युत गृह पुराने एवं अकुशल तकनीक पर आधारित हैं, जिसके कारण इनको वांछित क्षमता पर चलाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । पारेषण एवं वितरण प्रणाली में लाइन हानियां, वाणिज्यिक हानियां एवं विद्युत की चोरी बहुत अधिक है । उपभोक्ताओं को मीटर के अनुरूप सही बिल भेजना और उसके आधार पर धन की वसूली करना भी घाटे का एक मुख्य कारण है । इस घाटे की समस्या के समाधान एवं विद्युत प्रणाली में गुणात्मक सुधार के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार किया जाना प्रस्तावित है । इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा नई ऊर्जा नीति घोषित की गयी है ।

केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं से मात्र प्रदेश को आवण्टित बिजली आयातित की जाती है । प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं :–

1–अल्पकालीन उपाय :–

(1) टाण्डा तापीय परियोजना 4X110 मे०वा० की चौथी 110 मे०वा० इकाई जिसका निर्माण कार्य पूर्ण 1 जुलाई, 98 से वाणिज्यिक भार पर लिया गया है ।

(2) तापीय एवं जलीय विद्युत गृहों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु कुल लागत रु० 886.08 करोड़ की योजना तैयार की गयी है । इसमें से ओबरा तापीय विद्युत गृह हेतु क्रेश कार्यक्रम के रूप में रु० 126.60 करोड़ की योजना में पी०एफ०सी० द्वारा रु० 88.60 करोड़ का ऋण स्वीकृत है ।

(3) इस वर्ष 98–99 के लिये लम्बे समय से बन्द मशीनों का लक्ष्य एवं उपलब्धि निम्न प्रकार है :–

लक्ष्य		उपलब्धि
439 मे०वा०		105 मे०वा० हरदुआगंज इकाई 7
		200 मे०वा० ओबरा इकाई–10
		305 मे०वा०
शेष अवधि में निम्न उपलब्धि की आशा है :–31 मार्च, 1999		55 मे०वा० हरदुआगंज इकाई 3
	15 फरवरी, 1999	105 मे०वा० पनकी इकाई 3

2–दीर्घकालीन उपाय

राज्य क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र में नयी विद्युत उत्पादन क्षमता का सृजन करके विद्युत उपलब्धता में बढ़ोत्तरी किया जाना लक्षित है ।

वित्तीय वर्ष 1997–98 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पी०एल०ए०में जमा धनराशि का जनपदवार वितरण

*11–डा० वकार अहमद शाह–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1997-98 की मुस्लिम छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की कितनी धनराशि पी० एल० ए० खाते से वर्तमान वित्तीय वर्ष में आहरित कर जनपदवार कितनी-कितनी वितरित की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि

का वितरण निदेशालय से सीधे जिलाधिकारी को न भेजकर जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों को चेक दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)–(श्री राजा गजनफर अली)–

वित्तीय वर्ष 1997-98 में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को पी०एल०ए० की मद में जमा रु० 15.97 करोड़ की धनराशि आहरित कर निम्नलिखित जनपदों के सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार वितरित की गयी :–

1–इलाहाबाद	46.22 लाख
2–कौशाम्बी	28.29 लाख
3–आगरा	245.82 लाख
4–बिजनौर	180.76 लाख
5–कानपुर नगर	66.84 लाख
6–अम्बेडकर नगर	66.20 लाख
7–चन्दौली	42.19 लाख
8–मुजफ्फरनगर	23.00 लाख
9–सीतापुर	34.00 लाख
10–महराजगंज	24.00 लाख
11–पडरौना	60.00 लाख
12–गोरखपुर	75.00 लाख
13–गोण्डा	73.00 लाख
14–बलरामपुर	70.00 लाख
15–फर्रूखाबाद	50.00 लाख
16–शाहजहांपुर	12.00 लाख
17–भदोही	05.00 लाख
18–सुल्तानपुर	30.00 लाख
19–सिद्धार्थनगर	22.00 लाख
20–बाराबंकी	20.00 लाख
21–बहराइच	30.00 लाख
22–श्रावस्ती	40.00 लाख
23–पीलीभीत	30.00 लाख
24–हरदोई	30.00 लाख
25–देवरिया	50.00 लाख
26–मऊ	32.00 लाख
27–मथुरा	10.00 लाख
28–हरिद्वार	40.00 लाख
29–वाराणसी	02.00 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

30–हमीरपुर	02.00 लाख
31–बरेली	50.00 लाख
32–बलिया	35.00 लाख
33–बस्ती	35.00 लाख
34–फैजाबाद	06.68 लाख
35–रामपुर	30.00 लाख
	15.97 करोड़

निदेशक के पी०एल०ए० खाते में जमा धनराशि को आहरित करके बैंक ड्राफ्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजे गये हैं जहां जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के पद सृजित नहीं थे वहां के जिलाधिकारियों के नाम से बैंक ड्राफ्ट भेजे गये हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

नगर पालिका अधिनियम की धारा–9 में स्थानीय निकायों में नामित किये जाने वाले सदस्यों को नामित शासन द्वारा एवं हटाने की नीति की जानकारी

*12–राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्थानीय निकायों में नगर पालिका अधिनियम की धारा–9 में शासन द्वारा नामित किये जाने वाले सदस्यों को नामित करने एवं हटाने की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है और वर्तमान समय में क्या व्यवस्था लागू है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान समय में स्थानीय निकायों में उ० प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9(घ) में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन सदस्यों को नामित करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 40 एवं 41 में निहित प्राविधानों के अधीन हटाने हेतु कार्यवाही करने की व्यवस्था लागू है।

नगर पालिका परिषद् नवाबगंज (बरेली) की गंगवार कालोनी में 11 हजार वोल्ट की लाइन को हटाये जाने की मांग

*13–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् नवाबगंज (बरेली) की गंगवार कालोनी में 11 हजार वोल्ट की लाइन आबादी (मकानों) के ऊपर से गयी है ? क्या इस विद्युत लाइन से पूर्व विधायक माननीय श्री गेंदन लाल की मृत्यु भी हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विद्युत लाइन को आबादी से हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

पूर्व सदस्य विधान सभा, श्री गेंदन लाल द्वारा ऐन्टिना सपोर्ट वायर को बांधते समय हवा तेज चलने के कारण एन्टिना सपोर्ट तार के ऊपर से जा रही 11000 वोल्ट लाइन के सम्पर्क में आ गये और

श्री गेंदन लाल को झटका लगा तथा वे पीछे गिर गये एवं बाउंडरी वाल से उनका सिर टकरा गया। सिर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। जी नहीं। लाइन शिफ्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका नवाबगंज में गंगवार कालोनी की आबादी के मकानों के ऊपर जा रही 11000 वोल्ट की लाइन 1954 में बनायी गयी थी। उस समय वहां पर कोई आबादी नहीं थी। गंगवार कालोनी उसके लगभग 20 वर्षों बाद बनी है। लाइन के चारों ओर आबादी है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग

*14–श्री राम पाल सिंह एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन दिनांक 1-1-96 से संशोधित किया गया है ? यदि हां, तो क्या लिपिकीय कर्मचारियों का वेतन दिनांक 1-1-96 से संशोधित न होकर दिनांक 1-4-97 से संशोधित हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*15–श्री यशपाल सिंह चौहान–

[2रे बुधवार में ता० प्र० सं०–19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद सीतापुर में आवास विकास परिषद् की पंचवटी योजना में सभी आवंटियों को भवन का कब्जा देने के साथ इन्वेन्ट्री उपलब्ध कराने का मामला

*16–श्री रमेश राही–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में आवास विकास परिषद् की पंचवटी योजना में सभी आवंटियों को भवन का कब्जा देने के साथ इन्वेन्ट्री नहीं उपलब्ध कराई गई है ? यदि हां, तो इन्वेन्ट्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था कब तक सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां। जनपद सीतापुर में परिषद् द्वारा विकसित पंचवटी योजना में निर्मित 1060 सम्पत्तियों का कब्जा आवंटियों को दिया गया है। इनमें से अभिलेखों के अनुसार 393 आवंटियों की इन्वेन्ट्री उपलब्ध नहीं है।

जिन आवंटियों की इन्वेन्ट्री अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें आवंटित भवनों की इन्वेन्ट्री आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर उपलब्ध कराई जा रही है। आवंटी के सुविधा हेतु इन्वेन्ट्री शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए माह फरवरी/मार्च, 1999 में विशेष कैम्प लगाकर इन्वेन्ट्री उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

नगर पालिका परिषद् मल्लावां की आबादी को देखते हुए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*17-डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् मल्लावां की आबादी मौजूदा समय में लगभग 60 हजार है और इस नगर पालिका परिषद् में 25 वार्ड हैं ? क्या यह सही है कि वर्तमान समय में वहां पर भीषण पेयजल समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की आपूर्ति हेतु हर वार्ड में दस-दस इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प कुल मिलाकर 250 हैण्ड पम्प उक्त नगर पालिका में लगाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका परिषद्, मल्लावां की आबादी 26,983 है। इसमें 25 वार्ड हैं।

जी नहीं, वर्तमान समय में उक्त नगर पालिका परिषद् में एक नलकूप तथा 113 इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्नगत क्षेत्र में अतिरिक्त हैण्डपंम्पों का अधिष्ठापन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों, नगर पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों की आय स्रोत को बढ़ाये जाने का मामला

*18-डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने जिला पंचायतों नगर पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों की आय का श्रोत बढ़ाने तथा उनके चतुर्दिक विकास के लिये उन्हें राज्य से मिलने वाले अंश में बढ़ोत्तरी की है ? यदि हां, तो क्या उक्त बढ़ोत्तरी के अंश को निकायों को उपलब्ध कराने की कोई रूपरेखा भी निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन राज्य के कुल कर राजस्व की कुल शुद्ध आय, जिसमें वर्षानुवर्ष होने वाली वृद्धि निहित है, का 3.12 प्रतिशत नगर निगमों को, 3.12 प्रतिशत नगरपालिका परिषदों को तथा 0.76 प्रतिशत नगर पंचायतों को इस प्रकार कुल 7 प्रतिशत नगरीय निकायों को 80 प्रतिशत जनसंख्या एवं 20 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर संक्रमित की जा रही है। उक्त के अलावा कुल कर राजस्व की शुद्ध आय जिसमें वर्षानुवर्ष होने वाली वृद्धि भी निहित होगी, का 20 प्रतिशत भाग का जिला पंचायतों को एवं 80 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों को इस प्रकार कुल 4 प्रतिशत संक्रमित किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में हो रही अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

1–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा नगरपालिका परिषद् प्रतापगढ़ के विरुद्ध जांच कराये जाने के संबंध में पत्र दिनांक 17-5-97, 17-6-97 को निदेशक स्थानीय निकाय एवं

प्रमुख सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो विशेष जांच का कार्य किस तिथि से आरम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर की नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के पास कितनी एस०टी०डी० टेलीफोन एवं कार उपलब्ध है ? क्या यह सही है कि उक्त स्टाफ कार और टेलीफोन का दुरुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दुरुपयोग करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ के संबंध में विशेष लेखा परीक्षण एवं विभागीय जांच हेतु सभासदगण, नगर पालिका परिषद्, प्रतापगढ़ का पत्र दिनांक रहित शासन में प्राप्त हुआ था ।

उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, बेला, प्रतापगढ़ में हुयी वित्तीय अनियमितताओं की विशेष आडिट हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय, उ० प्र० लखनऊ को पत्र दिनांक 14-10-97 द्वारा निर्देशित किया गया । निदेशक, स्थानीय निकाय से प्राप्त आख्या के परीक्षणोपरांत नगर पालिका परिषद्, बेला, प्रतापगढ़ में हुयी वित्तीय अनियमितताओं की विशेष सम्परीक्षा कराए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया । तदोपरांत विशेष संपरीक्षा कराए जाने के आवश्यक निर्देश निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ० प्र० इलाहाबाद को निदेशक, स्थानीय निकाय के पत्र दिनांक 24-4-98 द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद में कोई नगर पालिका परिषद् नहीं है । जनपद इलाहाबाद की कुल 9 नगर पंचायतों में से मात्र 3 नगर पंचायतों क्रमशः लालगोपालगंज, फूलपुर एवं सिरसा में एस०टी०डी० टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है । शेष 6 नगर पंचायतों में टेलीफोन नहीं लगे हैं ।

किसी भी नगर पंचायत में स्टाफ कार उपलब्ध नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ में स्थित नगर पालिका परिषद्, बेला में 3 टेलीफोन लगे हैं, जिनमें से 2 टेलीफोन पर एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध है । नगर पालिका परिषद्, बेला, प्रतापगढ़ में एक डीजल अम्बेसडर कार उपलब्ध है तथा जनपद की दो नगर पंचायतों क्रमशः मानिकपुर एवं अन्तू में टेलीफोन पर एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध है । प्रतापगढ़ की किसी भी नगर पंचायत में स्टाफ कार उपलब्ध नहीं है । जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर एवं बिन्दकी में एक एक टेलीफोन पर एस०टी०डी० की सुविधा उपलब्ध है । नगर पालिका परिषद्, फतेहपुर में एक स्टाफ कार है तथा नगर पालिका परिषद् बिन्दकी में स्टाफ कार नहीं है । जनपद फतेहपुर की किसी भी नगर पंचायत में एस०टी०डी० टेलीफोन तथा स्टाफ कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद, प्रतापगढ़ व फतेहपुर की किसी भी नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायतों में उपलब्ध एस०टी०डी० टेलीफोन एवं स्टाफ कार का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है ।

नगर परिषद् देवरिया में स्थित गोरखपुर रोड के बड़े नालों की सफाई का मामला

2–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर परिषद् देवरिया में स्थित गोरखपुर रोड के बड़े नालों की सफाई काफी समय से नहीं करायी गयी है जिसके कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका है ? यदि हां, तो इसकी सफाई के लिये शासन क्या उपाय कर रहा है ? वर्तमान समय में विभिन्न श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी नगर परिषद् देवरिया में कार्यरत हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, देवरिया में स्थित गोरखपुर रोड के बड़े नालों एवं नगर के अन्य सभी नालों की सफाई प्रति वर्ष वर्षा प्रारम्भ से पूर्व कराई जाती है, जिसके कारण संक्रामक रोग फैलने की सम्भावना नहीं है ।

उक्त नालों की सफाई प्रतिवर्ष नगर पालिका परिषद् द्वारा वर्षा के पहले सम्पन्न कराई जाती है । वर्तमान समय में नगर पालिका परिषद्, देवरिया में श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :–

"समूह" "क"	1
"समूह" "ख"	8
"समूह" "ग"	30
"समूह" "घ"	351
	योग=390
सफाई कर्मचारी	185

जिला पौड़ी गढ़वाल की विद्युत आपूर्ति हेतु ग्राम एरोली मल्ली तथा ग्राम चौंडला में लगे ट्रांसफार्मर से मृत्यु के कारण बन्द पड़े ट्रांसफार्मर को चालू करने का मामला

3–श्री मोहने सिंह रावत "गांववासी"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम एरोला मल्ली तथा ग्राम चौंडला, जिला पौड़ी गढ़वाल की विद्युत आपूर्ति हेतु लगे ट्रांसफार्मर पर छेड़छाड़ करने के कारण लगभग 8 माह पूर्व करेन्ट लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी ? क्या तब से उक्त गांवों की विद्युत आपूर्ति बन्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त ट्रांसफार्मर को कांटेदार तारों आदि से सुरक्षित करते हुए गांवों की विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास मंत्री (डा० रमेश पोखरियाल निशंक)–

जी हां । एक बच्चे की मृत्यु हो गयी है ।

ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही ।

नया ट्रांसफार्मर दिनांक 9-3-98 को लगाकर विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी गयी है । टान्सफार्मर पोल माउन्टेड है । अतः कांटेदार तारों से फेसिंग करने की आवश्कता नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुमायूं जल संस्थान के अंशकालिक कर्मचारियों को कम परिश्रमिक की शिकायत तथा पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग

4–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं जल संस्थान में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक दिये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी० एम०/वि० को०/एम–3/8309/मथुरा/98, दिनांक 27-3-98 महाप्रबन्धक कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण पर विचार किया गया किंतु जल संस्थान की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अंशकालिक कर्मचारियों के देय मानदेय को बढ़ाया जाना संभव नहीं है ।

विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वर्ष 1979 में हाता रहसूल खां, में प्रस्तावित निर्बल वर्ग आय योजना के अन्तर्गत कु० अर्चना वर्मा को भवन उपलब्ध न कराने के कारणों की जानकारी

5–श्री राम ललित चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा वर्ष 1979 में "हाता रहसूल खां" में प्रस्तावित निर्बल वर्ग आय योजना के अन्तर्गत भवन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी करके रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराया गया था ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों द्वारा उक्त योजना में रजिस्ट्रेशन कराया गया तथा किन-किन लोगों को भवन आवंटित किये गये ? क्या यह सही है कि कुमारी अर्चना वर्मा, निवासी–178/3, छोटा चांदगंज, निराला नगर, लखनऊ द्वारा भी उक्त योजना में भवन आवंटन हेतु धनराशि जमा की गयी थी ? यदि हां, तो उनको आज तक भवन आवंटित न करने के क्या कारण हैं ? उनको भवन कब तक आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

उक्त योजना में 5937 व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया तथा प्रश्नगत योजना में वहां से उजाड़े गये विस्थापितों को निर्बल आय वर्ग के भवनों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया ।

जी हां ।

उक्त योजना के अन्तर्गत भवन रिक्त न होने के कारण इन्हें भवन आवंटित नहीं किया जा सका ।

कुमारी अर्चना वर्मा को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित शारदा नगर योजना में कतिपय शर्तों पर भवन आवंटित करने हेतु प्राधिकरण द्वारा उनकी सहमति दि० 14 सितम्बर, 1998 को मांगी गयी थी ।

श्री मुस्तिजाब अहमद दैनिक वेतन भोगी सहायक अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण का उ०प्र० वक्फ विकास निगम में प्रतिनियुक्ति पर की गई नियुक्ति के कारणों की जानकारी

6–श्री राम नक्षत्र–

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मी दूसरे विभाग में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति हो सकता है ? यदि हां, तो किस नियमों के तहत ? क्या श्री मुस्तजाब अहमद, दैनिक वेतन भोगी, सहायक अभियन्ता, लखनऊ

विकास प्राधिकरण को उ० प्र० वक्फ विकास निगम, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है ? यदि हां, तो किस नियमों के तहत दैनिक वेतन पर कार्यरत व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की गई है ?

श्री राजा गजनफर अली–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुस्तिजाद अहमद, सहायक अभियन्ता लखनऊ विकास प्राधिकरण का उ० प्र०, वक्फ़ विकास निगम में प्रतिनियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निगम के प्रबन्ध निदेशक ने उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण से पत्र द्वारा श्री अहमद को प्रतिनियुक्ति पर निगम में भेजने का अनुरोध किया जिस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने श्री अहमद को प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त कर दिया । वेतन प्रमाण-पत्र में उन्हें सहायक अभियन्ता (अस्थायी) उल्लिखित किया गया था तथा कार्यमुक्ति के पत्र में कहीं उनके दैनिक वेतन पर कार्यरत रहने का उल्लेख नहीं था ।

अतः श्री मुस्तिजाब अहमद को उ०प्र०, वक्फ विकास निगम में दिनांक 24-11-97 को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ले लिया गया ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण से इनके दैनिक वेतन पर नियुक्त होने की सूचना मिलने पर इनको निगम की प्रतिनियुक्ति से वापस कर दिया गया है ।

उत्तरांचल में 1986 से अब तक प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को दी गई सवित्त मान्यताएं

7–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल में 1986 से अब तक कितने अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सवित्त मान्यतायें दी गई ? क्या मान्यता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानकानुसार पद सृजित किये गये ? शिक्षा निदेशक माध्यमिक के अर्द्धशासकीय पत्रांक 174–75/योजना/98-99 दिनांक 24-3-98 जो प्रमुख सचिव, शिक्षा को संबोधित व प्रमुख सचिव, उत्तरांचल को पृष्ठांकित है, के अनुसार अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में वित्त सहित मान्यता के विभिन्न प्रकार के पदों का सृजन करने के लिये किन-किन बिन्दुओं पर शासनादेश के रूप में निर्देश माने गये हैं ? क्या उक्त पद सृजित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये शासनादेश व विधेयक बनाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

सितम्बर, 1998 तक 108 विद्यालयों को सवित्त मान्यता दी गयी है ।

कतिपय विद्यालयों में पद सृजित किये गये ।

शिक्षा निदेशक के पत्र दिनांक 24-4-98 द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विभिन्न कोटि के पदसृजित करने हेतु कतिपय बिन्दुओं पर नीति निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है । शासन के विचाराधीन है ।

8–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

मैसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लखनऊ को लिखे गये अधोलिखित पत्रों का सदन के पटल पर रखा जाना

9–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–84 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री मेसर्स ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, लखनऊ को लिखे गये समस्त पत्रों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी सहायक विधि

अधिकारी द्वारा लिखित राय की प्रतिलिपि भी उपलब्ध करायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि गबन किस अवधि का है तथा इस अवधि में कौन-कौन अधिकारी तैनात रहे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैसर्स ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को लिखे गये अधोलिखित पत्रों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं :–

1–पत्र सं० 5216 दि० 16-12-91

2–पत्र सं० 5342 दि० 20-12-91

3–पत्र सं० 1388 दि० 23-4-92

4–पत्र सं० 205 दि० 23-8-95

5–पत्र सं० 3846 दि० 6-9-96

6–पत्र सं० 3857 दि० 7-9-96

7–पत्र सं० 9 दि० 2-1-97

8–पत्र सं० 222 दि० 27-1-97

9–पत्र सं० 1016 दि० 28-7-97

10–पत्र सं० 701 दि० 1-9-97

11–पत्र सं० 731 दि० 24-9-97

12–पत्र सं० 6704 दि० 13-10-97

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक विधि अधिकारी द्वारा लिखित राय की प्रतिलिपि (पत्र संख्या 3053–वि०प०(2)/राविप/96-93–वि०प० मिांक 15-11-96) उक्त पत्रों के साथ ही सदन के पटल पर रख दी गई है ।†

गबन की अवधि अप्रैल, 1988 से 24-9-91 के बीच की है । उक्त अवधि में अधोलिखित अधिकारी तैनात रहे :–

सर्वश्री

1–अजय सिंह, अधीक्षण अभियन्ता

2–आर० एन० माथुर, अधीक्षण अभियन्ता

3–डी०बी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता

4–तेज बहादुर राय, अधिशासी अभियन्ता

5–अजीत कुमार रस्तोगी, –तदैव–

6–शाह आलम, –तदैव–

7–एस० के० मिश्रा, लेखाधिकारी

8–संजय गुप्ता, –तदैव–

9–राम अधार भट्ट लेखाधिकारी

† छापी नहीं गई ।

10–ए० के० मुखर्जी, लेखाकार

11–राजा राम सिंह, लेखाकार

12–पी० पी० पाण्डे, सहायक लेखाकार

13–एस० ए० खान, –तदैव–

14–एम०सी० गोयल, उप मुख्य लेखाधिकारी

15–सियाराम, सहायक लेखाधिकारी

जनपद उन्नाव में पुरवा सब स्टेशन ग्राम सगौली में अवैध कनेक्शन दिये जाने की शिकायत तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

10–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव में पुरवा सब स्टेशन के ग्राम सगौली के दलित परिवारों से जनवरी-फरवरी 1997 में अवर अभियन्ता विद्युत वितरण मौरावां द्वारा पंखा-बत्ती कनेक्शन दिये जाने हेतु निर्धारित शुल्क लेने के बावजूद कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि माह जनवरी, फरवरी, 1997 में ही क्षेत्रीय विधायक के परिवार/रिश्तेदार सहित कई परिवारों को बिना किसी प्राक्कलन और प्रशासनिक स्वीकृति के ही कनेक्शन दे दिये गये ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि शिकायत के बाद एस० डी० ओ० पुरवा ने उक्त अवैध लाइन हटवा दी थी ? यदि हां, तो एस० डी० ओ० ने दोषी अवर अभियन्ता और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्पूर्ण प्रकरण पर भूतपूर्व मंत्री श्री हृदय नारायण दीक्षित द्वारा उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के चेयरमैन को माह जून, 97 में दिये गये शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उन्नाव में पुरवा सब स्टेशन के 6 परिवारों से जनवरी, फरवरी, 1997 में अवर अभियता वितरण मौरावां द्वारा पंखा, बत्ती कनेक्शन हेतु निर्धारित शुल्क लेकर कनेक्शन निर्गत किये गये ।

कनेक्शन लेने वालों में क्षेत्रीय विधायक के परिवार/रिश्तेदार होने की निश्चित जानकारी विभाग को नहीं है । कनेक्शन देने हेतु लाइन कार्य प्रारम्भ करते प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिये गये थे । प्राक्कलन स्वीकृति की अपेक्षा में उक्त कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु क्षेत्रीय विरोधाभास व मतभेद होने के कारण आपत्ति होने पर प्रारम्भ कार्य को रोक दिया गया तथा कन्डक्टर भी हटा दिये गये पुनः प्राक्कलन की स्वीकृति के पश्चात कनेक्शन शुल्क जमा होने के आधार पर कनेक्शन निर्गत किये गये । उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण पर भूतपूर्व मंत्री श्री हृदय नारायण दीक्षित के शिकायती-पत्र दिनांक 11-06-97 तथा 14-06-97 परिषद् में प्राप्त होने पर उसकी जांच परिषदीय सर्तकता शाखा द्वारा करायी गयी है । जांच के इस पूरे प्रकरण में सर्वश्री ए० के० सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता, वि०वि०खं०, उन्नाव, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, उपखण्ड अधिकारी द्वितीय, उन्नाव तथा श्री पी० एन० लाल श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता, मौरावां को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल बक्शीपुर गोरखपुर के अधीनस्थ वितरण खण्डों की लाइन लासेज के विषय में नरेन्द्र सिह शिशौदिया की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

11–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, बक्शीपुर, गोरखपुर के अधीन खण्डों में लाईन लासेज क्या है ? इसके लिये कौन-कौन

अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हैं ? क्या इस संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 23-12-97 एवं 30-12-97 जो कि अध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता, (वाणिज्य) एवं सदस्य वितरण को सम्बोधित था, पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भ्रष्ट अधिकारी को रेवेन्यू कार्य से हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, गोरखपुर के अधीनस्थ वितरण खण्डों की वर्ष 1997-98 की लाइन लासेज निम्न प्रकार है :–

खण्ड का नाम	लाइन लासेज प्रतिशत
वि० न० वि० ख० प्र० गोरखपुर	25.86
वि० न० वि० ख० द्वि० गोरखपुर	22.20

लाइन लासेज स्वाभाविक है अतः इसके लिए कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है ।

मा० विधायक का सन्दर्भित पत्र जो कि उपभोक्ता श्री रजी अहमद को कनेक्शन देने के सम्बन्ध में था, के अनुपालन में उपखण्ड अधिकारी, विद्युत नगरीय वितरण उप खण्ड–तृतीय, गोरखपुर द्वारा फरवरी 1998 के प्रथम सप्ताह में कनेक्शन दे दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ऐसा कोई मामला नहीं है, जिस पर कोई कार्यवाही की जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा में विद्युत आपूर्ति के मामले में हुई क्षति तथा सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

12–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अतर्गत विद्युत वितरण खण्ड गोण्डा के अधीन 9/91 से 3/93 के मध्य रेलवे स्टेशन गोण्डा को 1200 कि० वा० विद्युत आपूर्ति के मामले में लाखों रुपये की हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मार्च, 1998 तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषदीय क्षति का आंकलन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो परिषद् की राजस्व की कितनी क्षति हुई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक निर्गमन हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को चेतावनी दे दी गई है ।

सम्प्रेक्षानुसार त्रुटिपूर्ण टैरिफ के कारण कम राजस्व निर्धारण का अकंलन कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रेक्षा द्वारा आंकलित धनराशि रुपये 37.21 लाख का बिल रेलवे विभाग को भेज दिया गया है ।

जनपद मथुरा में श्री बिजेन्द्र सिंह लाइनमैन ओल के विरुद्ध जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजेन्द्र सिंह लाइनमैन ओल के स्थानान्तरण एवं जांच के संबंध में विधायक प्रकोष्ठ का पत्रांक सी० एम०/वि० को०/एम–3/8856/मथुरा/98, दिनांक 8-4-98, अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

श्री बिजेन्द्र सिंह, पेट्रोलमैन के विरुद्ध आय से अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में जांच हेतु श्री कृष्ण बिहारी, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, मथुरा को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है । तत्कालिक कार्यवाही के रूप में श्री बिजेन्द्र सिंह, पेट्रोलमैन का स्थानान्तरण विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) मथुरा से विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), मथुरा को कर दिया गया है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेम्बर स्टोर परचेज, कमेटी सेन्ट्रल परचेज, कमेटी द्वारा विभिन्न वर्षों में आयोजित बैठकों की संख्या का विवरण

14–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेम्बर स्टोर परचेज कमेटी सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी द्वारा वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में वर्षवार कितनी बैठकें कब-कब हुई ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन्हीं वर्षों में पावर हाउस में क्या-क्या कार्य कितनी लागत का किसके द्वारा कराये गये ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेम्बर स्टोर परचेज कमेटी, सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी द्वारा वर्ष, 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में आयोजित बैठकों की संख्या निम्नवत है :–

वर्ष	मेम्बर स्टोर परचेज कमेटी	सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी
1995–96	24	38
1996–97	19	21
1997–98	21	29

इन तीन वर्षों में मेम्बर स्टोर परचेज कमेटी एवं सेन्ट्रल स्टोर परचेज कमेटी की बैठकों की तिथियों का विवरण क्रमशः संलग्नक–1 एवं संलग्नक–2 में इंगित है ।†

ग्राम कुशगवा, नांगुहा व पूली ब्लाक तहसील भरथना, जिला इटावा में विद्युतीकरण का मामला

15–श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुशगवां, नांगुहा व पूली ब्लाक व तहसील भर्थना, जिला इटावा में अभी तक बिजली नहीं दी गयी है ? सरकार प्राथमिकता के आधार पर इन ग्रामों में बिजली उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

ग्राम कुशगवां बादशाहपुर ब्लाक/तहसील भरथना जिला–इटावा वर्ष 1996 से ही विद्युतीकृत है ।

ग्राम–नौगवां ब्लाक भरथना में न होकर ब्लाक चकर नगर में है तथा अभी तक विद्युतीकृत नहीं है ।

† छापी नहीं गई ।

प्यूली नाम का कोई भी ग्राम अथवा ब्लाक, भर्थना में नहीं है ।

ग्राम कुशगवां वर्ष 1996 से विद्युतीकृत है । अतः इसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान में ग्राम–नौगवां के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

मानीय विधायक जी ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र के पांच ग्रामों की सूची में इस ग्राम को सम्मिलित नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा ग्रामों का विद्युतीकरण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एवं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के माध्यम से कराया जाता है जिसके आधार पर ग्रामों का चयन जिला स्तर पर दिया जाता है ।

शासन की वर्तमान किसी भी योजना में ग्राम नौगवां का चयन न होने के कारण इस ग्राम के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

टाण्डा तापीय परियोजना एवं मुख्य अभियन्ता (लेसू) लखनऊ के अधीन अभियन्ता/कर्मचारियों द्वारा परिषदीय धन के घोटाला तथा उनकी तैनाती की जानकारी

16–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित अता० प्रश्न संख्या–154 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री उन 24 अधिकारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या परिषद् को हुई क्षति की भरपाई कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । उनके नाम, पदनाम एवं तैनाती स्थान निम्नलिखित हैं :–

क्र०सं०	नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
	सर्वश्री :–		
1	तेज बहादुर राय,	अधि० अभि०,	नियोजन संगठन, लखनऊ ।
2	अजीत कुमार रस्तोगी,	अधि० अभि०,	रेस्पो, लखनऊ ।
3	एस० के० मिश्रा,	लेखाधिकारी,	कार्या० केसा, कानपुर ।
4	ए० के० मुखर्जी,	लेखाकार,	रेस्पो, शक्ति भवन, लखनऊ ।
5	राजा राम सिंह,	लेखाकार,	कार्यालय मु०ले०अ० (साम०प्रबन्ध) लखनऊ ।
6	पी०पी० पाण्डे,	सहा० लेखाकार,	कार्या० अधि० अभि० वि० नग० वि० ख०, लखनऊ ।
7	एस०ए० खान,	सहा० लेखाकार,	कार्या० अधि० अभि०, नग० वि०ख०, हुसैनगंज, लखनऊ ।
8	अजय सिंह,	अधी० अभि०,	महाप्रबन्धक, केसा, कानपुर ।
9	एम० सी० गोयल,	उपमुख्य लेखाधिकारी,	शक्ति भवन लखनऊ ।
10	संजय गुप्ता,	लेखाधिकारी, केन्द्रीय	ले०का० शक्ति भवन, लखनऊ ।

क्र०सं०	नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
11	सिया राम,	सहा० लेखाधिकारी,	परीक्षा परि० परीक्षा (झांसी)
12	आर० एन० माथुर,	अधी० अभि०,	सेवानिवृत्त (31-12-96)
13	डी० वी० सिंह,	अधी० अभि०,	महाप्रबन्धक, आनपारा ।
14	शाह आलम,	अधि० अभि०,	विद्युत कार्य मण्डल, कानपुर ।
15	राम अधार भट्ट,	लेखाधिकारी,	उप निदेशक, आन्तरिक (सम्प्रेक्षा) कानपुर ।
16	हरीश चन्द्र,	मुख्य परियोजना प्रबन्धक,	सेवानिवृत्त (31-7-85)
17	आर०पी० भटनागर,	अधी० अभि०,	सेवानिवृत्त) (28-2-97)
18	बी०सी० मौर्या,	अधि० अभि०	सेवावृत्त (28-2-97)
19	ए० के० अग्रवाल,	विशेष लेखाधिकारी,	आन्तरिक (सम्प्रेक्षा) लखनऊ ।
20	जियाउद्दीन खां,	अधि० अभि०,	सेवानिवृत्त (31-1-97)
21	एम० पी० सिंह,	अधि० अभि०,	अधी० अभि० सम्बद्ध क्षे० अ० वाराणसी ।
22	मु० अनीस,	सहायक अभियन्ता,	सेवानिवृत्त ।
23	कृष्णानन्द,	अवर अभियन्ता,	ओबरा परियोजना ।
24	प्रेम प्रकाश,	दैनिक श्रेणी लिपिक,	वि० वि० खण्ड–11, आजमगढ़ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय), लेसू, लखनऊ के अधीन तैनात कैशियर स्व० श्री जगदीश बिहारी की मृत्यु दिनांक 24-9-91 को होने के उपरान्त कैश बैलेन्स की उपलब्धता एवं तत्पश्चात् किये गये विशेष सम्प्रेक्षा के आधार पर स्व० श्री जगदीश बिहारी द्वारा परिषदीय धन का गबन किये जाने का मामला उजागर हुआ तथा उनके विरुद्ध रु० 8,46563.14 का अग्रिम प्रकीर्ण डाला गया । इस सम्बन्ध में मै० ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि०, लखनऊ के समक्ष उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किया गया दावा दीर्घकाल से अनिर्णित है । विधिक राय के अनुसार मृतक के पावकों अथवा सम्पत्ति से अग्रिम प्रकीर्ण की वसूली नहीं की जा सकती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शहरी क्षेत्र की भांति ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति का एवं बिलों में विसंगति का मामला

17–श्रीमती उर्मिला देवी यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् की अधिसूचना संख्या–8 ए० सी०/रविप पांच–1974–1204–सी/97, दिनांक 3 जनवरी, 1997 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रुपये 50/- प्रतिमाह प्रति कनेक्शन दर निर्धारित होने के उपरान्त ग्राम शिवपुरी चिनहट–लखनऊ के पावर हाउस द्वारा देवां फीडर से आपूर्ति की जा रही ग्रामीण क्षेत्रों के एक फेस कनेक्शनों पर 100 यूनिट अर्थात् रुपये 150/- प्रतिमाह प्रति कनेक्शन किन नियमों के अन्तर्गत चार्ज किया जा रहा है ? क्या इस संबंध में जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत परिषद् के टैरिफ के अनुसार ऐसे क्षेत्र थे जिनकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 15000 से अधिक है अथवा उन्हें शहरी अधिसूचना के अनुसार आपूर्ति की जा रही है, तो उन्हें मीटर्ड पद्धति पर बिल भेजे जाने का प्राविधान है। मीटर न लगे होने, मीटर दोषपूर्ण, दोषपूर्ण रीडिंग आदि की अवस्था में 100 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह प्रति संयोजन के आधार पर निर्धारण करने का प्राविधान अलग से किया गया है। प्रश्नगत क्षेत्र नगर निगम की सीमा में आता है और देवा फीडर से आपूर्ति किये जा रहे क्षेत्रों में भी लखनऊ की ही भांति 24 घन्टे विद्युत आपूर्ति दिये जाने का प्राविधान है।

जी नहीं।

विद्युत आपूर्ति शहरी क्षेत्र के समतुल्य की जाती है।

18–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ॥

19–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री कोविद कुमार–

[2रे शुक्रवार के लिए स्थगित ॥

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् गोरखपुर क्षेत्र में कार्यरत मिलों का लोड तथा बिलों के भुगतान एवं विद्युत आपूर्ति तथा प्रयोग में अन्तर की जानकारी

20–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत गोरखपुर क्षेत्र में कुल कितने रोलिंग मिल आर्कफर्नेस/इण्डक्शन फर्नेस हैं ? उनके नाम लोड क्या हैं तथा जनवरी, 1996 से मार्च, 1998 तक प्रतिमाह कितने बिलों का भुगतान किया गया है ? 132 के०वी० सब-स्टेशन एफ०सी०आई० गोरखपुर से निकलने वाली 33 के०वी० लाइन की जनवरी, 1997 से मार्च, 1998 के मध्य प्रतिमाह कितनी यूनिट विद्युत प्राप्त हुई तथा 132 के०वी० सब-स्टेशन द्वारा दी गयी यूनिट में कितना अन्तर पाया गया ? इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विवरण संलग्नक (1) एवं संलग्नक 2(1) से 2(9) में अंकित है।

विद्युत प्राप्ति का माहवार विवरण संलग्न क (3) एवं 3(क) में अंकित है।†

उक्त सब स्टेशन द्वारा दी गयी यूनिट का अन्तर 48,13,444 यूनिट है जो संलग्नक (3) एवं 3(क) पर अधारित है। यह अन्तर बिजली पारेषण तथा ट्रांसफार्मर लासेज के कारण है।

उ०प्र० राज्य विद्युत् परिषद् के फील्ड हास्टल राणा प्रताप मार्ग में आवंटन का मामला

21–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत फिल्ड हास्टल राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को 1 नवम्बर, 1997 से 5-12-97 के मध्य किस व्यक्ति को आवंटित किया गया था ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि लखनऊ स्थित विवेकानन्द क्लब से पिछले 5 वर्षों से परिषद् को कितनी आमदनी हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अधिकारियों के अतिरिक्त कर्मचारियों को भी ठहरने की कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

† छापी नहीं गई।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

दिनांक 1-11-97 से 5-12-97 के मध्य फील्ड हास्टल, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ सर्वश्री रामायण राम, ओ० एन० शर्मा, हरजीत सिंह, एस०के० शर्मा, एस० के० प्रसाद, एस० बी० सिंह, जी० एन० लाल, वी० के० वर्मा, राजेश कुमार, सुरेन्द्र सिंह, आर० सी० बत्रा, सी०बी० पाल, वी०एम०डी० अग्रवाल, आर० के० गुप्ता, यू० के० त्रिपाठी, सुरेश सिंह, डी० बी०सिंह, एन० के ० गुप्ता, महेद्र पाल, जे० सी० सरोज, एम० सी० गोविल, एस० के० शुक्ला, डी० के० माथुर, मो० वसी अहमद, इराली अहमद, सुरेन्द्र सिंह, अशोक कुमार, प्रताप सिंह, अनिल प्रकाश, सुरेश चन्द्र, आर० के० नागपाल, नन्द लाल, राजेश अरोड़ा पी० के० गुप्ता, एम० के० जोशी, यू० एस० गुप्ता, आर० एन० वर्मा, आर० के० यादव, आर० एस० सिंह, वी०के० रस्तोगी, आर० एन० भार्गव, सहजाद बहादुर, शिवबहुर सिंह, रामायण राम, एस० पी० मेहरोत्रा, सुरेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह, सौरभ अग्रवाल, आर० के० सक्सेना, वी० के० शर्मा, के० के० श्रीवास्तव, गुरफान, डा० गिरीश, जी० के० खन्ना, एच० के० गौतम, आर० आर० सिंह, एच० के० गौतम, एम० के० गुप्ता, डी० सी० वार्ष्णेय, जी० के० खन्ना, गोयल, ए० के० खरे, एम० के० गुप्ता, करन सिंह, रामायण राम, अश्वनी कुमार गुप्ता, बसन्त सिंह, एस० के०शुक्ला, के० सी० यादव, आर० सी० बत्रा, हसरत सिंह, ए० के० रुद्रा, वी०के० जैन, डी० के० मोहन, आर० एन० सिंह, बी० बी० गोयल, जी० एच० अग्रवाल, सुरेन्द्र सिंह, वी० पी० एस० तुलसी, ए० के० शाह, मनोज माथुर, बी० डी० ग्रोवर, ए० के० गर्ग, सी० पी० गुप्ता, विशेश्वर सिंह, लाल सिंह, डा० एस० बी० मालया, विशेश्वर सिंह, अनिल प्रकाश, एस० पी० सिंह, ए० के० चौरसिया, वी० के० पाण्डे, एस० पी० सिंह, एस० के० शुक्ला, रामायण राम, आर०के० अग्रवाल, धीरज सिंह, सफीउल्ला, एच० के० गौतम, एम० सी० गुप्ता, आर० आर० मौर्या, डी०डी० सिंघल, फिरोज, एस० पी० राय, बाई० के० गुप्ता, एस० पी० त्यागी, वी०एम० डी० अग्रवाल, पी० के० सिन्हा, मा० रेवती रमण सिंह, पूर्व विद्युत मंत्री, योगेश कुमार, एस० पी० सिंह, एम० एल० गुप्ता, यू०बी० सिंह, ए० के० हंगल, बाई० डी० शर्मा, जी०एस० सरकार, पी० एन० माथुर, महेन्द्र पाल, ए० के० हंगल, सुनील मोरे, पी० डी० सिंह, एस० के० गांगुली एवं श्री सोहल को आवंटित किया गया था ।

कोई आमदनी नहीं हुई । क्योंकि यह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, आफीसर्स क्लब, हाइडिल आफीसर्स कालोनी, विवेकानन्दपुरी, लखनऊ को आवंटित है ।

लखनऊ स्थित विवेकानन्द क्लब से हुई आमदनी को परिषद् खाते में जमा करने संबंधी निर्णय सम्प्रति स्थगित है ।

जी नहीं ।

क्योंकि इस सम्बन्ध में परिषद् के कोई आदेश नहीं हैं ।

ओबरा परियोजना में सफाई के कार्य को देखने में लगाये गये श्रमिकों को सेवा योजित करने की मांग

22–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओबरा तापीय परियोजना के अधीन केबिल ट्रन्च क्लीनिक, केबिल रैक, स्वीच गीयर स्वीच गार्ड, टर्बाईन हाल की क्लनिंग में कुल कितने ठेका श्रमिक कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सही है कि यह समस्त कार्य 15 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पार्ट टाइम स्वीपर कितने हैं ? विद्युत सेवा आयोग द्वारा इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित कराने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार नियमित प्रकृति के कार्य को करने वाले कर्मचारियों को पहले नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चद्र अग्रवाल–

ओबरा परियोजना में सफाई के कार्य हेतु कोई ठेका श्रमिक नहीं है । सफाई का कार्य अनुबंध द्वारा संविदाकारों से कराया जाता है जो अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिक कार्य पर लगाते हैं ।

नहीं, सफाई का कार्य संविदाकारों द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार कराया जाता है ।

ओबरा परियोजा पर 15 पार्ट टाइम स्वीपर कार्यरत हैं ।

ओबरा परियोजना विशेष के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अलग से कोई विज्ञापन विद्युत सेवा आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया है । किन्तु परिषद् द्वारा निर्धारित नीति के अन्तर्गत भर्ती की स्थिति में विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से ही किये जाने की व्यवस्था की गई है ।

ओबरा परियोजना पर नियमित प्रकृति के कार्य हेतु स्वीकृत पदों के अनुसार कर्मचारी पहले से नियुक्त हैं ।

ओबरा परियोजना पर स्वीकृत पद रिक्त नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत तालकटोरा पावर हाउस लखनऊ के बन्द होने का कारण तथा हानि के कारण बेंचे जाने का मामला

23–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत तालकटोरा पावर हाउस, लखनऊ दिनांक 27-9-92 से बन्द है ? यदि हां, तो जनवरी, 1990 से सितम्बर, 1992 के मध्य माहवार पी० एल० एफ० कितना था ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आगरा से कौन-कौन सी मशीनें तालकटोल पावर हाउस में मंगाई गयी थी तथा उसकी ढुलाई पर कितना व्यय किस कम्पनी को किया गया और किन-किन तिथियों में ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पावर हाउस बेचने के लिये कब-कब टेन्डर किया गया ? टेण्डर में किन-किन ठेकेदारों की क्या-क्या दरें थीं ? क्या इस संबंध में तापगृहों के बेचने की सी० बी० आई० जांच हेतु श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 29-7-97 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

माह	पी० एल० एफ०		माह	पी० एल० एफ०		माह	पी० एल० एफ०	
1/90	.01		1/91	—		1/92	—	
2/90	.29		2/91	—		2/92	—	
3/90	.28		3/91	—	बन्द	3/92	—	बन्द
4/90	.08		4/91	—		4/92	—	
5/90	.01		5/91	—		5/92	—	
6/90	—		6/91	—		6/92	—	
7/90	—		7/91	.02		7/92	.08	
8/90	—		8/91	.02		8/92	—	बन्द
9/90	—		9/92	.13		9/92	.02	
10/90	—		10/91	.12		स्थाई रूप से बन्द		
11/90	—	बन्द	11/91	— बन्द				
12/90	—		12/91	.03				

आगरा से 10 मेगावाट की पारसन मैक की मशीन मय जनरेटर, टरबाइन, ब्वालर तथा अन्य सम्बन्धित संयत्रों सहित मंगाई गई थी । इस सम्पूर्ण कार्य का अनुबन्ध जिसमें संयंत्रों का आगरा से उखाड़ना, दुलाई तथा लखनऊ तालकटोरा पावर हाउस में स्थापना तथा टैस्टिंग आदि का सम्पूर्ण कार्य का मेसर्स वेस्टर्न इण्डिया इरेक्टर्स पुणे को दे दिया गया था । अनुबन्ध के अनुसार दुलाई के मद में रु० 14,50,284/- (रु० चौदह लाख पचास हजार दो सौ चौरासी) का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध दुलाई के मद में कुल 13.74 लाख का भुगतान मै० वेस्टर्न इण्डिया डरेक्टर्स पुणे को दिनांक 11 जून, 1985 से 16 फरवरी, 1990 के मध्य में किया गया ।

पावर हाउस के विक्रय हेतु मे० मेटल स्क्रेप ट्रेडिंग कारपोरेश, नई ल्ली (भारत सरकार का उपक्रम (द्वारा विभिन्न तिथियों में निविदायें खोलने पर आयी विभिन्न दरों का विवरण संलग्नक "क" पर संलग्न †

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से आख्या प्रतीक्षित है ।

जनपद मथुरा के गोविन्दपुर क्षेत्र में विद्युतीकरण का मामला

24–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के गोविन्दपुर क्षेत्र में विद्युतीकरण किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–3/8519/मथुरा/98, दिनांक 30-3-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

मथुरा जनपद के गोवर्धन विकास खण्ड के ग्राम नगला काशी, जो कि अनुसूचित जाति बाहुल्य है, अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण के मानकों के अनुसार 1996–97 में विद्युतीकृत किया गया । गोविन्दपुर उक्त ग्राम एक मजरा है । इस मजरे के विद्युतीकरण की वर्तमान में कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

जनपद फतेहपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों द्वारा बिजली की चोरी का प्रकरण

25–श्री अयोध्या प्रसाद पाल

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–फतेहपुर में औद्योगिक क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों द्वारा बिजली की चोरी करायी जा रही है ? क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुर में स्थापित गोहा, खाद्य की फैक्ट्रियों में अवैध रूप से भट्टी के कनेक्शन पर अलग से लाइन जोड़कर कई-कई भट्ठियां चलायी जा रही हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

विशिष्ट प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर जांच कराकर कार्यवाही की जाती है ।

---

† (देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 137-139 पर)

विद्युत उपकेन्द्र राजा का तालाब, वाराणसी के विभिन्न फीडरों की विद्युत आपूर्ति में एकरूपता लाने की मांग

26–श्री वचनू राम पटेल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत उपकेन्द्र राजा का तालाब, वाराणसी के भिन्न-भिन्न फीडरों से विद्युत आपूर्ति में दोहरी नीति अपनाई जा रही है ? क्या विद्युत आपूर्ति में एकरूपता लाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । उपकेन्द्रों से निकलने वाले विभिन्न पोषकों को निर्धारित स्तर के अनुसार आपूर्ति की जाती है ।

इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किया जाता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मल्लावां के अधिकांश गांवों में विद्युतीकरण का मामला

27–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 146 गांवों के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1987 में भारत सरकार ने एक करोड़ छियत्तर लाख उन्तीस हजार रुपया (1,76,29,000.00) उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया था ? क्या यह सही है कि उक्त धन से मात्र 30 ग्रामों का ही विद्युतीकरण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य जो चार वर्षों में पूरा होने को था एक दशक बीतने पर भी जनता को विद्युत लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि इस लम्बी अवधि में तमाम तार चोरी हो गये, लाइनें जो बिछाई गयी उखड़ गयी तथा सरकारी धन की क्षति हुई ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जनपद हरदोई के मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 107 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु रु० 176.05 लाख के ऋण की तीन योजनायें सन् 1985 व 1987 में स्वीकृत की गयी थी ।

जी नहीं । इन तीनों योजनाओं के अधीन रु० 89.37 लाख की लागत से 21 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 535 निजी नलकूपों का उर्जीकरण किया गया ।

इन योजनाओं की निर्धारित चार वर्षों की अवधि समाप्त होने के कारण शेष ऋण का आहरण परिषद् द्वारा नहीं किया गया ।

ऋण योजनाओं में निर्धारित चार वर्ष की अवधि में केवल अंश (ख) में इंगित लागत के कार्य ही पूर्ण किये जा सके ।

उपरोक्त प्रस्तर–2 के अनुसार क्षेत्र के कुछ ग्रामों के लिए निर्मित लाइनों के तार चोरी हो गये हैं ।

चोरी गये तारों/खम्भों को बदलवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उन ग्रामों में जिनमें अभी तक विद्युत संयोजन निर्गत नहीं हुआ है, उनमें चोरी गये तारों को बदलवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्राम-मैनहाई, ब्लाक-चित्रकूट, जनपद-छत्रपति साहूजी महराजनगर में विद्युतीकरण हेतु जमा धनराशि के बाद भी कनेक्शन न दिये जाने का मामला

28-श्री आर० के० सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-मैनहाई, ब्लाक-चित्रकूट, जनपद-छत्रपति साहू जी महाराजनगर के 25 लोगों के विद्युत कनेक्शन हेतु धनराशि विद्युत विभाग बांदा में जमा है ? यदि हां, तो विद्युत पोल गाड़े जाने के बाद अभी तक उनमें विद्युत तार न खींचने के कारण कनेक्शन नहीं दिये गये ? कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां । ग्राम मैनहाई, ब्लाक चित्रकूट, जनपद साहूजी महाराजनगर के 25 लोगों द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्जेज की धनराशि जमा करायी गयी है ।

जी हां । अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ।

इस कार्य को शीघ्र पूरा कराकर कनेक्शन देने के आदेश दे दिये गये हैं । यह कार्य 31 मार्च, 99 तक पूरा कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदेव पुत्र स्व० विशुन दयाल, निवासी तरछापार, पो० बिल्थरा रोड विकास खण्ड सीयर जिला बलिया के नाम लगे 5 हार्स पावर मोटर का फर्जी अतिरिक्त बिल भेजने की शिकायत

29-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि श्री जगदेव पुत्र स्व० विशुन दयाल, निवासी ग्राम तरछापार, पो० बिल्थरा रोड विकास खण्ड सीयर जिला बलिया के नाम से केवल 5 हार्स पावर का मोटर लगा है और विभाग द्वारा फर्जी 7 हार्स पावर मोटर का बिल भेजा जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? इसको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्री जगदेव पुत्र स्व० विशुन दयाल, निवासी तरछापार, पो० बिल्थरा रोड सीयर जिला बलिया का अनुबन्धित भार 5 हार्स पावर ही है । भूलवश उपभोक्ता का भार लेजर में 7.5 हार्स पावर अंकित हो गया था जिसके कारण बिलिंग 7.5 हार्स पावर पर हो रही थी ।

उपभोक्ता का बिल माह जुलाई, 98 में ठीक कर दिया गया है ।

वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

30-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-5-98 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त दिशा में कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रश्नगत पत्र दिनांक 26-5-1998 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

यद्यपि कि प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है तथापि वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में सुधार के लिए कार्यवाही की गयी है ।

वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सुधार हेतु निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं :–

(क) 12 नग नये 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण ।

(ख) 5 नग 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों की 250 के०वी०ए० से 400 के०वी०ए० तथा 3 नग उपकेन्द्रों में 400 के०वी०ए० से 600 के०वी०ए० की क्षमता वृद्धि ।

(ग) विभिन्न-क्षेत्रों में एल० टी० लाइनों की स्ट्रनिंथग ।

(घ) 33 के०वी० की लाइन शुंकुलधारा से भेदनी उपकेन्द्र का निर्माण ।

(ङ) 11 के०वी० सुन्दरपुर एवं चितईपुर फीडरों को जोड़ने का कार्य ।

उपरोक्त के साक्षेप निम्न कार्य पूर्ण हो चुके हैं :–

(क) 2 नग, 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण ।

(ख) 3 नग, 11/0.4 के०वी० ए० 250 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि 400 के०वी०ए० तथा एक नग 400 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 630 के०वी०ए० का कार्य ।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाबतपुर एयर पोर्ट (वाराणसी) को निर्बाध विद्युत आपूर्ति, लाइन के निर्माण में की गई अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

31–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1995 में बाबतपुर एयरपोर्ट (वाराणसी) को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र तरना (भेल) से 11 के० वी० की स्वतंत्र लाइन के निर्माण हेतु एयरपोर्ट अथारिटी ने उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को पूरी लाइन के लिये रुपये का भुगतान किया गया था ? यदि हां, तो कितना और कब किया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त लाइन का निर्माण किस खण्ड के अन्तर्गत कराया गया है ? उक्त निर्माण की जिम्मेदारी किस अवर अभियन्ता को दी गयी थी ? क्या यह सही है कि उपरोक्त लाइन से सम्बन्धित कार्य क्षेत्र विद्युत कार्य खण्ड वाराणसी के अन्तर्गत आता है ? यदि हां, तो यह कार्य किसी अन्य खण्ड से कराये जाने का क्या कारण है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

रु० 31,42,966.00 दिनांक 28-7-94 को । उक्त लाइन का निर्माण नगरीय विद्युत निर्माण खण्ड, द्वितीय, वाराणसी द्वारा किया गया है ।

लाइन के निर्माण की जिम्मेदारी श्री देवदत्त शर्मा, अवर अभियन्ता को दी गयी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

32–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में बांबतपुर एयरपोर्ट (वाराणसी) में 11 के० वी० तरना (भेल) बाबतपुर लाइन का निर्माण किसके द्वारा कराया गया और इसके निर्माण की अवधि क्या थी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्य किस ठेकेदार द्वारा सम्पन्न हुआ ? इसके लिये

कुल कितना भुगतान किया गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त लाइन के निर्माणकर्ता ठेकेदार को कांट्रेक्ट के भुगतान के अतिरिक्त सीमित कोटेशन पर आधारित वर्क आर्डर पर भी अलग से भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या यह भी सही है कि उक्त लाइन के निर्माण की अवधि में संबंधित अवर अभियन्ता या अन्य कर्मचारियों द्वारा उक्त लाइन के निर्माण के मद में टी०आई० के रूप में कोई खर्च दर्शाया गया ? क्या बाहरी व्यक्ति के नाम टी० आई० के रूप में कोई खर्च दर्शाया गया ? क्या बाहरी व्यक्ति के नाम टी० आई० खोली जा सकती है ? यदि हां, तो कितने की टी० आई० खोली गई और किसके नाम पर ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1995-96 में तरना से बावतपुर 11 के० वी० लाइन का निर्माण नगरीय विद्युत निर्माण खण्ड द्वितीय वाराणसी के अन्तर्गत कार्यरत श्री देव व्रत शर्मा, अवर अभियन्ता द्वारा कराया गया । लाइन के निर्माण की अवधि 22-12-94 से 31-10-95 तक थी ।

यह कार्य मैसर्स मनीष इंजीनियरिंग कं० सी20/1-87, रमाकान्त नगर, वाराणसी द्वारा किया गया इस कार्य हेतु उपरोक्त फर्म को रु० 75,690.00 का भुगतान किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1995 में बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी के लिये 11 के० वी० तरना बाबतपुर लाइन का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ और कार्य पूरा होने के बाद से अब तक यह लाइन कुल कितने घण्टे आपरेशन में रही और इस लाइन से बावतपुर एयरपोर्ट को कुल कितने घण्टे सप्लाई दी गयी ? क्या यह सही है कि इस नवनिर्मित लाइन से बाबतपुर एयरपोर्ट को अभी तक विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उरोक्त लाइन की कुल लम्बाई कितनी है ? क्या इसकी लम्बाई और गुणवत्ता की जांच किसी कमेटी अथवा स्वतंत्र एजेन्सी से करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

बावतपुर एयरपोर्ट वाराणसी के लिये 11 के० वी० तरना बाबतपुर लाइन का निर्माण कार्य 31-10-95 को पूरा हुआ । कार्य पूरा होने के समय से अब तक लाइन विद्युत भार पर आपरेशन में नहीं रही । इस लाइन से बावतपुर एयरपोर्ट को विद्युत सप्लाई नहीं की गयी है ।

जी हां ।

नक्शे की खराबी के कारण लाइन की लम्बाई 14.2 किमी है ।

मुख्य अभियंता, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी द्वारा गठित कमेटी द्वारा जांच करायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गढ़वाल परिक्षेत्र में विद्युत प्रशिक्षुओं की भर्ती का मामला

34–श्री हरवंश कपूर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल परिक्षेत्र में कितने बेरोजगार विद्युत प्रशिक्षु हैं ? गढ़वाल परिक्षेत्र में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन रिक्त पदों पर बेरोजगार प्रशिक्षुओं की भर्ती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के गढ़वाल परिक्षेत्र में विभिन्न पदों में कुल 557 बेरोजगार विद्युत प्रशिक्षु है ।

गढ़वाल परिक्षेत्र में समूह ''ग'' में 225 तथा समूह ''घ'' में 322 कुल 547 पद रिक्त है ।

समूह ''घ'' के श्रमिकों के सभी रिक्त पदों को भरने हेतु चयन की कार्यवाही विद्युत सेवा आयोग द्वारा की जा रही है । विद्युत सेवा आयोग ने इस संबंध में रोजगार समाचार में विज्ञापन भी दिये है । तत्सम कार्यवाही समूह ''ग'' के अवर अभियन्ता, सहायक लेखाकार व टेक्नीशियन ग्रेड-दो (विद्युत) के

पदों के सम्बन्ध में भी की जा रही है । इन पदों के चयन में बेरोजगार प्रशिक्षुओं को नियमानुसार वरीयता प्रदान की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में उमरासू से धिण्डवाड़ 10 कि०मी० मोटर मार्ग के निर्माण का मामला

35–श्री भारत सिंह रावत–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनप पौड़ी गढ़वाल में उमरासू से धिण्डवाड़ 10 कि०मी० मोटर मार्ग की स्वीकृति शासन द्वारा विगत पांच वर्षों में दो बार प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृति के उपरान्त धन आवंटित न किये जाने पर स्वीकृतियां स्वयं समाप्त हो गयी हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क की स्वीकृति के उपरान्त कई सड़कों का निर्माण कार्य भी आरम्भ हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के लिये धन आवंटित करेगी और निर्माण कार्य आरम्भ कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी मैनपुरी एवं प्रशासक, नगर पंचायत कुरावली द्वारा सड़क अनुदान की निविदायें बिना बोर्ड की स्वीकृति के स्वीकृत करने का प्रकरण

36–श्री मानिक चन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० नगर पालिका अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत रु० तीन हजार से ज्यादा की सभी संविदाओं में बोर्ड की स्वीकृति होना वैधानिक अनिवार्यता है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी मैनपुरी एवं प्रशासक, नगर पंचायत कुरावली द्वारा 5 लाख रुपये सड़क अनुदान की निविदायें बिना बोर्ड की स्वीकृति के स्वीकृत की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रस्ताव बोर्ड द्वारा प्राप्त हुआ था । शिकायत प्राप्त होने पर उसे निरस्त किया गया । तदोपरान्त बोर्ड के आपसी विवाद को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासक द्वारा आमंत्रित निविदाओं को तत्कालीन जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में वक्फ बोर्ड की चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी तथा अवैध कब्जा हटाने की मांग

37–श्री बांके लाल सोनकर–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में वक्फ बोर्ड की कितनी चल-अचल सम्पत्ति है ? उसका विवरण क्या है ? क्या वक्फ बोर्ड की अचल सम्पत्ति पर अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो उसको हटाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा गजनफर अली–

जनपद जौनपुर में सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं शिया वक्फ बोर्ड की अपनी कोई चल-अचल सम्पत्ति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला टिहरी गढ़वाल में टिपरी पेयजल पम्पिंग योजना के निर्माण का मामला

38–श्री लाखी राम जोशी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल में टिपरी पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण कार्य जो अधूरा पड़ा है, उसको कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

टियरी पेयजल पम्पिंग योजना के निर्माण का कार्य टिहरी जल विकास निगम द्वारा वांछित अवशेष धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर पूर्ण किया जाएगा ।

जनपद चम्पावत की धाम-दूयूरी पेयजल योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने का मामला

39–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चम्पावत जनपद की धाम-दूयूरी पेयजल योजना जो 7 कि०मी० लम्बी है, का निर्माण पूरा हो चुका है ? इस पेयजल योजना की लागत क्या है ? कितने गांव लाभान्वित होंगे ? यदि नहीं, तो क्या योजना पूरी न होने की जांच सरकार करायेगी ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

इस योजना की लागत रु० 31.46 लाख है ।

योजना के अन्तर्गत 20 लोग लाभान्वित होंगे ।

जी, हां ।

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ के पत्रों द्वारा बिलिंग प्रक्रिया को संशोधित करने की मांग

40–श्री जय प्रकाश निषाद तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ने अपने पत्र संख्या–213, 214, 215, 216 दिनांक 25-1-95 के द्वारा बिलिंग प्रक्रिया में सुधार के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण एवं उपभोक्ताओं के शोषण तथा विद्युत परिषद् को आर्थिक हानि से बचाने विषयक पत्र जो कि सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच किसके द्वारा की गयी ? संघ के सुझाव का पालन न करने के क्या कारण रहे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

इस प्रकरण में कोई जांच अपेक्षित नहीं है ।

परिषद् द्वारा किसी सुझाव पर निर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर परिषद् के हित में लिया जाता है ।

41–श्री हरदेव सिंह–

[2रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत पनकी तापीय परियोजना में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 1991-92 तथा 1992-93 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति

42–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० रा० वि० परिषद् के अन्तर्गत पनकी तापीय परियोजना में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों ने वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त की है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति की वसूली दिनांक 27-1-95 को परिषद् द्वारा स्थगित क्यों किया गया ? कब तक वसूली कर ली जायेगी ?

श्री नरेश चद्र अग्रवाल–

पनकी तापीय परियोजना में वर्ष 1991-92 में 10 अधिकारियों तथा 292 कर्मचारियों (कुल 302) ने तथा वर्ष 1992-93 में 9 अधिकारियों एवं 272 कर्मचारियों (कुल 281) ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त किया है ।

श्रीमती मीना कटियार, सहायक अध्यापिका को उनके पति श्री रामेश्वर कटियार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की स्वीकृति पश्चात् कुछ अनियमितता प्रकाश में आने पर यह स्वीकृति निरस्त कर दी गयी और चिकित्सा प्रतिपूर्ति की इस धनराशि की वसूली के आदेश किये गये जिसे दिनांक 27-1-95 को स्थगित किया गया । जांचोपरान्त आरोप/अनियमितता सत्य पाये जाने पर पुनः दिनांक 8-1-99 को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की उक्त धनराशि के वसूली आदेश पारित किये गये ।

कार्यवाही प्रगति पर है ।

43–श्री राजधारी–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

44–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

जनपद मथुरा, राजपुर बांगर स्थित अनुसूचित जाति की किशोरपुरा, गांधीनगर व तहसील व जिला मथुरा की गलत तथ्यों पर की गयी भूमि अधिग्रहण को उचित ठहराने की शिकायत

45–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित राजपुर बांगर स्थित अनुसूचित जाति की किशोरपुरा, गांधीनगर व तहसील व जिला मथुरा की गलत तथ्यों पर की गयी भूमि अधिग्रहण को उचित ठहराने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठ का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम०–3/8465/मथुरा/98. दिनांक 28-3-98 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

विधायक कोष्ठक का उक्त पत्र मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ।

जांच में सन्दर्भित शिकायत में उल्लिखित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया । इसी प्रकरण की एक अन्य जांच में भू-अधिग्रहण का अपूर्ण प्रस्ताव भेजे जाने हेतु श्री आर० एस० भटनागर तत्कालीन विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी की त्रुटि पायी गयी है जिसे यथोचित कार्यवाही हेतु नियुक्ति विभाग को सन्दर्भित कर दिया गया है ।

गायत्री विहार त्रिवेणी नगर–III, निकट सिंह टिम्बर स्टोर, सीतापुर रोड, लखनऊ में सम्पर्क मार्ग बनाने के सम्बन्ध में विधान सभा के सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्र एवं कृत कार्यवाही

46–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के चौथे शुक्रवार दिनांक 10-7-98 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–148 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त कार्य कराया जाना वरीयता क्रम में किस नम्बर पर है तथा आगणन कितनी धनराशि का बना है ? कार्य सम्पन्न कराने हेतु धन कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप शासन से नगर निगम को प्राप्त होने वाली धनराशि में कटौती हो जाने के कारण अभी कार्यों का वरीयताक्रम निर्धारित नहीं किया गया है । आगणन रु० 10.80 लाख का बना है ।

धन की उपलब्धता के आधार पर प्रकरण मा० नगर निगम के सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा एवं स्वीकृति के उपरान्त धन उपलब्ध कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवन संख्या 1/812 से 1/818 के सामने स्थित पार्क में डिगडिगा गांव के लोगों का अनधिकृत कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हटवाने का मामला

47–श्री शिव सिंह चक–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि भवन संख्या 1/812 से 1/818 के सामने स्थित पार्क में डिगडिगा गांव के लोगों का अनधिकृत कब्जा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक नहीं हटवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क गांव वालों को मवेशी पालने एवं कण्डा थापने हेतु आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत कब्जा हटा दिया गया है ।

जी नहीं ।

मवेशी पालने एवं कण्डा थापने के लिए इस पार्क को आवंटित किया जाना नियमित तथा वांछनीय न होगा ।

विशाल खण्ड–1 के आवासीय भवनों में दुकान निकालकर व्यवसायिक उपयोग करने की शिकायत

48–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–75 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विशाल खण्ड–1 के किन-किन आवासीय भवनों में दुकान निकाल कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है ? क्या इन भवन स्वामियों को व्यवसायिक उपयोग की अनुमति लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दी गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कितनी-कितनी धनराशि प्राधिकरण खाते में जमा करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

विशाल खण्ड–1 के भवन संख्या–1/5, 1/6, 1/052, 1/63, 1/67, 1/353, 1/354, 1/571, 1/592, 1/668, 1/273, 1/791, 1/791-ए, 1/790, 1/770, 1/771, 1/722, 1/1030, 1/1047,

1/1046 एवं 1055 कुल 21 आवासीय भवनों में दुकान निकाल कर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

भवन संख्या 1/812 से 1/818 के सामने स्थित पार्क को पूर्ण विकसित करने की मांग

49–श्री शिव सिंह चक–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं०–76 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भवन संख्या 1/812 से 1/818 के सामने स्थित पार्क को पूर्ण विकसित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पार्क में कौन-कौन से विकास कार्य प्रस्तावित हैं ? पार्क कब तक विकसित करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

शासन के समक्ष कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्क के विकास से सम्बन्धित सिविल कार्य करा दिया गया है तथा औद्यानिक कार्य कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा दी जा चुकी है।

ग्राम मेहनुआ, ग्राम सभा चिउटहा, विकास खण्ड खेसरहा, तहसील बांसी, जिला सिद्धार्थनगर का विद्युतीकरण

50–श्री शिव सिंह चक–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम मेहनुआ, ग्राम सभा चिउटहा, विकास खण्ड खेसरहा, तहसील बांसी, जिला सिद्धार्थनगर का विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी आदेश मा० ऊर्जा मंत्री के पत्र संख्या–4990/ वी०आई०पी०/98, दिनांक 23 जुलाई, 1998 द्वारा सदस्य वितरण उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् शक्ति भवन, लखनऊ को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त गांव का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

ग्राम मेहनुआ के विद्युतीकरण के लिए मुख्य अभियन्ता (वितरण) गोरखपुर को आदेश दिये गये हैं कि ग्राम का विद्युतीकरण जनपद के लक्ष्य के विरुद्ध चयनित करवा कर करें।

प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम का विद्युतीकरण जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयन करने के उपरान्त किया जायेगा।

मोतीझील सचिवालय कालोनी ऐशबाग, लखनऊ की सफाई व्यवस्था

51–श्री छोटे लाल गंगवार मास्टर–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोतीझील सचिवालय कालोनी ऐशबाग, लखनऊ में वर्तमान समय में गन्दगी व्याप्त है तथा वहां बहने वाले नाले की सफाई विगत कई वर्षों से न होने के कारण उसका गन्दा पानी कालोनी में इकट्ठा रहता है जिससे भयंकर बीमारियां फैलने की आशंका है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की नियमित सफाई कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । इस क्षेत्र में किसी भी संक्रामक रोग होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है । कालोनी के आसपास के क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था एवं कीट नाशक दवाओं का छिड़काव कराया जाता है ।

नाले की सफाई करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, टिकैतराय सचिवालय कालोनी के कटिया कनेक्शनों को मीटर में बदलने की शिकायत

52–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रदेश में कटिया कनेक्शन देने एवं एक माह तक बिल न लिये जाने का अभियान चलाया गया है ? यदि हां, तो लखनऊ के अन्तर्गत टिकैतराय सचिवालय कालोनी में जिन व्यक्तियों ने कटिया कनेक्शन लिए थे क्या उनके आवासों में मीटर लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप तत्काल मीटर लगवायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत चोरी रोकने के लिए प्रदेश में कटिया कनेक्शन के नियमितीकरण का अभियान चलाया गया था जिसके अन्तर्गत कटिया कनेक्शन के नियमितीकरण पर कोई जुर्माना न लिए जाने का प्राविधान था परन्तु इसमें एक माह तक बिल न लिए जाने का कोई प्राविधान नहीं था ।

जी हां, केवल वही आवास बाकी हैं, जिनमें मीटर लगाते समय ताला बन्द पाया गया । जिन उपभोक्ताओं के आवास, मीटर लगाते समय बन्द पाये गये हैं, उनको नियमानुसार आवश्यक नोटिस देकर मीटर लगाने की कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जैसे ही उपभोक्ता उपलब्ध होंगे, नियमानुसार उनके मीटर लगा दिये जायेंगे । अतः समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गायत्री विहार त्रिवेणी नगर–III, निकट सिंह टिम्बर स्टोर, सीतापुर रोड, लखनऊ के सम्पर्क मार्ग बनाने की मांग

53–श्री गोरखनाथ पाण्डेय तथा श्री राजेश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गायत्री विहार त्रिवेणी नगर–III निकट सिंह टिम्बर स्टोर सीतापुर रोड लखनऊ में सम्पर्क मार्ग बनाने हेतु नगर विकास राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन का पत्र दिनांक 7-8-1998 मुख्य नगर अधिकारी लखनऊ को तथा सभापति आश्वासन समिति का पत्र दिनांक 22-8-98 मुख्य नगर अधिकारी लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्रों में उल्लिखित मांग के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मांग कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

आगणन धनांक रु० 10.80 लाख का तैयार कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

धन की उपलब्धता पर वरीयता क्रम में कार्य कराये जाते हैं ।

वाराणसी के शहर में ट्रान्सफार्मर एवं कण्डक्टर की कमी से विद्युत आपूर्ति में हो रहे व्यवधान

54–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री वाराणसी के शहर दक्षिण क्षेत्रान्तर्गत ट्रान्सफार्मर एवं विभिन्न प्रकार के कण्डक्टर की घोर कमी से विद्युत आपूर्ति में हो रहे व्यवधान के सम्बन्ध में विभाग द्वारा निर्गत अर्द्ध० शा० पत्र संख्या–2082पी/398/24-2(नि० 301)/पी/98, दिनांक 4 सितम्बर, 1998 के सम्बन्ध में कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में विद्युत प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने हेतु कौन से विभिन्न प्रकार के पैकेज स्वीकृत किये गये हैं और कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शेष कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वाराणसी शहर में वर्ष 1998-99 में विद्युत प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने हेतु निम्न कार्यों के पैकेज स्वीकृत किये गये :–

12 नग नये 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण ।

5 नग 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों की 250 के०वी०ए० से 400 के०वी०ए० तथा 3 नग उपकेन्द्रों में 400 के०वी०ए० से 630 के०वी०ए० की क्षमता वृद्धि ।

विभिन्न क्षेत्रों में एल० टी० लाइनों की स्ट्रन्यनिगंथग ।

33 के०वी० की लाइन शंकुलधारा से भदेनी उपकेन्द्र का निर्माण ।

11 के०वी० सुन्दरपुर एवं चितईपुर फीडरों को जोड़ने का कार्य ।

निम्न कार्य पूर्ण हो चुके हैं :–

2 नग, 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण ।

3 नग, 11/0.4 के०वी० 250 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि 400 के०वी०ए० तथा एक नग 400 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि 630 के०वी०ए० का कार्य ।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के जलभराव को रोकने तथा क्षेत्र संख्या–242 दक्षिणी वाराणसी के जल भराव का निदान

55–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव की समस्या एवं जल भराव के कारण फैली गन्दगी के निदान हेतु शासन द्वारा प्राप्त 10 करोड़ रुपये से जनपद वाराणसी के अंश में कितने रुपये दिये गये हैं ? क्या उक्त धन से किये गये कार्यों की सूची सरकार उपलब्ध करायेगी ? क्या प्रश्नकर्ता के 242–दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र हेतु आवंटित धनराशि से खराब सीवरों को बदलने एवं जल भराव होने वाले क्षेत्रों में निदान हेतु कार्य सम्पन्न करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्न में वर्णित धनराशि में से बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त ड्रेनेज की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु नगर निगम, वाराणसी को 50.00 लाख रु० की धनराशि दी गयी है ।

प्रश्नगत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सूची संलग्न है ।

वाराणसी जनपद के लिए आवंटित 50.00 लाख की धनराशि को संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए पहले ही आवंटित किया जा चुका है, पुनश्च इसे शहर की ट्रंक सीवर लाइनों का सुदृढ़ीकरण गंगा कार्य योजना फेज–2 में प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 140 पर)

बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी में तरना विद्युत उपकेन्द्र निर्माण कराने वाले अवर अभियन्ता के नाम टी०आई० न खोलने की शिकायत

56–श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1995 में बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तरना (भेल) से 11 के०वी० की स्वतन्त्र लाइन के निर्माण कराने वाले अवर अभियन्ता के नाम से फरवरी, 1998 में न०वि०वि०ख० द्वितीय में एक टी०आई० खोली गयी है ? यदि हां, तो कितने रुपये की और किस कार्य हेतु ? क्या किसी बाहरी व्यक्ति के नाम खण्ड द्वारा टी०आई० खोली जी सकती है ? यदि नहीं, तो सम्बन्धित दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं । तरना विद्युत लाइन निर्माण कराने वाले अवर अभियन्ता के नाम फरवरी, 1998 में कोई टी०आई० नहीं खोली गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी बाहरी व्यक्ति के नाम टी० आई० नहीं खोली गया ।

टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत परियोजना विद्युत नगर अम्बेडकर नगर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत /जांच आख्या

57–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दिनांक 16-8-90 को अपने पत्र संख्या 777ए/यू०पी०एस०ई०बी०–85/सी०/90, दिनांक 16-8-90 द्वारा टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत परियोजना विद्युत नगर अम्बेडकर नगर में कार्यरत किसी अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों हेतु जांच कमेटी बनायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त समिति के जांच अधिकारी द्वारा जांच की गयी ? यदि हां, तो क्या ? क्या जांच में उक्त शिकायतें सत्य पायी गयीं ? यदि हां, तो उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध जांच के आधार पर क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

शिकायत में इंगित बिन्दुओं की जांच की गयी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ जनपद के कैन्ट रोड पर नगर निगम की सहमति से निर्माण का मामला

58–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान स्वीकृत मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हुए लखनऊ जनपद के कैन्ट रोड पर नगर निगम की सहमति से कौन-कौन से निर्माण कार्य वर्ष 1995 से अब तक हो चुके हैं ? उन्हें कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । नगर निगम कार्यकारिणी के संकल्प संख्या–159, दिनांक 15-1-94 के अनुक्रम में 10 विस्थापित लोगों को दुकानें बनाने हेतु अस्थायी रूप से किराये पर आवंटित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० देहरादून द्वारा श्री शिवदत्त पसबोला के भूखण्ड के आवंटन का मामला

59–श्री भारत सिंह रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० देहरादून द्वारा श्री शिव दत्त पसबोला को भूखण्ड आवंटित किये जाने की कोई सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो भूखण्ड आवंटन की सूचना न होने पर उनके द्वारा रुपया 7000.00 (सात हजार रुपया) अग्रिम धन जमा किया जाना किस प्रकार अपेक्षित था ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समिति की प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 2-12-1973 एवं दिनांक 10-3-74 के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो सदस्य भूखण्ड प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनको इस हेतु रु० 7000/- अग्रिम के रूप में समिति में जमा करना होगा, तभी वह भूखण्ड आवंटन के पात्र होंगे । इस प्रकार समिति द्वारा बनायी गयी नीति के अन्तर्गत अंकन रु० 7000/- अग्रिम धन जमा किया जाना अपेक्षित था ।

दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० बसन्त बिहार देहरादून के आवंटन का मामला

60–श्री भारत सिंह रावत–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लि० बसन्त बिहार, देहरादून द्वारा वर्ष 1983 के उपरान्त किन-किन व्यक्तियों को भूखण्डों का आवंटन किया गया है ? क्या यह सही है कि पात्र सदस्यों की अनदेखी करके अपात्र व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी आवंटियों की सूची उनके सदस्यता के पंजीकरण की तिथि सहित सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लाल जी टण्डन–

दून वैली आफिसर्स कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बसन्त बिहार, देहरादून द्वारा वर्ष 1983 के उपरान्त वर्ष 1987 में 19 व्यक्तियों को संलग्न सूची ''अ'' के अनुसार भूखण्डों का आवंटन किया गया है ।

जी नहीं ।

आवंटियों की सूची उनकी सदस्यता के पंजीकरण की तिथि तथा आवंटन की तिथि सहित संलग्न है। (संलग्न सूची "अ")

(देखिये नत्थी "ग" आगे 141 पृष्ठ पर।)

श्री राम चन्दर यादव, सदस्य, विधान सभा के क्षेत्र में पांच गांवों के विद्युतीकरण का मामला

61–श्री राम चन्दर यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह 9/1998 में उनके विधान सभा क्षेत्र के पांच ग्रामों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर कराने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

माननीय विधायक जी द्वारा संशोधित 5 ग्रामों को ले लिया गया है। इनका विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष में होने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

मो० सराय थोक, पश्चिमी निवासी श्री रामजी बाजपेयी आदि द्वारा सड़क की नाली पर अवैध निर्माण करके दरवाजा लगाना

62–श्री विनोद मणि–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई नगर पालिका परिषद् सीमा अन्तर्गत मो० सराय थोक पश्चिमी निवासी श्री रामजी बाजपेयी आदि ने सड़क की नाली के बिल्कुल लगे बिना 1.20 मीटर सेट बैक छोड़े दीवाल व भवन का निर्माण करके दरवाजा अवैधानिक ढंग से लगा लिया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अवैध निर्माण को हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्नगत निर्माण कार्य पुरानी दीवालों पर एक कमरे की छत का पुनर्निर्माण कार्य है, जिसके लिए सेटबैक 1.20 मीटर छोड़े जाने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई की प्राइमरी पाठशाला गौरी खालसा ब्लाक कछौना में मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति का भुगतान

63–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की प्राइमरी पाठशाला गौरी खालसा ब्लाक कछौना में वर्ष 1997-98 का मुस्लिम बच्चों के छात्रवृत्ति का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा छात्रवृत्ति का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा गजनफर अली–

जी हां।

जनपद हरदोई प्राइमरी पाठशाला गौरी खालसा ब्लाक कछौना द्वारा वित्तीय वर्ष 1997-98 में कोई भी छात्रवृत्ति का मांग-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

प्रश्न ही नही उठता ।

नगर हरिद्वार में जुलाई-अगस्त, 1998 में खराब पानी की जांच हेतु नमूनों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

64–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर हरिद्वार में जुलाई-अगस्त, 1998 में पेयजल के कुछ नमूने लिए गये थे जिनमें अधिकांश में क्लोरीन नहीं पायी गयी तथा कुछ नमूनों में जांच का यह निष्कर्ष आया कि पानी पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । 4 अगस्त, 98 को विभिन्न स्थानों से एकत्र पेयजल के दो नमूने, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, लखनऊ की परीक्षण रिपोर्ट में असन्तोषप्रद पाये गये थे ? पुनः उन्हीं स्थलों के दिनांक 21 सितम्बर, 1998 को एकत्र किये गये नमूने परीक्षण रिपोर्ट में उत्तम पाये गये ।

दिनांक 4 अगस्त, 1998 को एकत्र 02 नमूने जो असन्तोषप्रद पाये गये उनके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कराने हेतु जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के सुमित्रा जेतली शिवशंकर टण्डन कन्या विद्यालय के पुराने भवन को ही नक्शे में प्रमाणित करने की शिकायत

65–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर परिषद् अकबरपुर, जनपद–अम्बेडकर नगर को श्री प्रियदर्शी जेतली अध्यक्ष, सुमित्रा गणेश जेतली संस्थान अकबरपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-2-1997 जो सुमित्रा जेतली शिव शंकर टण्डन कन्या विद्यालय के पुराने भवन को गिराने से पूर्व पुराने भवन में खिड़की रोशनदान जिन कमरों में जिस प्रकार बना था का निरीक्षण कर पुराने भवन के नक्शे को प्रमाणित करने को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या दिनांक 5-2-97 को मौका निरीक्षण कर इसे प्रमाणित किया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित प्रार्थना-पत्र व निरीक्षण कर नक्शा प्रमाणित की प्रतिलिपि को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

उपर्युक्त प्रार्थना-पत्र पर विचारोपरान्त मौका निरीक्षण कर भवन के नक्शे को प्रमाणित किया गया है । अतएव प्रार्थना-पत्र व प्रमाणित नक्शे की प्रति रखे जाने का कोई औचित्य स्थापित नहीं होता है ।

लखनऊ नगर निगम के पार्क शादी/विवाह में या अन्य समारोह में उठाये जाने की दशा में नगर निगम को हो रही आमदनी की जानकारी

66–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के कौन-कौन से पार्क शादी/विवाह एवं अन्य समारोह हेतु किराये पर उठाये जाते हैं ? उससे नगर निगम को वर्ष 1997-98 में कितनी आय हुई ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ नगर निगम द्वारा निम्नलिखित कुल 17 पार्क किराये पर उठाये जाते हैं :–

1–माडल मान्टेसरी स्कूल पार्क ।

2–दया निधान पार्क, लालबाग ।

3–निराला नगर ठेडी पार्क ।

4–शिवाजी पार्क, इन्दिरा नगर ।

5–बाबू बनारसी दास नगर स्थित पुराना किला बड़ी पार्क ।

6–महानगर गोल मार्केट स्थित चन्द्रशेखर आजाद पार्क ।

7–इन्दिरा नगर स्थित भवन संख्या–डी–1205 के सामने पार्क ।

8–शंकर नगर पार्क ।

9–निराला नगर स्थित विवेकानुजपुरी पार्क ।

10–महानगर स्थित के० पार्क ।

11–महानगर स्थित एल० पार्क ।

12–इन्दिरा नगर स्थित भवन संख्या–बी०–1332 के सामने पार्क ।

13–निराला नगर स्थित पटेल पार्क ।

14–इन्दिरा नगर स्थित भवन संख्या–13/51 के सामने पार्क ।

15–इन्दिरा नगर स्थित भवन संख्या–सी०–727 के सामने पार्क ।

16–मोती नगर तिकोना पार्क ।

17–विकास नगर सेक्टर–5 स्थित कैरियर कान्वेन्ट के पीछे पार्क किराये पर उठाये जाते हैं ।

वर्ष 1997-98 में उक्त पार्कों को किराये पर उठाने के फलस्वरूप कुल रुपया 1,07,750.00 मात्र की आय प्राप्त हुई ।

टाण्डा तापीय परियोजना के महाप्रबन्धक/उच्च अधिकारियों पर करोड़ों रु० के घपले की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

67–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत टाण्डा तापीय परियोजना के महाप्रबन्धक एवं उच्च अधिकारियों की जानकारी में करोड़ों रुपये की क्षति कराने सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 8-7-98 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रकरण परिषद् की सतर्कता इकाई को जांच हेतु सन्दर्भित किया गया है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

लखनऊ महानगर में स्ट्रीट लाइट का तार उपलब्ध न होने के कारण करोड़ों रुपये की विद्युत यूनिट के अपव्यय की शिकायत तथा कार्यवाही की मांग

68–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्ट्रीट लाइट का तार उपलब्ध न होने के कारण करोड़ों रुपये की विद्युत यूनिट अपव्यय सम्बन्धी श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 30-8-98 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

लखनऊ महानगर क्षेत्र के जिन क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के तार नहीं लगाये गये हैं उनका सर्वे कराकर तथा आवश्यक वांछित धनराशि का आंकलन कर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं कार्यों का पारस्परिक वरीयतानुसार स्ट्रीट लाइट के तार लगाया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु उपायों की जानकारी

69–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने हेतु उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? क्या यह सत्य है कि जिसके विरुद्ध जांच होती है उसी से जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? आर्थिक भ्रष्टाचार/प्रशासनिक अनियमितता सम्बन्धी मामलों की जांच किसी स्वतन्त्र एजेन्सी/राज्य सतर्कता अधिष्ठान से करवायी जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में कितने मुख्य अभियन्ता स्तर–प्रथम/द्वितीय अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच सौंपी गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए परिषद् के अधीन शासन द्वारा गठित सतर्कता इकाई स्थपित है । परिषद् ने केन्द्रीय स्तर पर रेड यूनिट तथा अंचल स्तर पर राजस्व निरीक्षण इकाइयों का भी गठन किया है । इसके अतिरिक्त परिषद् स्तर पर विद्युत क्वालिटी एश्योरेंश एवं तकनीकी परीक्षण संगठन स्थापित किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

किसी भी स्रोत से प्राप्त आर्थिक भ्रष्टाचार/प्रशासनिक अनियमितता सम्बन्धी मामलों की जांच जिसके विरुद्ध की जानी होती है उसके स्तर से सामान्यतः दो स्तर ऊपर के अथवा अन्यथा की स्थिति में कम से कम एक स्तर ऊपर के अधिकारी से जांच करायी जाती है । विशिष्ट मामलों में आरोपों को गम्भीरता एवं प्रकृति को देखते हुए शासन द्वारा सतर्कता अधिष्ठान अथवा किसी अन्य स्वतन्त्र एजेन्सी से भी जांच कराने का निर्णय लिया जाता है ।

वर्ष 1996-97 एव 1997-98 में 21 मुख्य अभियन्ता स्तर प्रथम/द्वितीय, 16 अधीक्षण अभियन्ताओं, 44 अधिशासी अभियन्ताओं तथा 36 सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध जांचें सौंपी गयी हैं ।

लखनऊ के कस्बे आबिद वार्ड की सड़क को पुनर्निर्माण कराने का मामला

70–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के कस्बे आबिद वार्ड के अन्तर्गत मैदान एल०एच० खां की सड़क जो नवाब रहेबर साहब के मकान से होकर अण्डर ग्राउण्ड पानी की टंकी की ओर जाती है, कितने वर्ष पूर्व बनी थी ? क्या उक्त सड़क पर बनी बाउण्ड्री वाल को अतिक्रमण अभियान के तहत तुड़वा कर उक्त जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत सड़क लगभग 10 वर्ष पूर्व बनी थी ।

जी हां ।

बाउण्ड्री वाल का भाग तोड़ दिया गया है । सड़क का पुनर्निर्माण धन की उपलब्धता के आधार पर वरीयता क्रम में नगर निगम के सदन/कार्यकारिणी की स्वीकृति के उपरान्त कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71–श्री हरदेव सिंह–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अभिलेखों में जालसाजी विषयक शिकायती-पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

72–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अभिलेखों में जालसाजी विषयक श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 1-5-98 एवं 16-4-98 जो कि मुख्य मंत्री, उ० प्र० एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्रों में उल्लिखित अभिलेखों में कथित जालसाजी की जांच परिषद् की सतर्कता इकाई से करायी जा रही है । जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् जिला महामायानगर एवं विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बुलन्दशहर के विद्युत उपकेन्द्रों पर नशे में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर छापा/दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

73–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत उपकेंद्रों पर नशे में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रोकने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ? 11 के० वी० सबस्टेशन साखनी जिला महामाया नगर एवं विद्युत वितरण खण्ड–द्वितीय बुलन्दशहर के विद्युत उपकेन्द्रों पर कार्यरत टेक्नीशियन ग्रेड–II, लाइन मैन कुली तथा लेसू, लखनऊ के विद्युत उपकेन्द्रों पर अचानक छापा डालकर कठोर कार्यवाही किये जाने संबंधी श्री ब्रज भूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 15-5-98 एवं 16-5-98 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० एवं मुख्य मंत्री को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

73–डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों के नशे में पाए जाने के संबंध में कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है ।

मा० विधायक का पत्र दिनांक 15-5-98 प्राप्त हुआ है परन्तु दिनांक 16-5-98 का पत्र नहीं प्राप्त हुआ है ।

माननीय विधायक के पत्र दिनांक 15-5-98 पर आवश्यक जांच कर कार्यवाही करने हेतु मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता आगरा क्षेत्र को निर्देशित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

220 के० वी० उपकेन्द्र आगरा के 4 कक्षीय फील्ड हास्टल पर अवैध कब्जा विषयक पत्र तथा जांच आख्या की जानकारी

74–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ताज ट्रैपोजियम आगरा परियोजना में अरबों की लूट एवं 220 के० वी० उपकेन्द्र आगरा के 4 कक्षीय फील्ड हास्टल पर अनाधिकृत कब्जा संबंधी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 10-7-97 जो मा० मुख्य मंत्री उ० प्र० एवं अध्यक्ष उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित है, प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा मा० सांसद का मात्र 220 के० वी० उपकेन्द्र आगरा के 4 कक्षीय फील्ड हास्टल पर अनाधिकृत कब्जा विषयक दिनांक 10-7-98 का पत्र प्राप्त हुआ है ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच करा ली गयी है । जांच के अनुसार इस प्रकरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में मस्टर रोल/दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित करने का मामला

75–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने आदेश सं० 4822-अरा०9/रा०कि०प०/96/24–एन० जी०/96 दिनांक 28-11-96 द्वारा दिनांक 4-5-90 के पूर्व परिषद् में आये समस्त मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित रिक्त पदों पर सेवायोजित/नियुक्त करने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, (वाराणसी), एवं विद्युत वितरण खण्ड, भदोही में दिनांक 4-5-90 को तथा वर्तमान में मस्टर रोल/दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पद नाम व नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ? इनमें से किन-किन कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है और किस पद पर तथा किस तिथि से व किस खण्ड में ? शेष कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? वर्तमान में नगरीय विद्युत वितरण मण्डल वाराणसी तथा विद्युत वितरण खण्ड भदोही में मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को किस तिथि तक नियमित नियुक्ति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । दिनांक 4-5-90 के पूर्व परिषद् में आये एवं तभी से अब तक निरन्तर कार्यरत समस्त मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु निर्णय लिया गया है ।

नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी में 4-5-90 के पूर्व नियुक्त 242 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जा चुका है जिनकी सूची संलग्न (संलग्नक-तृतीय) है। 4-5-90 के पूर्व एवं तब से निरन्तर मस्टर रोल/दैनिक वेतन पर सम्प्रति तीन कर्मचारी कार्यरत है। उनके नाम, पदनाम व नियुक्ति की तिथियां संलग्नक (प्रथम) में अंकित है।

विद्युत वितरण खण्ड, भदोही में 4-5-90 के पूर्व नियुक्त किये गये 58 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयी थी जिन्हें मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 7-4-98 को पुनः दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी है। इनकी मूल नियुक्ति की तिथि संलग्न (संलग्नक–द्वितीय में) अंकित है।

उनमें से नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी में 242 कर्मचारियों को नियमित किया जा चुका है। जिनकी सूची (संलनक तृतीय)† है। अवशेष तीन कर्मचारियों को नियमति करने के संबंध में विद्युत सेवा आयोग से परीक्षाफल प्रतीक्षित है।

विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

यथा उपरोक्त।

जहां तक विद्युत वितरण खण्ड, भदोही के मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रश्न है यह प्रकरण सम्प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययिता के उद्देश्य से किये गये कार्य तथा परिषदीय सचिवालय में मिनिस्ट्रीयल अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या की जानकारी

76–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययिता के उद्देश्य से प्रासंगिक व्यय पर नियंत्रण हेतु वर्ष 1988 से वर्ष 1993 तक कितने आदेश किये गये ? क्या मंत्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि परिषदीय सचिवालय में कार्यरत (मिनिस्ट्रीयल) अधिकारियों/कर्मचारियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ? इनमें से कितनों को वाहन भत्ता मिल रहा है तथा 1-2-88 से मार्च, 1998 तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वाहन भत्ता का अनुमोदन विद्युत परिषद् के प्रबन्ध समिति अथवा परिषद् स्तर के किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों द्वारा भारी अनियमितता बरती गई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है उसके नाम, पद नाम व तैनाती स्थान क्या हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्रशासनिक कार्यों में मितव्ययिता के उद्देश्य से प्रासंगिक व्यय पर नियंत्रण हेतु वर्ष 1988 से वर्ष 1993 तक 24 परिषदादेश किये गये हैं ?

परिषदादेशों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय सचिवालय में कार्यरत (मिनिस्ट्रीयल) अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्नवत है :–

अधिकारी–74

कर्मचारी–623

कुल 65 अधिकारियों एवं 571 कर्मचारियों को वाहन भत्ता मिल रहा है। 1-2-88 से मार्च 1998 तक इस पर कुल रुपये 88,95,911.90 व्यय हुआ है।

अधिकारियों हेतु स्थानीय बहिर्गमन भत्ता एवं कर्मचारियों के लिये वाहन भत्ता का अनुमोदन सम्पूर्ण परिषद् द्वारा किया गया है।

† छापी नहीं गई।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी ''घ'' आगे पृष्ठ 142–143 पर)

नगर निगम के सभी पार्षदों के वेतन भत्ता आदि दिये जाने हेतु विधि बनाने का मामला

77–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम के सभी पार्षदों को वेतन भत्ता आदि दिये जाने हेतु विधि बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर निगम अधिनियम में प्राविधान नहीं है ।

नगर निगम वाराणसी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत का भुगतान कराने की सरकार की कार्यवाही की जानकारी

78–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश सं०–21518/9–1–93 शा०/88 दिनांक 21 मई, 1993 एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या–56ए/9–1–96–28 बी/94 दिनांक 30-1-95, 1149ए/9–7–97/29–3–94 दिनांक 22-4-96, 1756ए/9–7–96–28 बी/94 दिनांक 19-6-96 आदि की नगर निगम, वाराणसी द्वारा अवहेलना की जा रही है ? यदि हां, तो क्या वाराणसी नगर निगम के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को अविलम्ब मंहगाई राहत का भुगतान कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

नगर निगम अधिनियम की धारा 548(च) के अधीन निगम को सेवा निवृत्त वेतन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि निर्धारित करने हेतु विनियम बनाने का अधिकार है जिसके अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी द्वारा सेवा निवृत्त व मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सरकार की भांति महंगाई भत्ता व अन्तरिम राहत दिये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान कर 8 नवम्बर, 1997 को सरकारी गजट में प्रकाशित करा दिया गया है ।

80 प्रतिशत पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई भत्ता लगाया जा चुका है तथा 20 प्रतिशत पेंशनरों की पेंशन में उक्त भत्ता लगाने की कार्यवाही की जा रही है । अवशेष 20 प्रतिशत पेंशनरों की पेंशन में उक्त भत्ता लगाने की कार्यवाही 31 मार्च, 1999 तक पूरी कर ली जायेगी ।

जुलाई 1996 में केन्द्रीय ऊर्जा सचिव द्वारा बिजली बोर्डों की बैठक बुलाने के उद्देश्य की जानकारी

79–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि माह जुलाई, 1996 में केन्द्रीय ऊर्जा सचिव द्वारा बिजली बोर्डों की कोई बैठक बुलाई गई थी ? यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या था ? उक्त के संदर्भ में राज्य विद्युत परिषद् द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

इसका उद्देश्य उत्तरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के बारे में चर्चा करना था । राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निम्न कदम उठाये गये :–

1–तापीय उत्पादन इकाईयों में उत्पादन बढ़ाने के लिये की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप वर्ष 1998-99 में अप्रैल–दिसम्बर माहों की अवधि में पी०एल०एफ० 48.2 प्रतिशत रहा है, जोकि गत वर्ष इसी अवधि में 46.7 प्रतिशत था ।

2–वर्ष 1998-99 में लम्बी अवधि से बन्द पड़ी 305 मेगावाट क्षमता की तापीय इकाइयों को पुनः चालू किया गया है ।

3–टाण्डा तापीय विद्युत गृह में 110 मे० वा० क्षमता की चतुर्थ इकाई ने 1-7-98 से वाणिज्यिक भार पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ।

नगर निगम वाराणसी की पेंशन निधि को दूसरे मद में खर्च करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला

80–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर निगम, वाराणसी के पेंशन निधि की डिपाजिट राशि जो लगभग 70–75 लाख रुपये की है, उसको दूसरे मद में खर्च कर दिया गया है तथा प्रत्येक माह में कर्मचारियों के पेंशन अंशदान की देय राशि को पेंशन निधि में जमा न करके उसको भी दूसरे मदों में व्यय किया जा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

पेंशन निधि की डिपाजिट धनराशि को दूसरे मदों में खर्च नहीं किया गया है । इस निधि से सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं उपादान वितरित किये गये हैं ।

1 जून, 1996 से सितम्बर, 1997 तक पेंशन अंशदान की धनराशि पेंशन निधि में जमा होना शेष है । पेंशन अंशदान नगर निगम की आय से ही जमा किया जाता है । धनाभाव के कारण उक्त अवधि की पेंशन अंशदान की धनराशि जमा नहीं हुई है । माह अक्टूबर, 1997 से नियमित पेंशन अंशदान निधि में जमा हो रहा है ।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम सभा अफोइया, ब्लाक शाहगढ़, तहसील गौरीगंज में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराने का प्रकरण

81–श्री इलम सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–80 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर गांव के रूप में चयनित ग्राम सभा–अफोइया, ब्लाक–शाहगढ़, तहसील–गौरीगंज, जनपद–सुल्तानपुर में 12 खम्भों में तार लगाकर अगस्त, 1997 तक लाइन चालू करने का जो लक्ष्य था क्या वह पूरा हो गया है ? क्या यह सही है कि उक्त गांव में न तो अभी तक तार खींचा गया और न ही लाइन चालू की गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार शीघ्र ही तार खिंचवा कर लाइन चालू करने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत ग्राम सभा अफोइया विद्युतीकृत है । ग्राम में कोई विद्युत संयोजन न लिये जाने लाइन क्षतिग्रस्त हो जाने एवं सम्भावित चोरी की आशंका में क्षतिग्रस्त लाइन को पुनर्जीवित नहीं किया गया ।

जी हां । लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं अभी तक कोई विद्युत संयोजन न लेने के कारण नियमानुसार विद्युत आपूर्ति चालू नहीं की गयी ।

कोई कर्मचारी/अधिकारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यदि ग्राम में विद्युत के समुचित संयोजन के अनुबन्ध आ जाते हैं तो तार खिंचवा कर विद्युत चालू करने की कार्यवाही की जायेगी ।

लखनऊ के थाना खाला बाजार, भवानीगंज चौराहा पर अनधिकृत कब्जा व अतिक्रमण हटाने की मांग

82–श्री रामपाल वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ शहर के थाना खाला बाजार क्षेत्रान्तर्गत भवानी गंज चौराहा पर अनधिकृत कब्जा व अतिक्रमण को हटाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-7-1998 में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या कोई जांच करवाई गई ? यदि हां, तो क्या जांच में अतिक्रमण होना पाया गया है ? क्या उस अतिक्रमण को हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां, नगर निगम लखनऊ द्वारा जांच कराई गई ।

जी हां।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड पिहानी के ग्राम ललवापुर में विद्युतीकरण

83–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड पिहानी के ग्राम ललवापुर (ग्राम सभा दमगड़ा) जहां शत-प्रतिशत अनुसूचित जाति की आबादी है, का अब तक विद्युतीकरण न कराये जाने का क्या कारण है ? उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत ललवापुर कोडेड ग्राम नहीं है । यह ग्राम दमगढ़ा का मजरा है । अतः उक्त मजरे में अनुसूचित जाति संबंधी आबादी का विवरण प्राप्त नहीं है । मजरों के विद्युतीकरण हेतु पूर्व वर्ष में कोई योजना नहीं थी, इसलिये विद्युतीकरण नहीं हो पाया ।

इस वर्ष हरदोई जनपद में 29 मजरों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है । प्रश्नगत मजरे का विद्युतीकरण करने हेतु जिला सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

समिति द्वारा चयनित होने पर विद्युतीकरण कराना सम्भव होगा ।

अधिशासी अभियन्ता (द्वितीय) प्रकल्प शाखा जल निगम, बलिया द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

84–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय प्रकल्प शाखा जल निगम, बलिया द्वारा भ्रष्टाचार करने, मशीनों की मरम्मत के नाम पर फर्जी भुगतान करने एवं मानक के अनुसार मशीनों के पास फर्श व नालियां आदि न बनवाने की शिकायत मा० विधायक श्री हरदेव सिंह द्वारा सितम्बर, 1998 में सचिव, नगर विकास को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

प्रकरण में जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला बलिया नगर परिषद् बिल्थरा रोड के चेयरमैन द्वारा वित्तीय अनियमितता की शिकायत तथा दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

85–श्री अफजाल अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर परिषद् बिल्थरा रोड, जिला बलिया के वर्तमान चेयरमैन द्वारा वित्तीय अनियमितता करने एवं शासन स्तर से मिल रहे धन का दुरुपयोग करने की उच्च स्तरीय जांच वर्ष 1997-98 में हुई थी ? यदि हां, तो क्या उसमें दोषी पाये गये चेयरमैन को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

नगर पंचायत बेल्थरा रोड बलिया में वर्ष 1995-96, 96-97 में कराये गये निर्माण कार्यों की जांच सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग बलिया से करायी गयी । जांच आख्या के आधार पर शिकायतों

की पुष्टि नहीं हुई । जांच अधिकारी द्वारा कार्यों की गुणवत्ता को सन्तोषजनक बताया गया है । जांच परिणाम के आधार पर चेयरमैन को दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल भेजने की व्यवस्था समाप्त कर पास बुक दिये जाने के निर्णय के बाद भी अभी तक पास बुक का उपलब्ध न कराया जाना

86–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० में ग्रामीण विद्युत उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिल भेजने की व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ? क्या उनके स्थान पर विद्युत उपभोक्ताओं को पास बुक दिये जाने की व्यवस्था का प्राविधान भी किया गया है ? यदि हां, तो क्या अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को पास बुकें प्रदान नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो उपभोक्ताओं को कब तक पास बुकें उपलब्ध करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ऐसे उपभोक्ताओं हेतु जो 15,000 आबादी तक के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं ।

अभिलेखानुसार दिनांक 31-3-98 तक मौजूद उपभोक्ताओं हेतु पास बुकों की व्यवस्था कर दी गयी है ।

पास बुकें वितरण का कार्य सतत् प्रक्रिया है, वितरण का कार्य चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला पौड़ी, पौड़ी काराखेत-बांघाट-सतपुली मार्ग के डामरीकरण करने का मामला

87–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जिले के अन्तर्गत पौड़ी काराखेत-बांघाट-सतपुली मार्ग को डामरीकृत करने का प्राक्कलन शासन में स्वीकृति हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो क्या इस सड़क को डामरीकरण करने के लिए 1998-99 में धन उपलब्ध करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र) से दिनांक 25-5-98 को उक्त मार्ग के डामरीकरण का प्रारम्भिक आगणन प्राप्त हुआ है ।

शासन की अर्थोपाय एवं सीमित वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए उक्त मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर में कटेहरी बाजार को टाउन एरिया (नगर पंचायत) का दर्जा देने की मांग

88–श्री लाल जी वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अम्बेडकर नगर जनपद में कटेहरी बाजार को टाउन एरिया (नगर पंचायत) का दर्जा देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार कब तक कटेहरी बाजार के निवासियों को नगर पंचायत का दर्जा देकर सुविधा देना शुरू करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

नगर पंचायतों के गठन हेतु निर्धारित मानक पूर्ण होने पर नगर पंचायत के गठन की दशा में नियमानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

लखनऊ जनपद में बिल्डर्स द्वारा अवैध निर्माण करने की शिकायत

89–श्री मोहन सिंह रावत ''गांववासी''–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद में किन-किन बिल्डर्स द्वारा अवैध निर्माण (बिना वैध औपचारिकतायें पूर्ण किए) गये हैं ? जिस समय अवैध निर्माण कार्य चल रहे थे, उस समय एल०डी०ए० के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए क्या-क्या प्रक्रिया अपना कर आवश्यक विधि सम्मत कार्यवाही की गयी तथा कितने अवैध निर्माणों को विनियमित करने की कार्यवाही बाद में की गयी ? क्या अवैध निर्माणों को कालान्तर में विनियमित करने की नीति शासन द्वारा बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

अवैध निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27 व 28 की कार्यवाही के समय यह नहीं देखा जाता है कि वह निर्माण बिल्डर द्वारा किया जा रहा है अथवा किसी अन्य के द्वारा । अतः वर्गीकरण के अभाव में यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

अवैध निर्माणों को रोकने के उदेश्य से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा–27 व 28 के अन्तर्गत दिनांक 1-1-98 से 31-12-98 तक कुल 1364 वाद दायर किये गये जिसमें से 1015 वादों में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये, 37 मामलों में नोटिस निरस्त की गयी । दिनांक 1-1-99 से 8-2-99 तक की अवधि में कुल 44 वाद धारा–27 व 28 के अन्तर्गत दायर किये गये जिसमें से 14 मामलों में ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये । दिनांक 1-1-98 से 31-12-98 तक अवैध निर्माण के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 12 मामलों में धारा–26 के अन्तर्गत अभियोजन दायर किये गये । लखनऊ में वर्तमान में विनियमितीकरण हेतु स्वैच्छिक शमन योजना–98 के अन्तर्गत 14-2-99 तक आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं । आवेदनकर्ता नियमानुसार शमन/विनियमितीकरण हेतु पात्र होंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी शहर के शंकुलधारा विद्युत उपकेन्द्र के पुराने उपकरणों को बदलने का मामला

90–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–301 के अन्तर्गत दिनांक 13-8-97 की सूचना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता को उनके द्वारा निर्गत अर्ध० शा० पत्र संख्या– 3305पी०–1/97–24, दिनांक 18 दिसम्बर, 97 जो वाराणसी शहर के शंकुलधारा विद्युत उपकेन्द्र के पुराने उपकरणों को बदलने के सम्बन्ध में था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक करा दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वाराणसी शहर के शंकुलधारा विद्युत उपकेन्द्र पर लगे पुराने एवं जर्जर केबिल के बदलने का कार्य प्रगति पर है । पुराने 11 के०वी० स्विच गियर के स्थान पर नये स्विच गियर लगाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता पर वरीयता क्रम में यथाशीघ्र कार्य पूर्ण किया जायेगा ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्टप एरिया में स्वीकृत नक्शा/मकान परिवर्तन/परिवर्धन में अनावश्यक नोटिस दिया जाना

91–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बिल्टप एरिया में जिन साइजों के भूखण्ड पर मकान निर्माण हेतु कोई नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है तथा जिन बने हुए मकानों के अन्दर कोई परिवर्तन या परिवर्धन दिये जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है, उन प्रकरणों में भी वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अनावश्यक तरीके से भू-स्वामियों को अथवा किरायेदारों को गैर कानूनी ढंग से नोटिसें भेजी जा रही हैं ? क्या शासनादेश द्वारा जो छूट अनुमन्य है उनकी जानकारी समाचार-पत्रों तथा विकास प्राधिकरण कार्यालय में बोर्ड पर अंकित कर प्रदर्शित करने एवं तत्सम्बन्धी पुस्तिका छपवाकर जनता को निःशुल्क अथवा सशुल्क उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई आदेश सरकार निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

बिल्टप एरिया में जिन साइजों के भूखण्ड पर मकान निर्माण हेतु कोई नक्शा स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है तथा जिन बने हुए मकानों के अन्दर कोई परिवर्तन या परिवर्धन किये जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है, उन प्रकरणों में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामियों अथवा किरायेदारों को कोई नोटिस नहीं भेजी जा रही है ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा छूट विषयक शासनादेश व अन्य नियमों को संकलित कर पुस्तिका छपवाई गयी है जो सशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य विद्युत परिषद् के लेखों में पकड़ी गयी भारी विसंगतियों का मामला

92–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में राज्य विद्युत परिषद् के लेखों में भारी विसंगतियां पकड़ी है साथ ही वर्ष 1995-96 के लेखाओं में दर्शाये गये परिणामों को असत्य पाया है ? क्या इस प्रकार अरबों रुपये की हानि के लिए प्रबन्धन को दोषी ठहराया गया है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषद् के वर्ष 1995-96 के सम्प्रेक्षित लेखे के अनुसार वर्ष 1995-96 में रु० 22.20 करोड़ का लाभ दिखाया गया है जिसको महालेखाकार लेखा परीक्षा द्वितीय उ० प्र० ने अपने प्रतिवेदन में रु० 60.94 करोड़ से बढ़ाकर दिखाने की टिप्पणी दी है इस रु० 60.94 करोड़ में रु० 65.94 करोड़ ट्रान्सफार्मर के गहन/मरम्मत एवं नवीनीकरण के पूंजीगत खर्च को महालेखाकार ने राजस्वमद माना है जब कि परिषद् के लेखों में इन्हें पूंजीगत दर्शाया गया है । परिषद् के लेखे विद्युत (प्रदाग) (वार्षिक लेखा) नियम, 1985 में निहित "मूल लेखा सिद्धान्तों एवं नीतियों" के अन्तर्गत बनाये जाते हैं जिसके उपबन्ध–3 के अनुच्छेद 2.27 एवं 2.28 के अन्तर्गत ऐसे खर्चे जिसमें सम्पत्ति विशेष के जीवनकाल में वृद्धि अथवा कार्यकरण की लागत में कमी करने वाले व्यय सम्मिलित होते हैं, को पूंजीगत किये जाने का प्राविधान है । इस प्रकार इस मामले में केवल सैद्धान्तिक मतभेद है न कि लेखांकन की विसंगति ।

शेष रु० 4.60 करोड़ विद्युत विक्रय के राजस्व को कम दिखाया जाने से संबंधित है । इस रु० 4.60 करोड़ में रु० 6.88 करोड़ राजस्व के कम निर्धारण से संबंधित है तथा रु० 2.28 करोड़ अधिक राजस्व दिखाये जाने से संबंधित है । इसमें वे अधिकांश धनराशियों से संबंधित बिन्दु सैद्धान्तिक

मतभेद के कारण है जैसे महालेखाकार की टिप्पणी है कि वर्ष विशेष से संबंधित राजस्व उसी वर्ष में लेखांकित कर दी जाय चाहे उसमें आदेश वर्ष समाप्त होने के बाद हुए हों जब कि परिषद् के लेखों में सामान्यतया जिस वर्ष में आदेश होता है, चाहे पिछले वर्ष से ही क्यों न लागू हों, उस वर्ष में लेखांकित किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राम सागर मिश्र नगर/इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ के ग्राम बस्तौली, परगना व तहसील के कुछ खसरों को भूमि अर्जन करने के लिए अध्यापित किया जाना

93–श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम सागर मिश्र नगर/इन्दिरा नगर विस्तार योजना 1979 के अन्तर्गत ग्राम-बस्तौली, परगना व तहसील व जनपद लखनऊ के किन-किन खसरा नम्बरों को भूमि अर्जन के लिए अधिग्रहीत करने के लिए अध्यापित किया गया था ? क्या भूमि अर्जन के लिए अधिग्रहीत सभी खसरा नम्बरों को अधिग्रहीत कर आवास निर्माण कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन खसरा नम्बरों को अध्यापन के पश्चात् छोड़ दिया गया है और क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

परिषद् की राम सागर मिश्र नगर/इन्दिरा नगर विस्तार योजना लखनऊ 1979 के अन्तर्गत ग्राम बस्तौली परगना व तहसील व जनपद लखनऊ के खसरा संख्या–1, 95, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 को भूमि अर्जन करने के लिए अध्यापित किया गया था।

जी नहीं।

अध्यापन के पश्चात् खसरा संख्या–95 के कुछ भाग, 97 के कुछ भाग, 133 के कुछ भाग, 136, 148, 149, 151 के कुछ भाग, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 के कुछ भाग, 161, 162, 163, 164, 165, 166 में आबादी होने के कारण एवार्ड घोषित नहीं हुआ है। खसरा संख्या–103 के कुछ भाग ऊसर/चिनहट ब्लाक होने के कारण व खसरा संख्या–145 नाला होने के कारण अर्जित नहीं की गयी है।

खसरा संख्या–101, 102, 103 के कुछ भाग, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 के कुछ भाग, सीलिंग से प्रभावित भूमि होने के कारण इसका आवंटन सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ द्वारा किया जाना है।

94–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के लखनऊ में परिषदीय आवास अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या की जानकारी तथा अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

95–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ में कितने परिषदीय आवास अधिकारियों/कर्मचारियों के हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दिसम्बर, 1989 से सितम्बर, 1993 के मध्य कितने कर्मचारियों/अधिकारियों ने उन पर अनधिकृत कब्जा किया ? क्या मंत्री जी उनके नाम पदनाम तैनाती स्थान बतायेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनधिकृत कब्जे के

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कितना-कितना पेनल रेण्ट लगाया गया और कब से ? क्या यह सत्य है कि कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के पेनल रेण्ट कम कर दिये गये अथवा माफ कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के नाम, पदनाम तैनाती स्थान क्या हैं ? पेनल रेण्ट किसके आदेश से माफ किया गया ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कुल आवासों की संख्या–1137 है ।

कुल 90 कर्मचारियों/अधिकारियों ने अनधिकृत कब्जा किया ।

विवरण संलग्न है । †

दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये पेनल रेण्ट का विवरण संलग्न है ।

किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का पेनल रेण्ट माफ नहीं किया गया है । परिषद् की प्रबन्ध समिति एवं मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गये निर्णयानुसार कुछ प्रकरणों में पेनल रेण्ट कम कर दिया गया है ।

विवरण संलग्न है । किसी कर्मचारी/अधिकारी का पेनल रेण्ट माफ नहीं किया गया है ।

जनपद हरदोई मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी में भवन संख्या–342/1, 342/2, 342/3 में एक ही विद्युत कनेक्शन से विद्युत आपूर्ति की शिकायत

96–श्री दीपक कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी जनपद हरदोई में भवन संख्या 342/1, 342/2 एवं 342/3 में एक ही विद्युत कनेक्शन से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जबकि इन्हीं भवनों में किंगसन (वेलफेयर इंगलिश) स्कूल एवं विद्या देवी जूनियर हाईस्कूल, विद्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदोई विद्यालय भी संचालित है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक कार्य के लिए भवन स्वामी के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । उक्त सभी विद्यालय भवन संख्या–342 में स्थापित हैं, जिसमें श्री सुभाष चन्द्र मिश्र के नाम से कनेक्शन संख्या–1024/004093 स्थापित हैं । उक्त तीनों विद्यालय श्रीमती विद्या देवी समाज कल्याण समिति, सराय थोक पश्चिमी, हरदोई नामक संस्था (रजिस्ट्रेशन संख्या–95/1995 फाइल संख्या–67994) द्वारा संचालित है ।

उक्त सभी विद्यालय एक ही मकान में एक ही संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे हैं । अतः भवन स्वामी के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मेसर्स सोमानी स्टील्स लि०, उन्नाव द्वारा की जा रही विद्युत चोरी की सांसद द्वारा की गयी शिकायत तथा कार्यवाही की मांग

97–श्री हरदेव सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री कोबिद कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मेसर्स सोमानी स्टील्स लि०, उन्नाव द्वारा 41.40 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी एवं सिस्टम लोडिंग चार्ज समाप्त करने सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 24-3-98 जो कि मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो कि मे० सोमानी आयरन एवं स्टील लिमिटेड, उन्नाव के प्रकरण पर गहन छानबीन कर रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

98–श्री लाखीराम जोशी–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं० 162 द्वारा उत्तरित]

नगर पालिका परिषद् मोदीनगर गाजियाबाद के सुन्दरीकरण के नाम पर बनाये गये चबूतरे पर खर्च की जांच तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

99–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पालिका परिषद् मोदी नगर, गाजियाबाद के सुन्दरीकरण के नाम पर 12 फीट चौड़े तथा डेढ़ फीट ऊंचे चबूतरा बनाने तथा मिट्टी को 100.00 रुपये प्रति ट्राली उठाये जाने सम्बन्धी कोई जांच दिनांक 13-8-97 को प्रारम्भ की गयी थी ? क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्राप्त जांच रिपोर्ट शासन स्तर पर पूर्ण एवं ..धजनक नहीं पायी गयी थी । अतः जिलाधिकारी गाजियाबाद से पुनः जांच करायी जा रही है ।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् का परिकल्पना खण्ड–3 लखनऊ के कार्यालय का स्थानान्तरण तथा शिफ्टिंग में अनुपस्थित पाये गये कर्मचारी के वेतन को काटे जाने का मामला

100–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् का परिकल्पना खण्ड–3 लखनऊ का कार्यालय जून, 98 में गाजियाबाद में कर्मचारियों/अधिकारियों सहित शिफ्ट किया गया था ? क्या यह क्या यह सही है कि परिकल्पना खण्ड–3 की शिफ्टिंग के उपरान्त गाजियाबाद में कार्यालय हेतु आवास उपलब्ध न होने के कारण अनेक कर्मचारियों ने अपने नियुक्ति स्थान पर कार्य न कर सकने के कारण मुख्यालय पर 2 जुलाई, 98 को श्री भीमशंकर चतुर्वेदी, मुख्य सहायक व अन्य कर्मचारियों द्वारा सूचना दी गयी थी ? यदि हां, तो सम्बन्धित मुख्य सहायक का जून, 98 से अब तक के वेतन का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार सम्बन्धित कर्मचारी का वेतन भुगतान किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

श्री भीम शंकर चतुर्वेदी, मुख्य सहायक एवं श्री सिराजुद्दीन, सहायक श्रेणी–2 के द्वारा ही केवल सूचना दी गयी थी ।

गाजियाबाद में कार्यालय होने के उपरान्त भी श्री भीम शंकर चतुर्वेदी, मुख्य सहायक ने गाजियाबाद में अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है व अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे हैं।

अतः तैनाती स्थान पर कार्य भार ग्रहण न करने एवं ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण वेतन भुगतान का आदेश दिया जाना नियमानुसार नहीं होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

101–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिकल्पना खण्ड तृतीय, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, नीलगिरि काम्पलेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ जो वर्तमान में गाजियाबाद स्थानान्तरित किया गया है, के लगभग 35 कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण कार्यालय के अभाव में जून, 98 में ही लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में कर दिये गये ? यदि हां, तो कतिपय लिपिक वर्ग कर्मचारियों को गाजियाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि उक्त कतिपय कर्मचारियों द्वारा भी लखनऊ में कार्य करने हेतु आवेदन-पत्र दिये गये हैं ? क्या सरकार उनको भी लखनऊ में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भीम शंकर चतुर्वेदी, मुख्य सहायक के द्वारा केवल दिनांक 15-12-98 को प्रार्थना-पत्र दिया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त इनका स्थानान्तरण लखनऊ में किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

परिकल्पना खण्ड–3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् नील गिरि काम्पलेक्स इन्दिरा नगर लखनऊ जो वर्तमान में गाजियाबाद में है, कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में मारपीट करने की शिकायत तथा दण्डित करने की मांग

102–श्रीमती माया प्रसाद–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिकल्पना खण्ड–3 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, नीलगिरि काम्पलेक्स, इन्दिरानगर, लखनऊ जो वर्तमान में गाजियाबाद में है, के कर्मचारियों ने कार्यालयों में ही माह मई, जून, 1998 में मारपीट की थी तथा आपसी मारपीट में सर्विस बुक आदि फाड़ी गई ? क्या उसकी जांच अधिकारियों द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जी हां। इसकी जांच खण्ड में तैनात सहायक अभियन्ता द्वारा की जा रही है।

जांच आख्या प्रतीक्षित होने के कारण दण्डित नहीं किया जा सका है।

उपरोक्तानुसार।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के मुख्य अभियन्ता (लेसा) लखनऊ के कैशियर द्वारा वेतन रजिस्टर गायब करने की शिकायत तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

103–श्री कोबिद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र०, राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसा) लखनऊ के अधीन कार्यरत कैशियर द्वारा सितम्बर, 1979 से जुलाई, 1981 का

कर्मचारियों/अधिकारियों का वेतन रजिस्टर गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो तत्कालीन कैशियर ने उस वेतन रजिस्टर को किसको हस्तगत किया ? क्या इस सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल पूर्व विधायक का पत्र दिनांक 21-8-96 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल पूर्व विधायक के पत्र दिनांक 21-8-96 पर आवश्यक कार्यवाही हेतु यह प्रकरण परिषद् के सदस्य (वित्त एवं लेखा) को संदर्भित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में वर्ष 1997-98 में विद्युत उत्पादन क्षमता की जानकारी

104–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वर्ष 1997-98 में विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रदेश के विद्युत उत्पादन गृहों में वर्ष 1997 एवं 1998 में विद्युत उत्पादन क्षमता निम्नवत् है :–

उत्पादन क्षमता (मेगावाट)

	वर्ष 1997	1998
1–तापीय विद्युत गृहों में	4271.00	4381.00
2–जलीय विद्युत गृहों में	1500.30	1509.30
कुल योग:–	5771.30	5890.30

105–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

106–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा में वर्ष 9/91 से 3/93 के मध्य रेलवे स्टेशन गोण्डा को विद्युत आपूर्ति के मामले में लाखों रुपये की हानि

107–श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, गोण्डा के अधीन 9/91 से 3/93 के मध्य रेलवे स्टेशन गोण्डा को 1200 कि० वा० विद्युत आपूर्ति के

मामले में लाखों रुपये की हानि पहुंचाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मार्च, 1998 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि आंतरिक सम्प्रेक्षा में गम्भीर अनियमितता के दोषी अधिकारियों को बचाया जा रहा है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के नाम व पद नाम तैनाती स्थान क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या परिषदीय क्षति का आकंलन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो परिषद् को कितने राजस्व की क्षति हुई एवं कब तक दोषी अधिकारियों से उसकी वसूली कर ली जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक निर्गमन हेतु संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दे दी गयी है ।

जी नहीं । दोषी अधिकारियों को दण्डित किया गया है ।

नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
श्री के० पी० सिंह,	उपखण्ड अधिकारी	अमेठी
श्री एस० पी० श्रीवास्तव	तदैव	उतरौला (बलरामपुर)

सम्प्रेक्षानुसार त्रुटिपूर्ण टैरिफ के कारण कम राजस्व निर्धारित का आकंलन कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सम्प्रेक्षा द्वारा रु० 37.21 लाख की धनराशि आकंलित की गयी है । अधिकारियों से वसूली का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि आकंलित धनराशि रु० 37.21 लाख का बिल रेलवे विभाग को भेज दिया गया है ।

लखनऊ, नगर निगम में आलोच्य अवधि में अधिकारी/कर्मचारी की सेवा विस्तार

108–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में वर्ष 1995 से 31 मई, 1998 के मध्य कुल कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया गया ? उनके नाम पदनाम एवं तैनाती स्थान क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किसके आदेश पर सेवा विस्तार दिया गया ? क्या यह सत्य है कि सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार के कई मामाले की जांच चल रही है ? यदि हां, तो सेवा विस्तार का प्रस्ताव रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सेवा विस्तार पाने वाले अधिकारियों पर प्रतिमाह क्या व्यय हो रहा है ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ नगर निगम में आलोच्य अवधि में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के परिषदीय सचिवालय में मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता पद सृजन एवं भ्रष्टाचार की जांच

110–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय में कार्यरत मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अप्रैल, 1995 से 31 मई, 1998 के मध्य

वित्तीय अनियमितता अवैध पद सृजन एवं भ्रष्टाचार के कितने मामलों में विभागीय जांच चल रही है ? क्या मंत्री जी उन अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम भी बतायेंगे ? क्या यह सत्य है कि अवैध तथा फर्जी नियुक्तियों को करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

किसी भी मामले में विभागीय जांच नहीं चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवैध तथा फर्जी नियुक्तियां करने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ महानगर की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु विधायक का पत्र तथा कार्यवाही की जानकारी

111–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ महानगर की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु क्या-क्या व्यवस्थायें की गई हैं ? क्या श्री पीटर फैन्थम, विधायक का एक पत्र दिनांक 7-9-98 जो कि मुख्य अभियन्ता (लेसा) लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

लखनऊ महानगर की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने हेतु वर्ष 1998-99 में दिसम्बर, 1998 तक 5 नए 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र (कुल स्थापित क्षमता 28 एमवीए) का निर्माण किया गया है, 11 नग 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि (कुल क्षमता वृद्धि 34 एमवीए) की गई है, 31 नग नये 11/0.4 केवी के विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है तथा 15 नग 11/0.4 केवी विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की गई है । आवश्यकतानुसार लखनऊ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में ओवर हेड लाइनों के अतिरिक्त भूमिगत केबुल का भी कार्य कराया गया है ।

जी नहीं ।

112–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

हरदोई नगर पालिका परिषद् द्वारा दी गयी अनापत्ति के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य किया जाना

113–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के सरायथोक पश्चिम मोहल्ले के मकान नं० 346 में अपने पास नक्शे से अधिक निर्माण कराकर नगर पालिका की जमीन का अतिक्रमण कर लिया है ? क्या इस अतिक्रमण को हटाने के लिये सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । नगर पालिका परिषद्, हरदोई द्वारा दी गयी अनापत्ति के आधार पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

114–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

वाराणसी, दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार कराया जाना

115–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 242 वाराणसी दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार कराये जाने के संबंध में दिनांक 26-3-98 को प्रश्नकर्ता द्वारा दी गई नियम 301 की सूचना के संबंध में ऊर्जामंत्री जी द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 1295 पी–3/98–24 दिनांक 17 जून, 98 के अनुसार क्षेत्र का सर्वेक्षणोपरान्त पत्र में उल्लिखित अन्य कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो जनहित में प्राथमिकता के आधार पर कार्य कब तक सम्पन्न कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो जनहित में प्राथमिकता के आधार पर कार्य कब तक सम्पन्न कर दिये जायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

नगवा मोहल्ले से राजघाट तक "लो–वोल्टेज" की समस्या दूर करने, तार बदलने एवं विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिये 11/0.4 के०वी० 250 के०वी०ए० के 5 नये उपकेन्द्र, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के 250 के०वी०ए० से 400 के०वी०ए० के 2 नग एवं एच०टी०/एल०टी० लाइनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य स्वीकृत कर दिये गये हैं । इनमें से एक अदद 250 के०वी०ए० ट्रान्सफार्मर स्थापित किया जा चुका है तथा शेष चारों स्थानों पर कार्य प्रगति पर है । ट्रान्सफार्मर क्षमतावृद्धि के नगवा एवं दशाश्वमेघ स्थानों के कार्य किये जा चुके हैं । 3 एल० टी० लाइनों के सुदृढ़ीकरण के कार्य पूरे हो गये हैं, शेष स्थानों पर कार्य प्रगति पर है ।

33/11 के०वी० शुंकुलधारा पर लगे केदिल के बदलने का कार्य प्रगति पर है । पुराने 11 के०वी० स्विचगियर के स्थान पर नये स्विचगियर लगाने का कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है । गोदौलिया क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र शंकुलधारा से निकलने वाले 11 के०वी० पोषकों से की जाती है, जिसे बेनियाबाग स्थित उपकेन्द्र से भी विद्युत आपूर्ति करने की व्यवस्था की जा रही है । वाराणसी शहर की दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुधार हेतु 2 11/0.4 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र तैयार हो चुके हैं और अन्य विद्युत उपकेन्द्र पर कार्य प्रगति पर है । 3 विद्युत उपकेन्द्र के 400 के०वी०ए० से 400 के०वी०ए० तथा एक विद्युत उपकेन्द्र के 400 के०वी०ए० से 630 के०वी०ए० की क्षमतावृद्धि कर दी गयी है और शेष विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि का कार्य प्रगति पर है । 33 के०वी०ए० की लाइन शंकुलधारा से मेदनी उपकेन्द्र तक का कार्य प्रगति पर है । 11 के०वी० सुन्दरपुर चितईपुर पोषकों के जोड़ने का कार्य प्रगति पर है ।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों को पारस्परिक वरीयता के अनुसार शेष कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

सिटी मान्टेसरी स्कूल गोमती नगर, स्टेशन रोड, राजेन्द्र नगर के साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड सड़क से हटाये जाने की मांग

116–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार को जानकारी है कि सिटी मान्टेसरी स्कूल की गोमतीनगर, स्टेशन रोड एवं राजेन्द्र नगर, लखनऊ ब्रान्चों का साइकिल/स्कूटर स्टैण्ड सड़क पर स्थापित है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? क्या नगर निगम ने इस प्रयोजन हेतु उक्त स्कूल को अनुमति दी है ? क्या उक्त स्टैण्ड लगाने हेतु लखऊ नगर निगम को कर/शुल्क अदा किया जाता है ? उक्त अनधिकृत कब्जा कब तक हटवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उक्त अनधिकृत स्टैण्ड को दिनांक 2-2-99 को हटा दिया गया है ।

जनपद लखनऊ में मवइया से ऐशबाग मुख्य सड़क की जोड़ने वाली सड़क पर अवैध कब्जों को हटवाने की मांग

117–श्री राजेश कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में मवइया से ऐशबाग मुख्य सड़क को जोड़ने वाली सड़क जो कि लगभग दो कि० मी० लम्बी है, के किनारे कतिपय व्यक्तियों ने पक्का निर्माण करके या झोपड़ियां बनाकर अवैध कब्जा कर रखा है जिससे सड़क काफी सकरी हो जाने के कारण यातायात घण्टों जाम रहता है ? क्या सरकार उक्त सड़क के दोनों ओर स्थित अवैध कब्जों को हटाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पौड़ी जनपद की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए सतपुली पौड़ी गढ़वाल में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

118–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद की विद्युत व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये सतपुली पौड़ी गढ़वाल में 132/33 के० वी० उपकेन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति का प्रकरण शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या जनहित एवं विद्युत व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये उक्त उपकेन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति वर्ष 1998-99 में प्राप्त हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी नगरपालिका परिषद् में भीषण पेयजल समस्या के समाधान हेतु नानघाट ग्रविटी पेयजल योजना को चालू कराने की मांग

119–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बतायेंगे कि पौड़ी नगरपालिका परिषद् में भीषण पेयजल समस्या के समाधान हेतु नानघाट ग्रविटी पेयजल योजना का प्रस्ताव 17 साल से स्वीकृति के लिये शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो नानघाट ग्रेविटी पेयजल योजना की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

यह प्रस्ताव वर्ष 1996-97 में शासन को प्राप्त हुआ, सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

राजकीय बेस चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में 200 शैय्याओं वाले चिकित्सालय को चालू करने की मांग

120–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि हे० न० ब० बालिका बेस चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में 200 शैय्याओं के चिकित्सालय हेतु 25 जून, 1984 को प्रधान मंत्री स्व० इन्दिरा गांधी ने शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो क्या राजकीय बेस चिकित्सालय श्रीनगर गढ़वाल में 200 शैय्याओं हेतु भवन निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी हां ।

प्रथम चरण में 100 शैय्याओं के भवन का निर्माण कराया गया है । उक्त निर्मित शैय्याओं में से लगभग 50 प्रतिशत क्षमता का ही उपभोग हो रहा है ।

जनपद बदायूं नगर पंचायत कलापुर की जलापूर्ति व्यवस्था ठीक कराने की मांग

121–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत कलापुर, जनपद बदायूं को जलापूर्ति सुचारु रूप से नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सुचारु रूप से जलापूर्ति हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

तकनीकी खराबी के कारण प्रश्न में वर्णित जलापूर्ति सुचारु रूप से नहीं चल रही है ।

संबंधित नगर पंचायत को जलापूर्ति में आयी तकनीकी खराबी के निराकरण व जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश प्रसारित कर दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य विद्युत परिषद् को वितरण तथा उत्पादन से अलग-अलग विभाग करने के सरकार के विचारों की जानकारी

122–कुंवर रेवती रमण सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् को वितरण तथा उत्पादन को अलग-अलग विभाग करने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक इसे लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्रथम चरण में तीन भागों में यथा तापीय उत्पादन जलीय उत्पादन एवं पारेषण तथा वितरण निगमों में बांटे जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसे शीघ्र लागू किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के क्षेत्रवार (जोन वाईज) डिस आनर पड़े चेकों की जानकारी तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी

123–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत क्षेत्रवार (जोन वाईज) फरवरी, 1998 तक कितनी धनराशि के डिस आनर चेक पड़े हुये हैं ? क्या यह सत्य है कि उपभोक्ताओं को फर्जी क्रेडिट दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मार्च, 1998 तक 20 करोड़ रुपये से अधिक के डिस आनर चेक पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों से वसूली हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में क्षेत्रीय इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी, 1998 तक 1646.52 लाख रुपये के चेक अनादृत हुए थे जिसके विरुद्ध वसूली के उपरान्त कुल 1481.25 लाख रुपये की धनराशि मार्च, 98 तक शेष रह गयी थी ।

जोनवार विवरण संलग्न है :–

जहां तक उपभोक्ताओं को फर्जी क्रेडिट देने का प्रश्न है, निम्न क्षेत्रीय इकाईयों से फर्जी क्रेडिट देने के मामले प्रकाश में आए हैं :–

1–उत्तरांचल जोन, नैनीताल–

(1) विद्युत वितरण खण्ड, काशीपुर का एक मामला रु० 2.97 लाख का प्रकाश में आया है । मुख्य अभियन्ता, नैनीताल से दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा गया है । साथ ही अभिलेखों की जांच करवाने के लिए कहा गया है । मुख्य अभियन्ता, नैनीताल ने कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं ।

(2) विद्युत वितरण खण्ड, हल्द्वानी से 45 मामले जिनकी धनराशि 6.52 लाख रुपये है, प्रकाश में आए हैं जिसके विरुद्ध 6.07 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है । जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है, एक नोटर एण्ड ड्राफ्टर को जांच के उपरान्त दण्डित किया गया है । शेष लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

2–कानपुर जोन–

विद्युत वितरण खण्ड इटावा में एक लाख रुपये का फर्जी क्रैडिट देने का मामला प्रकाश में आया है और दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान कर ली गयी है तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

3–लेसा, लखनऊ–

368 उपभोक्ताओं को फर्जी क्रेडिट देने का मामला प्रकाश में आया है जिसकी धनराशि 12.69 लाख रुपये हैं । इस धनराशि के विरुद्ध 8.96 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है । दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान कर ली गयी है एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । दोषी अधिशासी अभियन्ता को निन्दा प्रविष्टि दे दी गयी है एवं सहायक लेखाकार को निलम्बित किया गया था जिसे दोषी न पाए जाने के कारण पुनः सेवा में प्रतिस्थापित कर दिया गया है । अनादृत चेकों की बकाया धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के लेसू लखनऊ के उपभोक्ताओं के उत्पीड़न को तत्काल बन्द करने सम्बन्धी शिकायती पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

124–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लेसू, लखनऊ के उपभोक्ताओं का उत्पीड़न तत्काल बन्द करने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक का पत्र दिनांक

17-11-97 एवं 20-3-98 जो कि अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी श्री एल० आर० गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता के पत्र सं० 347/मु० अभि०/रेस्पो/जांच–15 दिनांक 24-4-1995 के द्वारा की गई जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के 400 के० वी० उन्नाव पनकी एवं आगरा ट्रांसमीशन लाइन क्रासिंग टावर में हुई गड़बड़ी में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

125–श्री कोविद कुमार, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया एवं श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 400 के०वी० उन्नाव पनकी एवं आगरा ट्रांसमीशन लाइन क्रासिंग टावर हेतु बनाये गये 48 पाईल्स एवं विश्व स्तर पर फैले तकनीक का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या इस संबंध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 22-6-98 जो कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को सम्बोधित थे, प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

400 के० वी० उन्नाव–पनकी एवं आगरा ट्रांसमीशन लाइन के क्रासिंग टावर की नींव हेतु बनाई गई पाइल्स अन्तर्राष्ट्रीय मान्य तकनीक है जो उक्त मामले में तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त पाई गई थी । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

मा० सांसद के पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्रकरण में अनियमितता नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के तटीय कटाव से सुरक्षा हेतु समुचित उपाय की सरकारी कार्यवाही की जानकारी

126–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल का अलक नन्दा नदी के द्वारा तीव्रता से कटाव होने से नया बस अड्डा बद्रीनाथ मठ केशोराम मठ एस० एस० वी० क्षेत्र आदि को अत्याधिक नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रीनगर गढ़वाल के तटीय कटाव से सुरक्षा हेतु समुचित उपायों पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजाजीपुरम् योजना के अन्तर्गत मोहान रोड से निकलने वाले डबल रोड मार्ग के अवैध कब्जा हटाने की मांग

127–श्री राजेन्द्र यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आवास एवं नगर विकास परिषद् द्वारा संचालित राजाजीपुरम् योजना के अन्तर्गत मोहान रोड से निकलने वाले डबल रोड मार्ग जो कि टैम्पो स्टैण्ड से होता हुआ एक तरफ एग्रो फैक्ट्री के पास निकलता है तथा दूसरी तरफ सेक्टर–13 के किनारे

से होता हुआ टिकैतराय कालोनी के पास निकलता है पर काफी वर्षों से दूधियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा गया है जिसके कारण मार्ग पूरी तरह से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में बन्द पड़े उक्त रोड पर से कब्जा हटवाकर उसे यातायात हेतु चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत रोड पर से दूधियों को हटाकर कैटिल कालोनी में विकसित भू-खंडों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित बहुमंजिली इमारत ला प्लास के पम्प हाउस के चारों तरफ बनी चहार दीवारी के गिर जाने का मामला

128–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित बहु मंजिली इमारत ला प्लास, लखनऊ के पम्प हाउस के चारों तरफ बनी चहारदीवारी का निर्माण कब कराया गया था और उसके निर्माण में कितना भुगतान किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या लखनऊ में जलभराव के कारण चहारदीवारी अगस्त, 1998 में गिर गई थी ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

ला प्लास स्थित पम्प हाउस की चहारदीवारी का निर्माण वर्ष 1998 में कराया गया था जिस पर कुल धनराशि रु० 1,34,071.00 व्यय हुई ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी में भवन संख्या 342/1, 342/2 एवं 342/3 के सामने सड़क से लगी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला

129–प्रो० रवीन्द्र पुण्डीर–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1997 के द्वितीय सत्र के लिये चौथे मंगलवार को श्री राम सिंह सैनी, विधायक हरिद्वार द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं० 25 के उत्तर के संदर्भ में जनप हरदोई के मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी में भवन संख्या 342/1, 342/2 एवं 342/3 के सामने सड़क से लगी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो अतिक्रमणकर्त्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत भूमि पर अवैध निर्माण का प्रकरण विनियमित क्षेत्र हरदोई के समक्ष आया था ।

नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र हरदोई द्वारा दिनांक 7-8-97 को आर० बी० ओ० एक्ट की धारा–10 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने तथा मानचित्र अस्वीकृत किए जाने का आदेश दिया गया । उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध श्री राम कृष्ण मिश्रा द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी हरदोई के समक्ष अपील दाखिल की गयी है, जो अभी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत वितरण खण्ड में खण्ड के अनुसार स्थाई रूप से विच्छेदन, बिलिंग में हुई अव्यवस्था

130–श्री हरदेव सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसू लखनऊ/लखनऊ क्षेत्र) लखनऊ के अधीन विद्युत वितरण खण्ड में खण्ड अनुसार ऐसे कितने स्थाई रूप से विच्छेदित उपभोक्ता हैं जिनकी बिलिंग कम्प्युटर द्वारा सृजित रिपोर्ट नं०–14 के अनुसार नहीं की जा रही है । क्या उनका फाइनल एकाउन्ट तैयार करके धारा 3 एवं 5 की नोटिस भेजकर देय धन की वसूली की गयी है ? यदि नहीं, तो अब तक वसूली न करने के क्या कारण हैं ? यदि इन उपभोक्ताओं के कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित नहीं हैं, तो इनकी बिलिंग क्यों नहीं कराई गई है ? परिषद् के भारी राजस्व हानि के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि रिपोर्ट नं० 14 के अनुसार कम से कम तथा अधिक से अधिक कितने समय से यह विच्छेदित उपभोक्ता है ? राजस्व हानि रोकने हेतु भविष्य में क्या योजना है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऐसे 112 उपभोक्ता हैं ।

धारा–5 के नोटिस वसूली हेतु भेज दी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कनेक्शन विच्छेदित होने के कारण बिलिंग नहीं की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सात वर्ष से ।

स्थाई रूप से विच्छेदन सुनिश्चित किया जायेगा ।

131–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

13रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के शक्ति भवन के विस्तार तथा सुसज्जीकरण पर व्यय धनराशि का विवरण

132–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1995 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न 64 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 8.57 करोड़ रुपये एवं 33.51 लाख रुपये का व्यय का विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 में शक्ति भवन विस्तार पर वर्षवार क्या व्यय हुआ ? क्या यह सत्य है कि अधिकारियों द्वारा मानक मापदण्डों का पालन न करते हुए 11 के०वी० सब स्टेशन का शक्ति भवन विस्तार के बेसमेन्ट में स्थापित किया तथा बाद में शिफ्टिंग कर उसे बाहर स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

व्यय का विवरण संलग्नक "क" में दर्शाया गया है ।

शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार के वर्षवार व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	श०भ०(मु)	श०भ० (विस्तार)
1995-96	10.50 लाख	25.24 लाख
1996-97	17.22 लाख	24.85 लाख
1997-98	23.66 लाख	29.45 लाख

जी नहीं ।

जी हां ।

कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 144 पर ।]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कार्यालय के सहायक अभियन्ता (राजस्व) तथा खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध गबन का मामला

133–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (इन्दिरा नगर) लखनऊ ने अपने ही कार्यालय के सहायक अभियन्ता (राजस्व) तथा खण्डीय लेखाकार के विरुद्ध 52 लाख रुपया से अधिक गबन सम्बन्धी कोई पत्र 7 जुलाई, 1995 को अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–दो, लखनऊ को लिखा है जिसकी प्रति सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्यांचल, लखनऊ, मुख्य अभियन्ता, लेसू, लखनऊ तथा नियंत्रक लेखा एवं प्रशासन, शक्ति भवन, लखनऊ को भी पृष्ठांकित की गयी है ? यदि हां, तो इस प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जांचोपरान्त कोई दोषी भी पाया गया ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, इन्दिरानगर, लखनऊ का सन्दर्भित अधिकारियों को प्रेषित पत्र दिनांक 7-7-95 राजस्व के कार्यों में सम्बन्धित लेखाकार एवं सहायक अभियन्ता (राजस्व) द्वारा जानबूझकर बरती जा रही शिथिलता के कारण गबन की सम्भावना विषयक था जिसमें रु० 52.93 लाख का कैश बुक में ऋणात्मक अवशेष के सम्बन्ध में सूचित किया गया ।

प्रकरण गबन का नहीं है । किन्तु उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, इन्दिरानगर (लेसू), लखनऊ में विभिन्न अनियमितताओं का पता लगाने हेतु, खण्ड के राजस्व अभिलेखों की जांच (अवधि 1/90 से 11/95 तक) विशेष सम्प्रेक्षा से कराई गई । विशेष सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन पर आख्या क्षेत्रीय अधिकारियों से मांगी गई है जो प्रतीक्षित है । आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधिशासी अभियन्ता (इन्दिरा नगर) लखनऊ द्वारा विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, इन्दिरा नगर में व्याप्त वित्तीय अनियमितता का मामला

134–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (इन्दिरा नगर) लखनऊ ने विद्युत नगरीय वितरण खण्ड इन्दिरा नगर में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं के बारे में 23-6-95 को मुख्य अभियन्ता, लेसू को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इस पत्र पर मुख्य अभियन्ता, लेसू द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

135–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

वाराणसी के मणिकर्णिका तथा हरिश्चन्द्र श्मशान घाट पर अन्त्येष्टि हेतु आने वाले मृतकों की मृत्यु सूचना से कार्यालय बन्द होने से जनाक्रोश का मामला

136–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में मणिकर्णिका तथा हरिश्चन्द्र श्मशान घाट पर अन्त्येष्टि हेतु आने वाले मृतकों के मृत्यु सूचना कार्यालय को बन्द करने से उत्पन्न जनरोष के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 26-5-98 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार पुनः मृत्यु सूचना कार्यालय की उक्त प्रथा को चालू रखते हुए नगर निगम वाराणसी को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26-5-98 नगर विकास विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1968 के लागू हो जाने के पश्चात् इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी किसी भी स्थानीय निकाय सीमा क्षेत्र में जन्म मृत्यु का पंजीकरण उन्हीं का होगा, जिनका जन्म अथवा मृत्यु स्थानीय निकाय क्षेत्र में हुआ है ।

वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत जन्म मृत्यु पंजीकरण हेतु नगर निगम के मुख्यालय तथा सफाई चौकियों पर जन्म तथा मृत्यु पंजीयन की समुचित व्यवस्था की गई है । वर्तमान में वाराणसी नगर निगम सीमान्तर्गत मृत्यु पंजीयन हेतु कुल 12 कार्यालय कार्यरत हैं जहां जन्म मृत्यु का पंजीयन सुगमता पूर्वक किया जाता है ।

जनपद वाराणसी में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट

137–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 242 शहर दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र वाराणसी में व्याप्त पेयजल अनापूर्ति संकट के समाधान हेतु सूखा राहत अथवा अन्य किसी भी मद से दो नग नये नलकूप के निर्माण हेतु स्वीकृति दिये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 7 अप्रैल,

1998 मा० नगर विकास मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस दिशा में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

वर्ष 1997-98 में वाराणसी नगर हेतु स्वीकृत 6 नलकूपों में से वाराणसी शहर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र नामतः दीनदयाल नगर व दलहट्टा में वर्ष 1998-99 में दो नलकूप अधिष्ठापित कराकर चालू कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त एक नलकूप तेलिया नाला क्षेत्र एवं एक कोदई चौकी क्षेत्र में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत अधिष्ठापित कराये जा रहे हैं । इस प्रकार दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में कुल 8 एम० एल० डी० पानी की बढ़ोत्तरी हो जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी दक्षिण के 33/11 के० वी० उपकेन्द्र शंकुलधारा पर लगे पुराने 11 के० वी० स्विच गियर को बदलने का प्रकरण

138–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 जुलाई, 1997 की प्रश्नकर्ता की नियम 301 की सूचना पर विभाग द्वारा निर्गत अर्ध० शा० पत्र संख्या 2062 पी–3/97/24/9/97, दिनांक 13 अक्टूबर, 1997 के विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्न में इंगित शासन के अर्ध शा० पत्र संख्या 2062 दिनांक 1-10-97 के विषय में अब तक की गयी कार्यवाही/प्रगति निम्नवत् है ।

33/11 के वी उपकेन्द्र शंकुलधारा (वाराणसी दक्षिण) पर लगे हुये पुराने 11 के०वी० स्विच गियर बदलने के कार्य से संबंधित कर दिया गया है तथा इससे संबंधित पैकेज की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी है । उक्त उपकेन्द्र पर लगे पुराने केबिल के बदलने के कार्य का प्राक्कलन एवं पैकेज की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तथा बदलने का कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्त दोनों कार्यों को परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति के बावजूद शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद, देवरिया, जौनपुर में निजी नलकूपों का उपभोक्ताओं द्वारा बिल न अदा करने की दशा में स्थाई विच्छेदन न करने के कारणों की जानकारी

139–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत निजी नलकूप उपभोक्ताओं द्वारा लगातार दो वर्ष या इससे अधिक निर्धारित विद्युत मूल्य न जमा करने पर नलकूपों का स्थाई विद्युत विच्छेदन करने का कोई आदेश है ? यदि हां, तो उसका पालन न करने के क्या कारण है ? गाजियाबाद, देवरिया एवं जौनपुर में ऐसे कितने उपभोक्ता हैं जिन्होंने पिछले दो वर्षों से विद्युत बिल का भुगतान न करने के कारण उनके स्थाई विद्युत विच्छेदन अभी तक नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इसके लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? ऐसे उपभोक्ताओं के स्थाई विद्युत विच्छेदन करके बकाये की वसूली कब तक की जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सुल्तानपुर भण्डार नायक, विद्युत भण्डार केन्द्र दरियाबाद से दिनांक 30-5-98 को सेवानिवृत्त हुये श्री धर्म नारायण श्रीवास्तव की पेंशन ग्रेच्युटी आदि के भुगतान

140-श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1998 के पांचवें शुक्रवार को उत्तरित अता० प्र० सं०–73 के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री धर्म नारायण श्रीवास्तव के पेंशन प्रपत्र आदि का परीक्षण कर प्रस्तुत करा दिये गये हैं ? यदि हां, तो कब तक ? इनके लम्बित प्रकीर्ण क्या हैं ? उनका निपटारा कब तक कर उन्हें भुगतान दे दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

दिनांक 24-4-97 को । उनके विरुद्ध लम्बित प्रकीर्ण अग्रिम का निस्तारण कर समस्त देयों का भुगतान दिसम्बर, 1998 तक कर दिया गया है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के तार कटिंग में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

141–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत तार कटिंग में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? तार कटिंग न हो, इसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि 11 के० वी० स्वतंत्र फीडर गण्डक सम्वर्धन उपकेन्द्र इण्डस्ट्रियल स्टेट, देवरिया के एस० डी० ओ० प्रथम श्री सियाराम राय/कर्मचारी 20-2-92 को तार कटिंग में रंगे हाथ पकड़े गये ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही आज तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

तार कटिंग में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरण संज्ञान में आने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है । चोरी की घटना की सूचना ज्ञात होते ही स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराने के अतिरिक्त विभागीय प्रवर्तक दल को भी पूरी घटना की सूचना देकर कार्यवाही करायी जाती है । पुलिस प्रशासन द्वारा तत्परता से कार्यवाही करने हेतु शासन के गृह विभाग द्वारा भी कड़े निर्देश जारी किये गये हैं ।

तार कटिंग की घटना हो जाने के बाद शेष लाइन को शीघ्रताशीघ्र किसी न किसी माध्यम से ऊर्जीकृत किये जाने का प्रयास किया जाता है जिससे कि शेष लाइन के तार की कटिंग को रोका जा सके । जी नहीं । यह सत्य नहीं है कि तत्कालीन एस० डी० ओ० प्रथम श्री सियाराम राय/कर्मचारी 20-2-92 को तार कटिंग में रंगे हाथ पकड़े गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त घटना में श्री सी० बी० शुक्ला, अवर अभियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम देवरिया के [illegible] लेखर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसे न्यायालय एवं विभागीय जांच के दौरान दोष मुक्त किया गया था । अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

800 के० वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन हेतु रीवर क्रासिंग के निर्माण में तकनीकी घपला विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्द्रजीत सरोज, विधायक का पत्र दिनांक 22-4-97 एवं 10-7-97 जो कि तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित था और जिसमें 800 के० वी० पारेषण लाइन हेतु रीवर क्रासिंग के निर्माण में तकनीकी घपला विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर मई, 1998 से अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

संदर्भित पत्रों में उठाये गये 800 के० वी० अनपरा–उन्नाव पारेषण लाईन की रीवर क्रासिंग टावर की नीवों में पाईल फाउन्डेशन के स्थान पर वेल फाउन्डेशन बनाने का प्रकरण विद्युत परिषद् स्तर पर पूर्व से ही विचाराधीन था तथा दिसम्बर, 1997 में पाईल फाउन्डेशन के स्थान पर वेल फाउन्डेशन बनाने का निर्णय किया जा चुका था जिस पर निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

143–श्री अम्बरीष कुमार–

[दिनांक 11-2-99 को अता० प्र० सं० 163 द्वारा उत्तरित ।

144–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[2रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

लखनऊ नगर निगम में सड़क सफाई संयंत्र खरीदने का मामला

145–श्री हरदेव सिह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में सड़क सफाई संयंत्र डी० एल० 9803 कब और कितने में खरीदा गया है ? यह कितने समय तक कार्य करता रहा तथा इस संयंत्र पर मार्च, 1998 तक का व्यय विवरण क्या है ? क्या यह सत्य है कि खरीदने के तत्काल बाद उक्त संयंत्र खराब हो गया ? यदि हां, तो नगर निगम को हुई क्षति की भरपाई की जायेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्कशाप में कौन-कौन गाड़ियां कितने समय से खराब पड़ी हुई हैं ? क्या यह भी सत्य है कि पड़ी गाड़ियों के सामान बाहर बेंच दिया गया है ? क्या इसका भौतिक सत्यापन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत सफाई संयंत्र डी० एल० 9803 अक्टूबर, 1984 में रुपया 5,25,860/= में खरीदा गया ।

उक्त संयंत्र दिनांक 8-12-93 तक लगातार कार्य करता रहा । तत्पश्चात् ही उक्त संयंत्र खराब जाने के परिणाम स्वरूप उसकी मरम्मत में वर्ष 1998 तक रुपया 18,600.17 पैसे व्यय हो चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्कशाप में खराब पड़े हुये वाहनों का विवरण निम्नवत् है :–

वाहन संख्या	दिनांक (खराब होने का)
1–5822 मैकेनिकल लोडर	19-11-98
2–4337	25-11-98
3–9364	30-11-98
4–4333	18-1-99
5–4789 ली लैण्ड	6-1-99
6–6499 ..	30-11-98
7–4783 ..	30-11-98
8–9252 चैनल	23-11-98
9–4481 टावर	4-12-98
10–9333 ट्रैक्टर	12-11-98
11–9335 ..	31-10-98

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

146–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

नगर पंचायतों/ग्राम पंचायतों द्वारा पोलों/ट्रांसफार्मर रखने की मद में किराया वसूली के शासनादेश की जानकारी तथा मनमानी तरीके से एसेस किराये का जिलाधिकारी द्वारा वसूलने का मामला

147–श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश/विनियमावली बनाने संबंधी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 1-1-98 जो कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (वित्त) को सम्बोधित थे, प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा पोलों/ट्रांसफार्मर रखने की मद में किराया वसूल करने का कोई शासनादेश है ? यदि नहीं, तो क्या मनमानी तरीके से एसेस किराये का जिलाधिकारी के माध्यम से उ० प्र० रा० विद्युत परिषद् के खाते को कुर्क की गयी धनराशि को मय ब्याज के वापस लौटाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के ग्रामों में सी० ई० ए० परिणाम के अनुसार विद्युतीकरण का मामला

148–श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत राजस्व लेखा के अनुसार उ० प्र० में कुल कितने ग्राम हैं एवं विद्युत परिषद ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत

31-3-98 तक सी० ई० ए० परिभाषा के अनुसार कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? क्या सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आबाद ग्रामों की कुल संख्या 1,12,804 है ।

31-3-1998 तक 87930 ग्रामों का विद्युतीकरण सी० ई० ए० परिभाषा के अनुसार किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों का भौतिक सत्यापन समय-समंय पर करवाया जाता है ।

वाराणसी नवाबगंज तथा कश्मीरीगंज मोहल्ले में दोषपूर्ण एवं जर्जर सीवर लाइनों की व्यवस्थित करने का मामला

149–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में नवाबगंज तथा कश्मीरीगंज मोहल्ले में दोषपूर्ण एवं जर्जर सीवर लाइनों के कारण आये दिन उक्त क्षेत्रों में सीवर का गन्दा पानी ओवर फ्लो करता है एवं बरसात के दिनों में पानी का निकासी न होने के कारण जल-जमाव हो जाता है, जिससे वहां के नागरिकों को घोर कष्ट का सामना करना पड़ता है और संक्रामक रोग का प्रभाव भी लोगों पर दिखाई देता है ? क्या सरकार उपर्युक्त समस्या का निदान सीवर मद अथवा दशम वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धन से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वाराणसी नगर की सीवर व्यवस्था लगभग 100 वर्ष पुरानी है । नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने एवं तीर्थ यात्रियों आदि के आगमन के फलस्वरूप क्षमता से अधिक दबाव आ जाने के कारण सीवर प्रायः सरचार्ज अवस्था में रहती है । इसीलिए प्रायः जल भराव भी रहता है । नगर निगम द्वारा पम्पिंग से जल निकासी की जाती है । अतः संक्रामक रोगों की संभावना कम रहती है ।

वाराणसी शहर की ट्रंक सीवर लाइनों के सुदृढ़ीकरण हेतु गंगा कार्य योजना फेज–2 में सीवर सुधार का कार्य प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त दशम वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1997-98 में नगर निगम, वाराणसी को उपलब्ध करायी गई धनराशि से उनके द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में 33 लाख रु० की लागत से जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके निर्माण हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र की जल भराव की समस्या प्रायः हल हो जायेगी ।

वाराणसी नगर में प्रमुख चौराहा गोदौलिया का कूड़ाघर अन्यत्र स्थानान्तरित करने का मामला

150–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर में स्थित प्रमुख चौराहा गुदौलिया पर स्थित कूड़ा घर को जनहित में अविलम्ब अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 29 जून, 1998 के सदन में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कूड़ाघर को अविलम्ब अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु वाराणसी नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी को प्रभावी निर्देश देने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में सूचना मा० सदस्य को पत्र संख्या–3175ए/9-7-98-11 नियम/98, दिनांक 5 सितम्बर, 1998 द्वारा दी जा चुकी है ।

जी नहीं ।

इस व्यवसायिक क्षेत्र में अन्य कोई स्थल नहीं है, जहां कूड़ा एकत्रित करके उसका निस्तारण किया जा सके ।

वाराणसी कालोनियों में जल भराव के कारण गन्दगी को दूर करने की मांग

151–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में रवीन्द्रपुरी कालोनी में कई लेनों, आचार्य राम चन्द्र शुक्ल के मूर्ति के आस-पास तथा पदमश्री चौराहा के आस-पास गंभीर जल जमाव आये दिन होता रहता है । जिससे आवागमन में घोर कठिनाई के साथ ही नागरिकों का जीना दूभर हो गया है ? क्या उपर्युक्त कालोनी के दोषपूर्ण सीवर लाइनों को ठीक करने व आये दिन होने वाले मलमूत्र युक्त जलभराव की समस्या के निदान हेतु सीवर मद से अथवा दशम वित्त आयोग द्वारा प्राप्त धन से कार्य को कराने की सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वाराणसी नगर की सीवर व्यवस्था लगभग 100 वर्ष पुरानी है । नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने एवं तीर्थ यात्रियों आदि के आगमन के फलस्वरूप क्षमता से अधिक दबाव आ जाने के कारण सीवर प्रायः सरचार्ज अवस्था में रहती है । इसीलिए प्रायः जल भराव भी रहता है । नगर निगम द्वारा पम्पिंग से जल निकासी की जाती है । अतः आवागमन में अधिक कठिनाई नहीं होती है ।

वाराणसी शहर की ट्रंक सीवर लाइनों के सुदृढ़ीकरण हेतु गंगा कार्य योजना फेज–2 में सीवर सुधार का कार्य प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त दशम वित्त आयोग द्वारा वर्ष 1997-98 में नगर निगम, वाराणसी को उपलब्ध करायी गई धनराशि से उनके द्वारा निर्धारित क्षेत्रों में 33 लाख रु० की लागत से जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके निर्माण हो जाने के उपरान्त प्रश्नगत क्षेत्र की जल भराव की समस्या प्रायः हल हो जायेगी ।

जनपद वाराणसी में विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिणी में विद्युत आपूर्ति सुधार का मामला

152–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 242–विधान सभा क्षेत्र शहर दक्षिणी वाराणसी में विद्युत आपूर्ति सुधार से सम्बन्धित एम–5/1152/वाराणसी/98, दिनांक 1-6-98 मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्र में उल्लिखित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ चिनहट की सहयोग, सहकारी आवास समिति लि० गंगा विहार कालोनी द्वारा क्रय की गई जमीन, के विवरण की जानकारी तथा क्रय में हुई अनियमितता की जानकारी

153–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहयोग, सहकारी आवास समिति लिमिटेड, गंगा विहार कालोनी, चिनहट, लखनऊ द्वारा ग्राम चिनहट में कुल कितनी जमीन समिति के सदस्यों को

आवासीय भूखण्ड के रूप में उपलब्ध कराने हेतु किसानों से क्रय की गयी है ? क्या समिति द्वारा क्रय की गयी उक्त भूमि का मूल्य संबंधित किसानों को समिति द्वारा अदा कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त भूमि को समिति के सदस्यों में वितरित कर उन पर कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त समिति द्वारा, चिनहट ग्राम में क्रय की गयी भूमि को आवासीय भूखण्ड के रूप में विक्रय करने हेतु कोई "ले आउट" सक्षम अधिकारी, को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था और क्या उक्त "ले आउट" स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सहयोग सहकारी आवास समिति लि० द्वारा ग्राम चिनहट में खसरा संख्या–329/1 रकबा 17 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि दिनांक 28-4-92 को किसानों से क्रय की गयी है ।

जी हां ।

दिनांक 28-4-92 के पूर्व ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समिति द्वारा किए गये उक्त अनियमित कार्यों के लिए समिति के विरुद्ध समापन की कार्यवाही प्रारम्भ कर उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा–72 के अधीन नोटिस प्रकाशित करा दी गयी है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के नगर पंचायत कुरसठ में पेयजल समस्या के निदान की मांग

154–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत कुरसठ में पेयजल योजना के अन्तर्गत नगरवासियों को जल निगम द्वारा 1 ओवर हेड टैंक, 2 नलकूपों का निर्माण कराया गया है तथा नगर में पाइप लाइन भी बिछा दी गयी है ? क्या यह योजना जल निगम द्वारा वर्ष 1998 से पूर्व कर दी गयी थी ? क्या सरकार पेयजल की व्यवस्था शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

नगर पंचायत, कुरसठ में पाइप पेयजल योजना तकनीकी त्रुटियों के कारण बन्द है । तात्कालिक राहत हेतु 21 हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराकर पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है । आवश्यक संसाधन की उपलब्धता पर उक्त योजना पुनः चालू की जायेगी ।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र की नगर पंचायत कुरसठ की स्ट्रीट लाइन को चालू कराने की मांग

155–डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत कुरसठ में स्ट्रीट लाइट के लिये विद्युत विभाग द्वारा एक लाख निन्यानवे हजार छः सौ सत्तर रुपये का मांग पत्र बनाया गया था ? क्या वर्ष 1993 एवं 96 में क्रमशः नगर पंचायत कुरसठ

द्वारा एक लाख ग्यारह हजार नौ सौ तेइस रुपये तथा सांसद कोटे से सत्तासी हजार सात सौ सैंतालिस रुपया विद्युत विभाग को भुगतान किया जा चुका है ? क्या समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् भी नगर पंचायत कुरसठ की सीमा में ही विद्युत विभाग द्वारा खम्भे लगाकर स्ट्रीट लाइट के लिये तार खींचे गये है परन्तु अभी समस्त खम्भों पर तार नहीं बिछाये गये है ? क्या इस हेतु एक ट्रांसफार्मर भी लगा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्ट्रीट लाइट चालू करने की व्यवस्था शीघ्र करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जी हां । कार्य मार्च, 1999 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी नगर निगम के मौजा भिखारीपुर के ब्रजभाग पर अतिक्रमण हटाने के मामले

156–सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री माहेश्वरी पटेल, श्री शत्रुघन प्रसाद पटेल एवं श्रीमती निर्मला पटेल, सभासदगण, नगर निगम, वाराणसी के पत्र दिनांक 17-8-98 पर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी के पारित आदेश पत्रांक–342, दिनांक 25-8-98, जोनल अधिकारी, भेलूपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 23-9-98 को नगर निगम द्वारा प्रश्नगत अतिक्रमण हटाकर सार्वजनिक रास्ता साफ करा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत सार्वजनिक रास्ता अतिक्रमण कर्ता द्वारा पुनः जबरन अवरुद्ध कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं प्रश्नगत अतिक्रमण तत्काल हटाने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्नगत विवाद आरा जी नं० 72 व 74 मौजा भिखारीपुर के ब्रजभाग पर स्थित है । प्रश्नगत आराजी को उत्तर रेलवे सहकारी आवास समिति लिमिटेड द्वारा प्लाटिंग करके विभिन्न व्यक्तियों के नाम विक्रय किया गया है । प्रश्नगत अतिक्रमण के संबंध में विवाद सिविल जज, अवर वर्ग, शहर, वाराणसी के न्यायालय में वाद संख्या–953 सन् 1998 कृष्ण कुमार बनाम नगर निगम वाराणसी में दाखिल है जो आज भी विचाराधीन है ।

अतिक्रमण कर्ता द्वारा पुनः दिनांक 25-9-98 को दीवाल का निर्माण कराया गया है । चूंकि प्रकरण मा० न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान न करने का आदेश दिया गया है । ऐसी स्थिति में पुनः अतिक्रमण हटाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

कानपुर गंगा नदी बिठूर में लोकेशन नं० 1/0 पर पाईल फाउन्डेशन तथा हण्डिया इलाहाबाद में ओपेन फाउन्डेशन का निर्णय तथा अनियमितता में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

157–श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत बिठूर (कानपुर) में गंगा नदी के मध्य लाकेशन नं० 1/0 पर 16 पाईल एवं हण्डिया, इलाहाबाद गंगा नदी से 30 मीटर दूरी

पर ओपेन फाउन्डेशन बनाने का निर्णय किस अधिकारी द्वारा लिया गया था तथा पाईल फाउन्डेशन एवं ओपेन फाउन्डेशन बनाने का तकनीकी आधार क्या था ? इस अनियमितता के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

गंगा नदी बिठूर (कानपुर) में लोकेशन नं० 1/0 पर पाईल फाउन्डेशन बनाने का निर्णय विभाग की रिवर क्रासिंग कमेटी द्वारा लिया गया था एवं हण्डिया, इलाहाबाद में ओपेन फाउन्डेशन बनाने का निर्णय विभाग की रिवर क्रासिंग कमेटी तथा जापानी सलाहकार के प्रतिनिधि द्वारा लिया गया था ।

बिठूर (कानपुर) में गंगा नदी पर लोकेशन 1/0 मीयान्डरिंग जोन अर्थात् कटाव क्षेत्र में होने के कारण पाईल फाउन्डेशन बनाने व हण्डिया (इलाहाबाद) में लोकेशन के कटाव क्षेत्र में न होना ओपेन फाउन्डेशन बनाने के तकनीकी आधार थे ।

उक्त में कोई अनियमितता नहीं हुई । अतः कोई दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के चिकित्साधिकारियों के वरिष्ठता निर्धारण में श्री ए० के० हंगल, तत्कालीन उपसचिव एवं मुख्य अभियन्ता (लेसा) लखनऊ द्वारा की गई धांधली

158-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत चिकित्साधिकारियों के वरिष्ठता निर्धारण में श्री ए० के० हंगल, तत्कालीन उपसचिव एवं मुख्य अभियन्ता (लेसा) लखनऊ द्वारा धांधली बरती गयी थी ? क्या इस संबंध में श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 12-7-94 जो कि अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

जी हां ।

पत्र में उठाये गये बिन्दुओं का गहन परीक्षण किया गया एवं सम्यक् विचारोपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के उपमुख्य लेखाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के जी० पी० एफ० स्लिप देने हेतु टाईम शेड्यूल बनाने के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही

159–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उपमुख्य लेखाधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के जी० पी० एफ० स्लिप देने हेतु टाईम शेड्यूल बना दिये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, विधायक का पत्र दिनांक 15-12-97 जोकि अध्यक्ष, उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । उक्त पत्र में टाइम शेड्यूल बनाने का कोई उल्लेख नहीं था फिर भी जी० पी० एफ० स्लिप देने हेतु शेड्यूल सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियम 1905 की धारा 27 के अन्तर्गत निर्धारित है तथा उसके अनुपालन हेतु आदेश संख्या–1911/मु०ले०अ०/सा०भ०नि०/33, दिनांक 18-6-96 द्वारा

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर जी० पी० एफ० पर्ची निर्गत करने हेतु सभा उप मुख्य लेखाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है ।

पत्र में इंगित शिकायत का निराकरण मुख्य अभियन्ता (जनपद–परीक्षण) एवं विद्युत जनपद अभिकरण मण्डल के कर्मचारियों की वर्ष 1996-97 तक की लेखा पर्ची निर्गत करा कर किया जा चुका है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अप्रैल, 1995 से अक्टूबर, 1998 के मध्य अधीक्षण अभियन्ताओं की प्रोन्नति

160–श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अप्रैल, 1995 से अक्टूबर, 1998 के मध्य कितने अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रोन्नति देकर मुख्य अभियन्ता (स्तर–दो) बनाये गये ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितने मुख्य अभियन्ता (स्तर–दो) के अधिकारियों को मुख्य अभियन्ता (स्तर–एक) के पद पर प्रोन्नति कर दी गयी ? क्या मंत्री जी प्रोन्नत पाये अधीक्षण अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (स्तर–दो) के अधिकारियों के नाम व पदनाम तैनाती स्थान बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या ऐसे समस्त अधिकारी परिषद् स्तर पर अनुमोदित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अप्रैल, 1995 से अक्टूबर, 1998 के मध्य 102 अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रोन्नति देकर मुख्य अभियन्ता (स्तर–दो) बनाया गया ।

48 मुख्य अभियन्ता (स्तर–दो) के अधिकारियों को मुख्य अभियन्ता (स्तर–दो) के पद पर प्रोन्नति की गयी ।

जी हां । दिनांक 15-1-99 को कार्यरत अधिकारियों की सूची संलग्न है । शेष सेवानिवृत्त हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 145–148 पर ।]

जनपद लखनऊ जल संस्थान, इन्दिरा नगर जोन, में रुपये 25 लाख घोटाले के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

161–श्री सत्य प्रकाश सोनकर तथा श्री भोनू राम सोनकर–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के पांचवे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–61 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि निलम्बित कर्मचारियों को पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? क्या एफ० आई० आर० की जांच में धन का गबन किये जाने की पुष्टि हुई है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली संबंधित कर्मचारियों से की गयी है ? यदि नहीं, तो फर्जी तौर पर एफ० आई० आर० पंजीकृत कराने वाले अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान जोन–5 के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

केवल एक कर्मचारी को मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बहाल किया गया है, जिसका वाद मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

पुलिस द्वारा एफ० आई० आर० की विवेचना की जा रही है । अन्तिम विवेचना परिणाम प्राप्त नहीं हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् को 11 के० वी० तरना से बाबतपुर एयरपोर्ट लाइन निर्माण में हुई अनियमितता से सम्बन्धित पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

162–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मा० मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा अध्यक्ष, रा० वि० प० को एक अवर अभियन्ता द्वारा 11 के० वी० तरना से बाबतपुर एयरपोर्ट लाइन के निर्माण में बरती गयी गंभीर अनियमिततायें एवं आर्थिक घपले से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17 जून, 1998 पर महानिरीक्षक (विजिलेन्स) द्वारा तत्काल जांच कराये जाने के आदेश अध्यक्ष रा० वि० प० द्वारा दिये गये हैं ? क्या उक्त प्रकरण में पहले करायी गयी जांच में अनेक अनियमिततायें सही पायी गयी थीं ? यदि हां, तो उक्त दोनों जांच के परिणाम क्या हैं ? क्या दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

इक्वेटर द्वारा की गयी जांच में कतिपय अनियमितताएं प्रथम दृष्टया सत्य पायी गयी ।

प्रश्नगत प्रकरण में आदेशित सतर्कता जांच की जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई ।

जी नहीं ।

सतर्कता इकाई की जांच आख्या प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार संहत कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद वाराणसी में ट्रांसफार्मर की कमी से विद्युत आपूर्ति में हो रही समस्या के निदान हेतु उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर ट्राली में लगाकर व्यवस्था किये जाने की मांग

163–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में ट्रांसफार्मर की कमी से उत्पन्न होने वाली विद्युत आपूर्ति व्यवधान को दुरुस्त करने हेतु 8-10 की संख्या में उच्च शक्ति के ट्रांसफार्मर ट्राली में फिट करके रखने एवं ट्रांसफार्मर जल जाने पर वहां ट्रांसफार्मरयुक्त ट्राली को पहुंचाकर अविलम्ब विद्युत आपूर्ति चालू करने एवं आयात स्थिति में ब्रेकडाउन अथवा फाल्ट को ठीक करने हेतु रात्रिकालीन बिजली मिस्त्रियों के दो तीन गैंग नियुक्त करने संबंधी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उन्हें दिनांक 11-9-98 तथा अध्यक्ष एवं सदस्य वितरण उ० प्र० रा० विद्युत परिषद्, लखनऊ को दिनांक 10-9-98 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए वर्तमान में चार ट्राली युक्त ट्रांसफार्मरों को क्रय करने हेतु निर्देश दे दिए गये हैं ।

33/11 के० वी० उपकेन्द्रों/शिकायत कक्षों पर रात्रि में विद्युत कर्मचारी उपभोक्ताओं की शिकायतों/ब्रेक डाउन को ठीक करने के लिए लगाए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् की इन्दिरा नगर विस्तार योजना के भवन से 22/641, 15/25 के आवंटन में की गई अनियमितता

164–श्री पीतम राम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के 7वें गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–77 के उत्तर के संदर्भ में क्या आवास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा जिला परिषद्/नगर निगम द्वारा निर्मित सड़क का 36.57 वर्गमीटर भाग आवास संख्या–22/641 के आवंटी को अतिरिक्त भूमि के रूप में क्यों आवंटित किया गया जबकि आवंटी आवास का कुल अनुमन्य क्षेत्रफल 25.05 वर्गमीटर ही है ? क्या निर्मित सड़क की भूमि में अनियमित आवंटन को जनहित में निरस्त करने के आदेश आवास आयुक्त को शासन के पत्रांक–53वी/9 आ–2-94, दिनांक 4 फरवरी, 1994 द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या आवंटन निरस्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

परिषद् की इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के अन्तर्गत भवन संख्या–22/641 दुर्बल आय वर्ग श्रेणी का 15/25 टाइप डिजाइन का भवन है। इस प्रकार के भवनों के भूखण्ड का मानक क्षेत्रफल लगभग 25.00 वर्ग मीटर है, परन्तु प्रश्नगत भवन किनारे का है। इस भवन के बगल में उपलब्ध रिक्त भूमि को शामिल करते हुए इस भवन के साथ कुल 62.63 वर्गमीटर भूमि आवंटित की गयी है। आवंटित भूमि किसी सड़क का भाग नहीं है, बल्कि परिषद् द्वारा नियमानुसार अर्जित की गयी भूमि का ही भाग है।

जी हां। शासनादेश में प्रश्नगत प्रकरण की जांच कराकर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश भी आवास विकास परिषद् को दिये गये थे। इस संबंध में विस्तृत जांच कराने पर यह पाया गया कि भवन सं०–22/641 के साथ आवंटित भूमि नियमानुसार परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि है। परिषद् द्वारा नियमानुसार अधिग्रहीत भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से अपना मकान बना लिया है तथा इन लोगों के द्वारा योजना में डाली गयी सीवर लाइन से अपने भवनों में अवैध कनेक्शन भी करा लिए हैं, जोकि भवन सं०–22/641 के साथ आवंटित की गयी भूमि के नीचे से निकल रही है।

चूंकि भवन संख्या–22/641 के साथ आवंटित अतिरिक्त भूमि परिषद् द्वारा अधिग्रहीत है, अतः इस भवन के साथ आवंटित की गयी भूमि के आवंटन को निरस्त करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

165–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।

166–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[ले मंगलवार में अता० प्र० सं०–94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।

श्रीनगर–पौड़ी–कोटद्वार–मेरठ राज मार्ग का डामरीकरण हाट मिक्स से करने के लिये श्री नगर पौड़ी बुआखाल तक की रोड के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी

167–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीनगर–पौड़ी–कोटद्वार–मेरठ राज मार्ग को डामरीकरण हाट मिक्स करने के लिये श्रीनगर पौड़ी बुआखाल तक 52 कि० मी० सड़क के निर्माण की स्वीकृति का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति वर्ष 1998-99 में प्राप्त होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल निशंक–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, विकास खण्ड नवाबगंज, लाम्बाखेड़ा के बद्री प्रसाद अम्बेडकर ग्राम के चयनित होने पर विकास की मांग

168–श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज का ग्राम लाम्बाखेड़ा बद्री प्रसाद अम्बेडकर ग्राम चयनित हुआ है ? क्या ग्राम की मुस्लिम बस्ती छोड़कर शेष में विकास कार्य कराये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार इस ग्राम के विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)–

जनपद बरेली के विकास खण्ड नवाबगंज के लाम्बा खेड़ा के बद्री प्रसाद अम्बेडकर ग्राम का चयन वर्ष 1996-97 में किया गया है न कि वर्ष 1997-98 में ।

चयनित ग्राम में आई० आर० डी० पी०, इन्दिरा आवास, निःशुल्क बोरिंग, स्वच्छ शौचालय खड़न्जा नाली निर्माण, सम्पर्क मार्ग, किसान पेंशन, विधवा पेंशन, हैण्ड पम्प, एवं विद्युतीकरण का कार्य कराकर उसे संतृप्त कर दिया गया है ।

उक्त अम्बेडकर ग्राम में सम्पूर्ण ग्राम का विकास कार्य कराया गया है तथा मुस्लिम बस्ती को छोड़कर विकास कार्य कराने की बात असत्य है ।

वर्ष 1997-98 में जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उक्त अम्बेडकर ग्राम में कराये गये विकास कार्यों का सत्यापन कराया जा चुका है ।

गढ़वाल कोटद्वार विद्युत वितरण खण्ड में वित्तीय वर्ष 1997-98 स्वीकृत लघु उद्योगों के लिए स्माल पावर कनेक्शन

169–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार, गढ़वाल में वित्तीय वर्ष 1997-98 में कुल कितने लघु उद्योगों को स्माल पावर कनेक्शन स्वीकृत किये गये थे और इनसे विद्युत परिषद् को वित्तीय वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 को 31 अक्टूबर, 1998 तक कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? इन लघु उद्योगों को वित्तीय वर्ष 1997-98 में नियमित रूप से कुल कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी और विद्युत बिलों के भुगतान में पर्वतीय क्षेत्र के नाते कुल कितने प्रतिशत की छूट दी गयी ? परिषद् को कुल कितना रुपया छूट के रूप में छोड़ना पड़ा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1997-98 में विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार द्वारा लघु उद्योगों को मात्र चार नं० विद्युत पावर संयोजन स्वीकृत किये गये थे । इनमें से मात्र दो उपभोक्ताओं को वर्ष 1997-98 में विद्युत संयोजन अवमुक्त किये गये थे । दो उपभोक्ताओं द्वारा प्राकलन की राशि जमा न करने के कारण एवं उनके परिसर उपलब्ध न होने के कारण संयोजन अवमुक्त नहीं किये गये । जिन दो उपभोक्ताओं को वर्ष 1997-98 में संयोजन अवमुक्त किये गये उनसे वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 (31-10-98) तक मात्र रु० 18,000/–परिषद् को प्राप्त हुये तथा दोनों को 20 घण्टे प्रतिदिन आपूर्ति की गयी थी । इन उपभोक्ताओं को पर्वतीय क्षेत्र के नाते कोई पर्वतीय छूट नहीं दी गयी है । अतः परिषद को कोई धनराशि छूट के रूप में नहीं छोड़नी पड़ी ।

गढ़वाल कोटद्वार विद्युत वितरण खण्ड द्वारा ग्राम बालासोड तथा आस-पास क्षेत्रों में स्वीकृत वर्ष 1997-98 तक थ्री फेस लाइन को पूर्ण कराने की जानकारी

170–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार गढ़वाल द्वारा ग्राम बालासोड तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों के लिये वित्तीय वर्ष 1997-98 तक थ्री फेस लाइन स्वीकृत किये गये थे तथा इन्हीं क्षेत्रों में नये पोल लगाने की परिषद् द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो इस पर

अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में थ्री फेस लाइन तथा बिजली के खम्भे शीघ्र लगवाने के आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । वर्ष 1997-98 में स्वीकृत किये गये थे ।

जी हां ।

वर्ष 1997-98 में स्वीकृत 3 फेज लाइन एवं इन्हीं क्षेत्रों में पोल लगाने के परिषद् द्वारा स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त के अनुसार कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में नगवा स्थित सन्त रविदास पार्क के निर्माण में हुई अनियमितता तथा घोटाले का मामला

171–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास एवं आवास मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी में नगवा स्थित सन्त रविदास पार्क के निर्माण में अनेक प्रकार के घोटाले एवं अनियमितता किये जाने की बात प्रकाश में आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

इस प्रकरण की जांच मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् से कराई गयी थी । प्राप्त जांच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा प्रक्रिया संबंधी कतिपय दोष बताए गये हैं, किन्तु किसी अधिकारी/कर्मचारीका उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी ग्राम भिखारीपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर में आ० नं० 74 के प्लाट धारकों द्वारा सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने का मामला

172–श्री सत्य प्रकाश सोनकर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी का पत्रांक 7845/वैय०सहा०–98 दिनांक22-8-98 एवं पत्रांक 8115 दिनांक 7-10-98 तथा पत्रांक 8238 दिनांक 25-10-98 जो ग्राम–भिखारीपुर, परगना देहात अमानत, तहसील–सदर, जिला वाराणसी में आ नं०–74 के प्लाट धारकों का सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध किये जाने विषयक है, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण में मण्डलायुक्त के निर्देशानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सन्दर्भित प्रकरण में अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी के सम्यक् जांचोपरान्त पारित आदेश दिनांक 11-9-98 के अनुपालन में जोनल अधिकारी, भेलूपुर द्वारा दिनांक 23-9-98 को प्रश्नगत अतिक्रमण/अवरोध हटवा कर सार्वजनिक रास्ता साफ करा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थल पर अतिक्रमणकर्ता द्वारा दिनांक 25-9-98 को पुनः जबरन अतिक्रमण कर सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है ? यदि हां, तो अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

आराजी नं०–74 मौजा भिखारीपुर के जुज भाग पर स्थित है । प्रश्नगत आराजी को उत्तर रेलवे सहकारी आवास समिति लिमि० द्वारा प्लाटिंग करके विभिन्न व्यक्तियों के नाम विक्रय किया गया । प्रश्नगत अतिक्रमण के संबंध में विवाद सिविल जज, अवर वर्ग शहर, वाराणसी के न्यायालय में वाद संख्या–953 सन् 1998 कृष्ण कुमारी बनाम नगर निगम, वाराणसी दाखिल है जो आज भी विचाराधीन है ।

अतिक्रमणकर्ता द्वारा पुनः 25-9-98 को दीवाल का निर्माण कराया गया है । चूंकि प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान न करने का आदेश दिया गया है । ऐसी स्थिति में पुनः हटाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् लखनऊ के मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) द्वारा की गई नियुक्ति का मामला

173–श्री कोविद कुमार, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ द्वारा माह सितम्बर, 1978 में एडहाक पर नियुक्त हुए कितने दै० श्रे० लि० (मु०अ०सं०) को बिना कोई प्रक्रिया/नियम का पालन ही नियुक्ति तिथि से ही अनुमोदित घोषित कर दिया गया है तथा उन्हें अनियमित ढंग से क०पा० लि० के पद पर जून, 1997 से प्रोन्नत भी कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी ऐसे कर्मचारियों को पदोवनति करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सितम्बर, 1978 में एडहाक पर नियुक्त हुए 02 दैनिक श्रेणी लिपिकों (मु०अ०सं०) को श्रम न्यायालय द्वारा दिये गये एक अवार्ड के दृष्टान्त के आधार पर नियुक्ति तिथि से अनुमोदित घोषित किया गया है तथा वरिष्ठता क्रमानुसार उन्हें कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के पद पर प्रोन्नत किया गया है ।

पदोन्नति नियमानुसार होने के कारण पदावनति होने के कारण पदावनति करने का प्रश्न नहीं उठता ।

174–श्री कोविद कुमार सिंह, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अनपरा तापीय परियोजनाके राख निस्तारण प्रणाली में करोड़ों का घोटाला

175–श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण प्रणाली में करोड़ों रुपये के घोटाले के प्रकरण पर सतर्कता इकाई द्वारा वर्ष 1996 में कितने अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

परिषदीय सतर्कता इकाई द्वारा अनपरा तापीय परियोजना के 19 अधिकारियों के विरुद्ध राख निस्तारण घोटाले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कीधारा 13 (डी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है ।

दर्ज प्राथमिकी पर अग्रेत्तर विवेचना प्रचलित है जो वर्तमान में सी० बी०, सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीनगर गढ़वाल में राजकीय बेस चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधायें विस्तारीकरण का मामला

176–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय बेस चिकित्सालय, श्रीनगर, गढ़वाल में चिकित्सा सुविधायें व चिकित्सालय के विस्तारीकरण व उसे कार्यशील बनाये जाने एवं स्टाफ की स्वीकृति हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, राजकीय बेस चिकित्सालय, श्रीनगर, गढ़वाल द्वारा दिनांक 8 नवम्बर, 1997 व 12 नवम्बर, 1997 को महानिदेशक,

उत्तरांचल विकास स्वास्थ्य निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ को अलग-अलग पत्रावलियां भेजी गयी थीं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हां ।

राजकीय बेस चिकित्सालय, श्रीनगर गढ़वाल में चिकित्सा सुविधायें व चिकित्सालय के विस्तारीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 24-12-1998 द्वारा रु० 7,59,895 की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीनगर, गढ़वाल के राजकीय बेस चिकित्सालय में सफाई कर्मचारियों के पदों का सृजन

177–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत दै० नं० ब० राजकीय बेस चिकित्सालय श्रीनगर, गढ़वाल के लिये सफाई सेवकों के 17 पदों का सृजन करने हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने महानिदेशक, उत्तरांचल विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ० प्र० को दिनांक 8 नवम्बर, 1997 को पत्रावली भेजी थी ? यदि हां, तो क्या बेस चिकित्सालय, श्रीनगर, गढ़वाल में में 17 सफाई कर्मचारियों के पद सृजित हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा० रमेश पोखरियाल "निशंक"–

जी हां ।

विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के द्वितीय चरण का कार्य हरिद्वार से प्रारम्भ करने का मामला

178–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना के द्वितीय चरण के कार्य हरिद्वार में कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? क्या इन कार्यों हेतु विभाग से आगणन प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार को स्वीकृत एवं परीक्षण हेतु इसे प्रेषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में वर्णित कार्य अप्रैल, 1998 से आरम्भ किये जा चुके हैं ।

जी हां । सभी आगणन प्राप्त हो चुके हैं और केन्द्र सरकार को जून, 1997 से अगस्त, 1998 की अवधि में प्रेषित किये जा चुके हैं ।

जिला वाराणसी, मौजा सिकरौल, परगना–शिवपुर में स्थित प्लाट सं० 816 क्षेत्रफल 64 डिस्मिल की भूमि को न्यायालय के आदेशानुसार मुक्त करने का मामला

179–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में स्थित प्लाट सं० 816 क्षेत्रफल 64 डिस्मिल मौजा सिकरौल, परगना–शिवपुर, जिला–वाराणसी को जिला जज, वाराणसी के सीलिंग अपील संख्या 147 दिनांक 1-12-95 एवं तदुपरान्त मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट पिटीशन नं० 40349 सन् 1996 में निर्णय के संदर्भ में संबंधित भूमि को मुक्त कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 98 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या न्यायालयों के निर्णय के अनुसार संबंधित भूमि को मुक्त किये जाने हेतु सरकार ने सक्षम अधिकारी को कोई आदेश निर्गत किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से निर्णय की सत्य प्रमाणित प्रति प्राप्त होने तथा उसका अध्ययन करने के पश्चात् ही आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

इस समय 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

जनपद महाराजगंज के ग्राम पचरुखिया में हुए गोली कांड की जांच कराने की मांग

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, मैं कल घटना स्थल पर उस गांव में गया था इस जानकारी के लिये कि वास्तविकता क्या है और उस आधार पर मैं सदन को अवगत कराऊंगा । मैं अनुमति चाहता हूं कि वहां पर जो वास्तविकता मैंने देखी है उसकी जानकारी सदन को दूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप जानकारी सदन को दे दें । इससे सदन लाभान्वित होगा लेकिन जो जानकारी शासन के पास है उसको भी सुन लें । जो आपने जानकारी दी है वह भी सदन को मालूम हो जायेगी और जो शासन के पास है वह भी सदन को मालूम हो जायेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं कल पचरुखिया गांव गया था जहां यह विवादित स्थल है और गांव के पश्चिम साइड तालाब है और तालाब के चारों ओर जो जमीन है वह सरकारी रिकार्ड और जैसे कि एस० डी० एम० ने कागजात मुझे वहां पर मौके पर दिखाये, जो नजीर नक्शा दिखाया उसके अनुरूप कब्रिस्तान दर्ज है । यह इन्दराज कुछ तो चकबन्दी के पहले का है, जमींदारी के समय का और कुछ इन्दराज जो थोड़ी सी जमीन रह गयी थी बीच में, उसका इन्दराज जब चकबन्दी थी सन् 74 और 75 में उस समय सरकारी कागजों में, क्योंकि वह बीच में आती थी इसलिये उसको भी कब्रिस्तान के रूप में दर्ज करा दिया ।

मौके की स्थिति यह है कि उस तालाब के पश्चिम साइड, दक्षिण आर पश्चिम कोने से लेकर उत्तर और पूर्व के कोने तक और उसके आगे पूर्व की तरफ दो तिहाई जमीन पर कब्रिस्तान है जहां पर शव दफनाये जाते हैं और जो पूर्व और दक्षिण का कोना है उसमें एक तालाब गांव समाज ने बनाया है, हालांकि वह भी कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है, लेकिन तालाब बनाया गया है और उसकी सफाई आदि होती है, एक छोटा सा तालाब है मत्स्य पालन के लिये । दक्षिण की ओर पांच-छः आम के पेड़ हैं और वह चालीस पचास साल पुराने पेड़ हैं और वहां पर पेड़ों के नीचे जब पानी ज्यादा बरसता है और तालाब भर जाता है तो उन पेड़ों के नीचे भी पानी भर जाता है । उन पेड़ों के नीचे दो ब्राह्मण परिवार रहते हैं । जब छठा होता है तो पूजा होती है तो वह यह काम कराते हैं । क्योंकि यह कब्रिस्तान के रूप में दर्ज था, 15-16 जनवरी को विवाद चला । बातचीत यह दर्ज है कि कब्रिस्तान होना चाहिये । तो उस गांव के लोगों ने मिलकर पंचायत फैसला कर लिया लिखित । उसमें यह दिया हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जहां पर अपने मुर्दे दफनाते हैं वह पूर्ववत् दफनाते रहेंगे लेकिन पूजा जो दो ब्राहमण परिवार करते रहे हैं कोई किसी तरह का व्यवधान नहीं डाला जायेगा । आम के वृक्ष जिसके हैं क्योंकि वह सरकारी कागजों में दर्ज नहीं हैं, लेकिन उनका पालन पोषण किया गया है तो जिस व्यक्ति ने वृक्ष लगाये हैं उसी के रहेंगे यह लिख दिया गया है आम भी खायेंगे और जो लकड़ी टूटेगी बेच भी सकते हैं । यह भी इसमें लिख दिया गया है कि स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी । लेकिन इस स्थिति को बिगाड़ने के लिये बाबा महंत आदित्य नाथ जी 6 तारीख को वहां पहुंचे काफी काफिले के साथ वहां जाते हैं गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं उकसाते हैं और कहते हैं कि यह मुट्ठी भर मुस्लिमों से तुम लोग इतना क्यों घबड़ाते हो, दबते हो, चलो मैं चलता हूं । और उसके पास पीपल वृक्ष उसी पूर्वी और दक्षिण कोने में लगा देते हैं 10-15 ईंटों का घरौंदा बन जाता है छठ पूजन के लिये ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जो आम के पेड़ फले हैं वहां गीली मिट्टी लगी हुई है क्योंकि छाया है। 6-7 दिन में वह सूख नहीं पायी है दो घरौंदे बना दिये गये हैं। इसके बाद वे वहां से चले गये उनके जाने के पश्चात् मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि यह पीपल के नये वृक्ष लगाये गये हैं यह सब पूजन के लिये घरौंदे बनाये गये हैं जो गलत है। क्योंकि लिखा-पढ़ी में बात यह हुई थी कि पूजा होती रहेगी लेकिन कोई नयी बात नहीं होगी। मान्यवर हमारी समाजवादी पार्टी का जेल भरो आन्दोलन चल रहा था तो उसमें यह तय किया गया कि धर्मपुर तहसील पर एक मीटिंग होगी और उसमें पूर्व स्थिति की बहाली के लिये संघर्ष तय किया जायेगा और इस मांग को लेकर भी हम जेल में जायेंगे। दो-ढाई सौ लोग इकट्ठे हुए मंच बना और मीटिंग की गई। इधर तो मीटिंग चल रही थी, महन्त जी गोरखपुर से आते हैं। 15-20 गाड़ियों में लोग मय असलहा के आते हैं गांव में पहुंचते हैं और पहुंच कर लोगों को इकट्ठा करते हैं और बड़ी उत्तेजनात्मक बात करते हैं।

मान्यवर, गांव में जब मैं वहां से तालाब से गांव में गया तो वहां पर कुछ बूढ़ी औरतें बच्चे और वृद्ध लोग थे जवान लोग नहीं थे मैंने वहां आरतों से और बृद्धों से पूछा कि क्यों ऐसा हुआ उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं हुई थी महंत जी आये और यह स्थिति पैदा कर दी जो फसाद था उसका तो फैसला हो गया था। महन्त जी उस दिन आये और आकर उत्तेजनात्मक भाषण कर दिये और कहने लगे कि अरब से लोग चले आये हैं कब्जा करेंगे वहां से हथियार लाते हैं तो हम एक बम फैक्ट्री खोल देंगे। मान्यवर, इससे वहां उत्तेजनात्मक बात पैदा हुई पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस और पी० ए० सी० वहां तैनात है उन्होंने उनसे कहा भी कि महन्त जी आप जाइये और इस तरह की बात न करिये। मान्यवर, तालाब के किनारे उत्तर साइड पर एक मजार सूफी संत की पक्की बनी हुई है उसको ध्वस्त किया पुलिस रोकती रही उन्होंने किसी की मानी नहीं उनके साथ सौ-दो सौ लोग थे।

श्री अध्यक्ष–

जरा शान्त रहिये आपस में बातचीत न करिये।

श्री धनीराम वर्मा–

इसी बीच वहां मीटिंग चल रही थी मीटिंग में लोगों ने कहा कि पूर्व स्थिति बहाल नहीं हुई इसलिये मौके पर चलेंगे। पूर्व स्थिति बहाल होनी चाहिये। हमारे कुंवर अखिलेश सिंह जी पूर्व विधायक जनार्दन प्रसाद ओझा जी, जमुना प्रसाद जी यादव जी आदि लोग भी थे। यहां शान्ति से रहिये, आप लोग नहीं मानते हैं तो हम लोग जाते हैं, मोटरसाइकिल से जायेंगे। जीप से नहीं जायेंगे गाड़ी से नही जायेंगे नहीं तो समझेंगे कि इसमें हथियार हैं तो मोटरसाइकिल से वह चारों लोग मौके पर गये उधर महन्त जी यहां से चल दिये थे और इधर से ये आ रहे थे तो इन लोगों ने सोचा कि बीच में मुठभेड़ हो जायेगी तो यह लोग रुक गये पुलिस ने उनसे कहा कि आप लोग सीधे गोरखपुर से जाइये, एडीशनल एस० पी० ने बताया कि आप गोरखपुर में जाइये वहां पर मीटिंग हो रही है किसी तरह की उत्तेजनात्मक स्थिति पैदा हो जायेगी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा लेकिन वह नहीं माने वह धर्मपुर चौराहा 3–400 मीटर दूर होगा गोरखपुर और महराजगंज की सड़क पर है। श्रीमन् तब तक यह चारों लोग वहां से चले आये तो मीटिंग खत्म हो गयी और थोड़े से लोग रह गये इस इन्तजार से कि क्या खबर लाते हैं।

यह लोग गये तो रास्ते में रुक जाते हैं कि कहीं बीच में हादसा न हो जाय। वह उधर से घूमकर चले जाते हैं और सबसे पहले मंच को तोड़ते हैं और उसके बाद महन्त जी ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और बिना वजह उसकी मौत हो गयी। यह लोग सीधे चले जाते हैं। डी० एम० साहब के पास भी 45 मिनट बात करते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है तो यह माहौल पैदा कर दिया जाता है इस पर मेरे प्रकरण पर आप सरकार का पक्ष सुन लीजिए। मेरी मांग है कि जो रिपोर्ट हुई है उसमें महन्त जी और उनके साथी पूरी तरह से दोषी हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी के आदेश होने चाहिए। जांच की आवश्यकता नहीं है।

[illegible] जिस तरह से माननीय नेता विपक्षी दल की बात लोगों ने शांतिपूर्वक सुना है उसी तरह से [illegible] सुनना चाहिए हम लोग भी शान्ति से सुन लेंगे।

* संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आभारी हूं। नेता विरोधी दल का जो मौके पर गये और सारी जानकारी करके आये और कुछ तथ्य रखे। अब विवाद इस बात का नहीं है कि मौके पर स्थिति क्या है। यह बात सही है कि जहां पर तालाब बना हुआ है वहां पर कब्रिस्तान है और वह 1901 से कब्रिस्तान दर्ज है। यह भी सही है कि उस कब्रिस्तान में पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था, चबूतरा बना हुआ था और दोनों वर्ग के लोग बड़ी शांति के साथ पिछले बहुत दिनों से अपने अपने काम को अंजाम देते आ रहे थे। जहां मुर्दे को दफन करने वाली बात थी वहां कोई अवरोध नहीं था, जहां क्रियाकर्म करने वाली बात थी उसमें यह होता था कि पीपल के पेड़ पर घंटा बांध देते थे। उसमें अवरोध नहीं था। वहां पर एक चबूतरा बना हुआ था उसमें अवरोध नहीं था। यह सारा सर्वे हुआ है। 30 तारीख से इसकी शुरुआत हुई है।

30 तारीख में यह जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने उस पीपल के पेड़ को काट दिया और वहां तनाव व्याप्त हो गया है। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर गये और 31 तारीख को एस० डी० एम० और वहां के सी० डी० ओ० सयुक्त रूप से वहां पर गये तो उन्होंने देखा और दोनों समुदायों के लोगों को समझाया तो बात इस पर आई कि इस पेड़ का क्या हो क्योंकि पीपल का पेड़ ऐसा है कि एक वर्ग से जुड़ा हुआ है और उनकी धार्मिक भावनाएं सीधे उससे जुड़ी हुई हैं तो पीपल का पेड़ क्यों काट दिया गया जबकि उनकी तरफ से कोई तो ऐसी बात नहीं थी ?

तो यह तय हुआ है कि पेड़ दुबारा लगा दिया जाय। 6 तारीख को स्थानीय सांसद मौके पर गये और उन्होंने एक के बजाय 4 पीपल के पेड़ वहां लगा दिये, यह बात सही है। बाद में इस बात का वहां विवाद था कुछ लोग कह रहे थे कि एक पेड़ रहेगा, कुछ का कहना था कि चारों पेड़ रहेंगे। लेकिन प्रशासन का यह दृष्टिकोण था कि वहां एक ही पेड़ रहना चाहिये। उसके बाद महन्त जी चले गये। 7 तारीख को डी० आर० डी० ए० की मीटिंग थी, उसमें प्रभारी मंत्री मौजूद थे, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने इस बात को कहा कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो जाना चाहिये और कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति वहां पर नहीं जायेगा, केवल जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही जायेंगे। संभवतः समस्या का समाधान हो भी गया होता, लेकिन 7 तारीख को कुछ बाहर के तत्व वहां गये और जो चबूतरा वहां बना था, उसको तोड़ दिया, पेड़ भी उखाड़ दिया, उसकी जानकारी वहां दी गयी और जानकारी देने के बाद 10 तारीख में जब स्थानीय सांसद जी अपने एक चीनी मिल के कार्यक्रम में जा रहे थे, उनसे गांव के लोग मिले और उनको बताया कि चबूतरा तोड़ दिया गया तथा पीपल के पेड़ उखाड़ दिये गये, आप वहां के सांसद है, आप वहां देखने चलिये ? तब सांसद जी मौके पर गये। बातचीत चल रही थी, उनकी इस बात की शिकायत थी कि स्थानीय लोगों को विश्वास में लिये बिना यह सब तोड़ दिया गया जो पूजा स्थल बना था, उसको क्यों तोड़ दिया गया ? सांसद जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी के पास जा रहा हूं और मैं सारी जानकारी लेकर आप लोगों को दूंगा, वह महराजगंज चले गये। यह दोनों घटनायें बिल्कुल अलग-अलग हैं।

श्री अवधेश प्रसाद–

जहां घटना हुई, क्या वह महराज जी का क्षेत्र है, वह वहां के क्या सांसद हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं टेक्निकल बातों में कम जाता हूं। यह महराज जी और उससे पहले बड़े महराज जी, उस जनपद से ही नहीं, सब जगह जाने जाते हैं। पंकज जी का यह क्षेत्र है। महाराजगंज और गोरखपुर पहले एक ही जनपद थे। महाराज जी ने वहां कहा कि जो समझौता आपने कराया था, उसके प्रतिकूल वहां पर काम हो गया। उसके बाद वहां से लौटकर महाराज जी धर्मपुर चौराहे से गुजर रहे थे, वहां दल विशेष का जेल भरो आन्दोलन का कार्यक्रम था, पूरा रास्ता जाम था, महराज जी ने रास्ता खुलवाना चाहा, इसी बीच वहां पथराव शुरू हो गया। जो रिपोर्ट हमारे पास है, उसके अनुसार गोलियां भी चलीं, एक पुलिस

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कर्मी शहीद भी हुआ और जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिये, दोनों घटनायें बिल्कुल अलग-अलग हैं । अगर इससे पहले वहां कोई मारपीट, हिंसा उस क्षेत्र में हुई होती । उस गांव में कोई घटना नहीं होती, किसी प्रकार की मारपीट नहीं होती । वहां से 2 किलोमीटर दूसरी जगह पर घटना होती है । जनपद मुख्यालय पर लोग जाते हैं तो दूसरे लोग रास्ता रोकते हैं । रास्ता खुलवाने की कोशिश करते हैं और यह घटना हो जाती है । इस घटना को लेकर दोनों तरफ से मुकदमें कायम कराये गये हैं । दोनों घटनाओं के मुकदमें कायम हुये हैं । जैसा कि नेता विरोधी दल ने कहा कि गिरफ्तार किया जाय ।

मान्यवर, इस घटना को लेकर 2 अलग-अलग विषय आये हैं, मैं विस्तार में इसलिये नहीं जाना चाहता हूं कि मेरे कहने से शायद निष्पक्ष जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसकी वजह क्या है, नजदीक से गोली लगी है या दूर से गोली लगी है । क्या स्थिति है अगर इसकी जानकारी होती तो शायद आज नेता विरोधी दल खड़े होकर मांग न करते । मैं नेता विरोधी दल से सहमत हूं कि घटना की जांच करायी जाय । मैं विश्वास दिलाता हूं कि जांच निष्पक्ष होगी और जो जांच में दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी । एक आग्रह और करना चाहता हूं कि बहुत प्रयास के बाद, अथक प्रयास के बाद सरकार ने एक माहौल सुधारा है । कम्युनल हारमोनी प्रदेश में कायम हुयी है । इस घटना को राजनीतिक रंग देकर राजनीतिक रोटी सेंकना प्रदेश को बरबाद करने की कोशिश करना है । सरकार ने मजबूत स्टैण्ड लेकर कम्युनल हारमोनी बनायी है उसको हम डिस्टर्ब्ड नहीं होने देंगे ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है वह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष को बोलने दीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि वहां पर पी० ए० सी० किस तारीख को तैनात की गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

31-1-99 को वहां का मौका मुआयना करने के बाद उसी रोज पी० ए० सी० तैनात की गयी ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि पूरा दोष किसका है ? वहां पी० ए० सी० मौजूद थी उसकी मौजूदगी में पीपल के पेड़ लगाये गये और पी० ए० सी के रहते पीपल के पेड़ उखाड़े गये और मजार तोड़ी गयी ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सदस्य–

मजार नहीं तोड़ी गयी है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आप जांच करवा लें अगर नहीं तोड़ी गयी हो तो मुझे [x x x] दीजिए । [x x x] अच्छी बात नहीं है । वहां प्रभारी मंत्री जी ने आदेश दिया था वहां पूर्व की स्थिति बहाल कर दी जाय लेकिन डी० एम० साहब ने कहा कि महन्त जी से पूछ लूंगा तब स्थिति बहाल करूंगा ।

मान्यवर, डी० एम० दबाव में थे और प्रभारी मंत्री के कहने के बावजूद भी उन्होंने पूर्व की स्थिति को बहाल नहीं किया । वहां पर मजार तोड़ दी गयी । जो यह कहा जा रहा है कि मजार नहीं टूटी अगर सत्य हो तो जो भी सजा सदन के सामने हो, उसके लिए मैं तैयार हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक प्रश्न यह आया कि पी० ए० सी० के रहते हुये, पुलिस फोर्स के रहते हुये वृक्षों को काटना यह बात सही थी । मेरे मन में भी यह शंका थी कि पुलिस के तैनात रहते हुये कैसे पेड़ उखाड़ दिये गये और धर्मस्थल चबूतरा कैसे तोड़ दिया गया ? सांसद महोदय की भी यही शिकायत थी कि पुलिस के लगी रहने के बावजूद कैसे तोड़ दिया गया और इसकी शिकायत करने के लिए ही वह महराजगंज जा रहे थे कि पुलिस फोर्स के रहते कैसे पेड़ उखाड़ दिये गये ?

*मुख्य मंत्री (श्री कल्याण सिंह)–

अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी जानकारी के अनुसार यह बातें रखी हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जानकारियां प्राप्त की हैं वह भी बातें आपके समक्ष रख दी गयी हैं । मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं । सरकार पूरी दृढ़ता के साथ प्रतिबद्ध है कि हम प्रदेश में सामाजिक सरमसता को किसी प्रकार से नष्ट नहीं होने देंगे । सामाजिक समरसता को ध्वस्त करने के लिए और साम्प्रदायिक सौहार्द को ध्वस्त करने के लिए यह सरकार किसी को भी इजाजत नहीं दे सकती । दूसरा श्रीमन्, घटनायें दो हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं । जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रख दिये हैं । एक घटना जो 30 तारीख से प्रारम्भ होती है और घटना 10 तारीख की है । दोनों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है । अभी जो बात आयी कि वहां पर पी० ए० सी० थी या नहीं थी, पी० ए० सी० थी तो लगा हुआ पेड़ कैसे उखड़े और किसने उखाड़े ? इस मामले में प्रशासनिक पक्ष की भूमिका क्या रही है, कहां-कहां पर उनकी ओर से लैप्सेस रहे हैं, कहां-कहां पर उनकी ओर से शिथिलता बरती गयी है । मैं गोरखपुर के डी० आई० जी० और कमिश्नर इन दोनो की एक संयुक्त जांच कमेटी की घोषणा करता हूं और वह सारे तथ्य सामने आ जायेंगे तो कोई प्रश्न नही उठेगा ।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मजार को तोड़ने की बात क्यों नहीं कही गयी ?

* श्री विनोद मणि–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी बताया कि पीपल के पेड़ उखाड़ने की घटना से विवाद शुरू हुआ । घटना की जड़ संसदीय कार्य मंत्री जी ने पीपल के पेड़ को उखाड़ने को बताया । क्योंकि यह हिन्दुओं के लिए पवित्र था । मैं कहना चाहता हूं कि 20 तारीख को कोई पीपल का पेड़ नहीं काटा

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया । महन्त जी ने 6 तारीख को जाकर कब्रिस्तान की जमीन पर 6 नए पेड़ लगाए । पुराना पीपल का पेड़ सूख गया था, उसकी जगह पर नए पीपल के पेड़ लगाने का काम किया गया इससे विवाद पैदा हुआ । दूसरे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा दूसरे यह जब प्रभारी मंत्री और जिलाधिकारी के द्वारा यह तय कर दिया गया था कि कोई राजनीतिक दल का आदमी वहां नहीं जाएगा तो 10 तारीख को राजनीतिक दल के आदमी को वहां क्यों जाने का मौका दिया गया । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि सांसद घुघली जा रहे थे तो वह रास्ता दूसरा है । पचरुखिया का रास्ता दूसरा है तो उनसे पचरुखिया के लोग कैसे मिले कि आप चलकर देख लीजिए ।

(व्यवधान)

10 तारीख को सांसद जी की उपस्थिति में कब्रिस्तान तोड़ा गया । जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सांसद जी तीनों लोग मिलकर साम्प्रदायिक दगा फैलाना चाहते हैं । पूर्वांचल में सरकार उस दंगे को शह दे रही है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा नहीं हो रही है । यह पहले भी मैंने कह दिया था ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह कुछ कहना चाहते हैं । उनको मैं अगर सुनूंगा तो जयप्रताप सिंह जी को भी सुन लूंगा । लेकिन आप लोग शांति तो बनाएं । इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है । सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और विपक्ष की ओर से नेता विरोधी दल ने अपनी बात रख दी है । अब सारी जानकारी सदन के समक्ष आ गई है ।

[*] कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता विपक्ष ने इस घटना के बारे में ब्यौरे से बताया और संसदीय कार्य मंत्री जी ने जवाब दिया है । मैं उसी संबंध में जानना चाहता हूं कि महन्त आदित्यनाथ जी गोरखपुर के सांसद हैं लेकिन यह घटना महाराजगंज की है और वह वहां के सांसद नहीं हैं और न ही वहां के प्रतिनिधि ही हैं । (व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

अध्यक्ष महोदय, आप सत्ता पक्ष के लोगों को पहले शांत करायें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें और एक साथ न बोलें तो अच्छा रहेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, श्री विनोद मणि जी ने उधर से बताया था कि वहां जाने के दो रास्ते थे लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे तो उधर से महन्त आदित्य नाथ क्यों गये ? वह जान बूझकर उधर से गये थे । इसलिए जब महन्त आदित्य नाथ के खिलाफ धारा 302 का मुकदमा दायर हो गया है तो पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी । उनकी गिरफ्तारी करने के बाद यह जांच करते और निर्दोष होते तो उन्हें छोड़ देते लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है । मान्यवर, महन्त जी को

[*] वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

वहां नहीं जाना चाहिए था । यदि वहां कोई बात थी तो उसे महन्त जी को जिला प्रशासन को बताना चाहिए था और प्रशासन की वहां कार्यवाही करने की जिम्मेदारी थी । यह जिम्मेदारी महन्त जी की नहीं थी कि वह गांव में जाकर देखते कि पेड़ रखे गये हैं की नहीं ?

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा है कि हम समरसता बनाये रखना चाहते हैं तो यह ठीक है लेकिन उसको तोड़ने का काम महन्त आदित्यनाथ जी ने किया है इसलिए उन्हें दफा 302 में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी अभी कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो स्पष्टीकरण मांगा है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि यह गांव क्षेत्र जो है वह गोरखपुर में आना है और वहां के सांसद, महन्त आदित्यनाथ जी हैं उनके क्षेत्र में यह गाव पचरुखिया आता है । मान्यवर, सामान्य प्रक्रिया की बात है कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है, यदि मुकदमा कायम न होता तो वह कहते कि मुकदमा कायम नहीं करते हैं । इसलिए मुकदमा कायम कर दिया गया है और तफसीस में जिसके खिलाफ आयेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भी आभारी हूं कि जिन्होंने बहुत विस्तार से इस घटना को बताया और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस घटना को विस्तार से बताया । सम्पूर्ण सदन को इन दोनों की जानकारियों से अवगत हुआ । सम्पूर्ण सदन की मंशा भी है कि शान्तिपूर्वक यह मसला सुलझा लिया जाय । मैं दो-तीन बातों पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में दो बातें कहीं । पहला यह कि एक निर्णय हुआ माननीय प्रभारी मंत्री जी नेतृत्व में कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति वहां नहीं जायेगा । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि उपरोक्त घटनास्थल पर माननीय सांसद जी गये । वह किसी न किसी राजनैतिक दल के सांसद होंगे । फिर वह गये तो गलत हुआ कि नहीं हुआ ? दूसरा बिन्दु यह है कि निश्चित रूप से वहां अगर पीपल के पेड़ काटे गये तो यह गलत हुआ ।

वहां पर पी० ए० सी० के रहते हुए जैसी जानकारी दी गई कि वहां पर 5 पेड़ लगाये गये, तो क्या मंत्री जी शान्ति बनाये रखने के लिये इसे कोई उचित कदम मानते हैं अगर नहीं मानते हैं तो जिन माननीय सांसद महोदय ने शांति भंग करने की कार्यवाही की, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही कर रही है फिर वहां पर मजार तोड़ी गई । माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही कि यह घटना स्थल जहां कब्रिस्तान है, दो कि० मी० का फासला है । दोनों अलग-अलग घटना है । पीपल के पेड़ काटे गये, मजार तोड़ी गई, पीपल के पेड़ लगाये गये, अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक में यह निर्णय हुआ कि कोई भी राजनैतिक दल वहां नहीं जायेगा, इसके बावजूद भी माननीय सांसद वहां गये । मैं मंत्री जी की ही बात मान लेता हूं कि दो किमी० दूर पर यह घटना हुई वह भी दिन में हुई और एक सिपाही मार दिया गया, उसे गोली लगी । घटना का जो जश्मदीद गवाह है, मुकदमा दर्ज हुआ है 302 का तो उस प्रकरण में सांसद को गिरफ्तार न किये जाने का आप मुझे कोई कानून बता दें । इन सभी बिन्दुओं पर मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री प्रमोद जी ने एक स्पष्ट स्पष्टीकरण चाहा है । जब एक समझौता हो गया था माननीय प्रभारी मंत्री जी ने नेतृत्व में कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति वहां नहीं जायेगा, स्वाभाविक है कि

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

माननीय सांसद किसी पार्टी के सदस्य होंगे, वह समझौता तोड़कर क्यों गये ? माननीय सांसद 6 तारीख को गये और समझौता 7 तारीख को हुआ । समझौता यह हुआ कि कोई नहीं जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

क्या माननीय सांसद 10 तारीख को वहां पर नहीं गये ?

श्री हुकुम सिंह–

6 तारीख को गये उसके बाद 10 तारीख को गये । स्वाभाविक है कि आपकी जिज्ञासा यह जानने की कि जब समझौता 7 तारीख को हो गया तो वे उसके बाद क्यों गये ? मान्यवर, 7 तारीख को समझौता होने के बाद में जो यथास्थिति थी वह नहीं बनी रही । मैंने अपने पहले के बयान में बताया था कि बाहर के कुछ तत्वों ने आकर पेड़ जो लगे हुए थे उनको उखाड़ दिया और जो चबूतरा बना हुआ था उसको भी तोड़ दिया ।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, वहां पर पी० ए० सी० और पुलिस लगी हुई थी वह क्या करती रही जो उनकी मौजूदगी में बाहरी तत्वों ने आकर तोड़-फोड़ किया । क्या आप उन पी० ए० सी० और पुलिस कर्मियों को निलम्बित करेंगे जिनके वहां रहते हुए यह घटना घटित हुई ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 7 तारीख के समझौते के बाद माननीय सांसद जब 10 तारीख को अपने कार्यक्रम में जा रहे थे तो गांव के लोगों ने आकर उनके सामने शिकायत की कि बाहर के कुछ लोग और सारे समझौते के प्रतिकूल पेड़ उखाड़ दिये । धर्मस्थल तोड़ दिया । आप मौके पर चलकर देखिये । मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं जबकि वहां आरोप दल पर भी लगाया गया था ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शिकायत स्पष्ट रूप से की गई थी । 10 तारीख को सांसद जी के सामने कि आप तो वहां बैठे हैं । परम्पराओं और समझौते के बावजूद रात में समाजवादी पार्टी के लोग आये और पेड़ उखाड़ दिये और चबूतरे को तोड़ दिया ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, नितान्त गलत बयानी कर रहे हैं । जबकि वहां पर पी० ए० सी० और पुलिस मौजूद थी वह क्या करती रही ?

(व्यवधान)

यह भा० ज० पा० के लोग हिन्दुत्व की बात कह रहे हैं । वहां कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं । पुलिस पी० ए० सी० के लोग वहां बैठे रहे तो समाजवादी पार्टी के लोग कैसे पहुंच गये ?

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अवधेश प्रसाद–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो गलत बयानी कि है उसे कार्यवाही से निकाला जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है । मुझे भी इस विषय में कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको अन्त में सुन लेंगे । आप लोग कृपया शान्त रहें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें । माननीय बाबूराम जी मैंने माननीय पाल जी को अनुमति दी है । आपके दल के बहुत लोग इस पर बोल चुके हैं । पाल जी कल नहीं थे आज आये हैं । (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आप लोग आपस में तय कर लें कौन बोलेगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

यह सरकार कटघरे में है इसमें आप गिरफ्तारी के आदेश दीजिये, यह सरकार प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है ।

श्री अध्यक्ष–

आप वरिष्ठ हैं अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

माननीय पाल जी को स्पष्टीकरण पूछ लेने दें फिर बाबूराम जी को सुन लिया जायेगा । मैंने पाल जी को सपष्टीकरण की अनुमति दी है उसके बाद आप पूछ लीजियेगा । माननीय ज्ञानेन्द्र सिंह जी का क्षेत्र है इसलिये इनको कुछ कहना होगा तो कह लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे तीनों सवालों का जबाव नहीं आया है इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद कुमार ने सदन का बहिष्कार किया)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, हम इस सदन में किसी भी गम्भीर प्रश्न पर यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि राजनीतिक रूप से कोई उत्तर आये यह सदन निश्चित रूप से सरकार के प्रति जबावदेह है आपने मुझे अवसर दिया है ।

(व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुझे सुन लें मैं भी संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर सुन लूंगा आप विद्वान हैं माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानून राज्य स्थापित करने की बात कहीं है । मैं इस घटनाक्रम में नहीं जाना चाहता हूं कि 6 तारीख को गये या सात तारीख को गये, किसने क्या किया, किसने पीपल के पेड़ काटे हैं ? हम चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

जो लोग साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कदाचित प्रयास करेंगे सरकार उससे सख्ती से निपटेगी ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

कोई भी असामाजिक तत्व चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो अगर साम्प्रदायिक सौहार्द के खिलाफ आचरण करता है तो उसके साथ कार्यवाही की जानी चाहिये । प्रदेश की जनता की भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिये जिन लोगों ने पेड़ काटने की कार्यवाही की तो वहीं दूसरी तरफ साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिये पेड़ लगाने की कार्यवाही करता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय 6 तारीख को समझौता हुआ कि कोई राजनीतिक लोग नहीं जायेंगे । अगर पेड़ कटा तो शासन का दायित्व बनता है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करते । 10 तारीख को जहां पेड़ लगा कब्रिस्तान की क्षतिग्रस्त करने की कार्यवाही की गयी तो कहीं कोई कानून है कि नहीं । मान्यवर यदि इस प्रकार से सांसद ने पी० ए० सी० की अनुमति के बिना पेड़ लगाने की कार्यवाही की है तो उससे पूरी स्थिति विस्फोटक हुई है और जिसका परिणाम यह हुआ कि हत्या हुई । मुख्य मंत्री ने कहा कि पेड़ लगा यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है तो इससे यह साबित हो रहा है कि यह सरकार आर०- एस० एस०, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल जैसे संगठनों के सामने असहाय हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । यह कोई भाषण नहीं हो रहा है । मैंने आपको स्पष्टीकरण के लिये अवसर दिया था ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मदन लाल खुराना जी की क्या परिणिति हुई यह सबको पता है । आज उस घटना में वह पुलिस का कर्मचारी मारा गया और पुलिस ने गोली मारने वाले को गिरफ्तार तक नहीं किया । इसका तात्पर्य यह है कि जो उस स्थिति से जुड़ा हुआ व्यक्ति है चाहे वह हत्यारा हो, दोषी हो .....

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर सरकार कानून का राज स्थापित करना चाहती है तो उसे गिरफ्तार करना होगा ।

श्री बाबू राम यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ और ऋणी हूं कि आपने मुझे समय दिया ।

श्री अध्यक्ष–

हम आपको इनकार नहीं करते हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपकी महती कृपा है । इस प्रकरण पर कल से हम लोग ऊहापोह की स्थिति में हैं । कल भी इसी कारण सदन को स्थगित करना पड़ा और आज भी सुबह से यह प्रकरण चल रहा है । आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां सदन में उपस्थित हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे तीन बिन्दु उभरकर आते हैं । पहला तो यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही उसके हिसाब से सन् 1901 से वहां पर कब्रिस्तान दर्ज है, 98 वर्ष हो गये हैं । वहां पर पीपल का पेड़ नहीं लगा है आर आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद के कहने पर पेड़ लग गया ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से यह आवाज आयी कि–था)

(व्यवधान)

आबकारी मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

यह जो जानकारी दे रहे हैं यह गलत दे रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

यह तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो कह रहे हैं उसके अनुसार कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि पेड़ था और काट दिया । उसके बाद समझौता हुआ कि एक पेड़ लगाया जाय या चार पेड़ लगाये जायं ।

* श्री बाबू राम यादव–

1998 वर्ष में कोई बात नही हुई । 1999 में एक पेड़ लग गया उसके बाद तनाव व्याप्त हो गया । जो प्रभारी मंत्री हैं वे वहां गये । उन्होंने ठीक निर्णय लिया कि कोई राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए । पंचायत हो गई और उसके बाद पी० ए० सी० के सामने क्योंकि पी० ए० सी० वहां लगी है, पेड़ उखाड़ा गया चबूतरा उखाड़ा गया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति बनाये रखिये ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, 1998 वर्ष के बाद जब पीपल का वृक्ष वहां लगा तो प्रशासन ने क्या किया । इससे वहां साम्प्रदायिक तनाव वहां व्याप्त हो गया इसकी जानकारी प्रशासन को शासन को हो गई । माननीय नेता सदन ने यह कहा था कि इस प्रदेश में हम साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ने नहीं देंगे समरसता रखेंगे । इसका पालन अगर हुआ होता तो वहां प्रशासन में बैठे लोग जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक इस पर काबू पा सकते थे । कोई बड़ा झगड़ा नहीं था । लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । वैसे तो माननीय नेता सदन बहुत मजबूत है । भारतीय जनता पार्टी को ठीक करने में लेकिन अधिकारियों के सामने उनकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है । एस० पी० कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? वे आपसे आकर सम्पर्क करते कि हम क्या करें तो वह मामला हल हो जाता । महन्त जी जब जा रहे थे तो वहां समाजवादी पार्टी का धरना चल रहा था तो महन्त जी को उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक सदस्य कोई दूसरा रास्ता नहीं था ।

वहां के अपर पुलिस अधीक्षक ने माननीय सांसद को रोका नहीं माने गोली चली और उसमें एक आरक्षी मारा गया और उसके बाद जैसा कि माननीय प्रमोद जी ने बताया है दिन की घटना है । लेकिन अभी तक एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है । क्या यही समरसता रखेंगे मुख्य मंत्री जी, यही साम्प्रदायिक सौहार्द है, यही समानता है, यही कानून का राज है ?

श्री बाबूराम यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, इसमें गिरफ्तारी हो और कलेक्टर, एस० पी० सस्पेन्ड हों मैं इसकी मांग करता हूं ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, कल से इस माननीय सदन में यह बात चल रही है ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, इनके भाषण से कुछ नहीं होगा । स्पष्ट सी बात है कि वहां पर हत्या हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सबकी बात सुन ली अब उस क्षेत्र के प्रतिनिधि की बात न सुनूं । यह उचित नहीं लगता ।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं कल से ही समय मांग रहा था । आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । मान्यवर, जितना मैं जानता हूं उतना और कोई नहीं जानता क्योंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं ।

मान्यवर, पहली घटना 30 तारीख से शुरू होती है ।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा ।)

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दे दिया है अब उसके बाद इनके भाषण की कोई जरूरत नहीं है । क्या संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य [x x x] है ?

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांति बनायें, व्यवधान मत उत्पन्न करिये ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र एवं श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि आदि सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाते रहे ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(घोर व्यवधान)

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(1 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 1 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2.00 बजे तक बढ़ा दिया । 2.00 बजे डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है । 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री वसीम अहमद, डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री रामेश्वर दयाल सहित समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन की वेल में आ गये ।)

श्री वसीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले हत्यारों को गिरफ्तार करने का निर्देश दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

महराजगंज के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाये । पूरा प्रदेश जल रहा है ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर को सदन त्याग करने हेतु मा० अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

जो वेल में आये हैं वह तीन माननीय सदस्य सदन का त्याग कर दें ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, हत्यारों को गिरफ्तार करो । अगर हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो इसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा । यह प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत है इसलिए फैसला होना चाहिए ।

(तीन सदस्यों द्वारा सदन का त्याग न करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मुझे लग रहा है कि माननीय सदस्य बहुत हल्के ढंग से इस पीठ के द्वारा दी गयी व्यवस्था को ले रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, ऐसा नहीं है, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तीन माननीय सदस्यों के लिए कहा है कि वह सदन का त्याग कर दें । अन्य माननीय सदस्यगण कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

(वेल में आये हुये कई सदस्य नारे लगाते रहे ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । अब मैं नियम 301 की सूचनायें ले रहा हूं । आज दिनांक 12 फरवरी, 1999 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल

9 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयी ।

पहली सूचना श्री अमित अग्रवाल, दूसरी सूचना श्री मोहन सिंह रावत गांववासी, तीसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद, चौथी सूचना श्री दीपलाल भारती, पांचवी सूचना श्री समरपाल सिंह, छठीं सूचना श्री अजय कुमार पोइया एवं सातवीं सूचना श्री भारत सिंह रावत की प्रतीक्षा सूची से डा० धर्मज्ञ मिश्र के स्थान पर ली गई ।

(स्वीकृत सूचनायें सदन की सहमति से पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

मेरठ के ग्राम मामेपुर विकास खण्ड रजपुरा में अल्पसंख्यकों के द्वारा सार्वजनिक मार्ग में गाड़ी गई कब्रों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित अग्रवाल–

[मान्यवर, ग्राम मामेपुर, विकास खण्ड रजपुरा, जिला मेरठ में कुछ ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक मार्ग (चक रोड) के बीच में कब्र बनाए जाने के कारण आम किसानों का रास्ता बन्द हो गया है । किसान खेतों से गन्ना काटकर बुग्गी में उस रास्ते से नहीं ला पा रहे हैं । गांव में तनाव व्याप्त है । प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यकों द्वारा गाड़ी गई कब्रों को नहीं हटाया जा रहा है ।

इस अति लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन में उठाए जाने की अनुमति मैं अध्यक्ष महोदय से चाहता हूं ।]

गढ़वाल एवं जिला मुख्यालय पौड़ी में रांसी खेलकूद स्टेडियम के विस्तार के प्राक्कलन को स्वीकृत कर निर्माण को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

[मान्यवर,

यह अत्यधिक लोक महत्व का विषय है कि गढ़वाल एवं जिला मुख्यालय पौड़ी में रांसी खेलकूद स्टेडियम बनाने का कार्य लगभग 1973 से चल रहा है । परन्तु अभी तक रांसी स्टेडियम का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है । इस सम्बन्ध का प्राक्कल 129.81 लाख रुपये का शासन की स्वीकृत हेतु लम्बित है ।

आपसे अनुरोध है कि रांसी स्टेडियम के विस्तार करने के प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु शासन को निर्देशित करने की कृपा कीजिए ।]

तहसील कार्यालय मऊ जिला चित्रकूट में एक व्यक्ति की हत्या से क्षेत्रीय जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, दिनांक 14-12-98 को तहसील कार्यालय मऊ जिला चित्रकूट में दिनदहाड़े श्री बृजजीवन लाल सिंह पुत्र श्री रमापति निवासी लालता रोड, थाना मऊ, जिला चित्रकूट की हत्या कर दी गयी । हत्यारे पुलिस की आंखों के सामने से भाग गये क्योंकि हत्यारों को थानाध्यक्ष मऊ श्री ए० के० द्विवेदी का संरक्षण प्राप्त था । दिनांक 15-12-98 को मृतक बृजजीवन लाल सिंह के पिता ने विवेचना किसी उच्चाधिकारी से कराये जाने की मांग पुलिस अधीक्षक चित्रकूट से की । मैंने भी पत्रांक 97/वि०मा०/98 दिनांक 23-12-98 के माध्यम से प्रमुख सचिव गृह से विवेचना किसी उच्चाधिकारी से कराये जाने तथा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ए० के० द्विवेदी थानाध्यक्ष मऊ का स्थानान्तरण किए जाने की मांग की थी । श्री ए० के० द्विवेदी ने बृजजीवन लाल सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी इस बारे में बृजजीवन लाल सिंह ने दिनांक 6-11-98 को लिखित रूप से पुलिस अधीक्षक चित्रकूट तथा सभी उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया था । थानाध्यक्ष मऊ ने बृजजीवन लाल सिंह के हत्यारों के खिलाफ नियमानुसार रासुका की कार्यवाही नहीं की है । श्री ए० के० द्विवेदी के काले कारनामों से क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व्याप्त है ।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यानाकर्षित कराये जाने की कृपा करें ।]

जनपद कुशीनगर के गन्ना कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान में हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री दीपलाल भारती–

[मान्यवर,

पूर्वी उ० प्र० के गन्ना बाहुल्य जनपद कुशीनगर (पडरौना) देवरिया की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए अतिलोक महत्व का प्रकरण संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सरकार ने घोषणा गत वर्ष की है कि गन्ना कृषकों का भुगतान स्थानीय बैंकों से किया जावेगा जो जन सुविधा के बजाय जटिल समस्या उत्पन्न हो गयी है । उदाहरण स्वरूप उ० प्र० राज्य चीनी निगम इकाई खड्डा, छितौनी, लक्ष्मीगंज द्वारा गन्ना मूल्य बिचौलिये केन यूनियनों को काफी मात्रा में दी जा चुकी है तथा एडवाइज बैंकों में बन्डलों के रूप में जमा है, परन्तु दो से तीन माह तक कास्तकारों के खातों में गन्ना मूल्य समायोजन कर भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण कृषकों को बच्चों की पढ़ाई, शादी ब्याह, बूढ़े मां-बाप का इलाज तथा सरकारी कर्जे की अदायगी, नहीं हो पा रही है । उसका एक मात्र कारण स्थानीय बैंकों में बढ़े हुए खातों की अपेक्षा कर्मचारी/स्टाफ बहुत ही कम है, जिसके कारण आये दिन कृषकों व बैंक कर्मियों की बीच झड़पें तथा मार पीट हो रही है और इससे जनहित प्रभावित है ।

इस अत्यन्त जनहित की समस्या को उठाते हुए सरकार से मांग करता हूं कि अगर पुनः केन यूनियनों से भुगतान कराने या अपना निजी बैंक खोलने में कोई असुविधा हो रही है तो जिन क्षेत्रों में गन्ना मूल्य, भुगतान समस्या नहीं है, वहां के सेन्ट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का, कोआपरेटिव बैंक के प्रत्येक शाखा में मात्र एक-एक कर्मचारी गन्ना बाहुल्य क्षेत्र के बैंकों में सहयोग हेतु गन्ना भुगतान कराये जाने की त्वरित कार्यवाही के आदेश जारी किये जायें क्योंकि इसी तरह का औचित्य प्रकरण 301 नियम में 24-6-98 में था, जिसका जवाब दिनांक 8-2-99 को माननीय गन्ना विकास मंत्री जी ने भ्रामक तौर पर दिया है ।]

जनपद बागपत में बरनावा से दाहा तथा बिनौली से अमीरनगर सराय मार्गों का नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री समरपाल सिंह–

[मान्यवर,

जनपद बागपत में बरनावा से दाहा मार्ग तथा बिनौली से अमीर नगर सराय मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण वहां इन मार्गों पर यातायात बाधित हो गया । ये मार्ग अत्यन्त व्यस्त होने के कारण स्थानीय जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

तथा जिला प्रशासन से अनेक बार अनुरोध करने के बावजूद उपरोक्त मार्गों का नवीनीकरण/मरम्मत नहीं कराई जा रही है ।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस गंभीर समस्या की तरफ आकर्षित करते हुये तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्रान्तर्गत कस्बा ओल में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया–

[मान्यवर,

आपके माध्यम से लोक महत्व की विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

मथुरा जनपद स्थित गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम–कस्बा ओल में तथा आस-पास की विद्युत स्थिति बहुत ही दयनीय है । 6-6 माह से अधिक हो जाते हैं । विद्युत देखने को लोग तरसते हैं, जन-सामान्य जीवन ठप्प हो गया है । ग्राम ऊंचे टीले पर होने तथा क्षेत्रीय जनता को पेयजल पानी की टंकी से प्राप्त न होकर खारा पानी उपलब्ध हो पाता है जिसके कारण स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है । जनहित में अत्यावश्यक हो गया है कि कस्बा ओल में एक विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना हो, जिससे क्षेत्रीय जनता को विद्युत का लाभ मिल सके तथा अपनी दैनिक परेशानियों से छुटकारा मिलकर जन-जीवन सामान्य होकर विद्युत सुविधा का लाभ प्राप्त कर सके साथ ही सोख एवं धनगांव सब स्टेशन विद्युत को तत्काल चालू करके परह–गोवर्धन एवं रिफाइनरी गेट नं० 9 की विद्युत क्षमता को दूना किया जाय जिससे गोवर्धन क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके । विद्युत से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सके ।

अतः आपके माध्यम से तत्काल कार्यवाही लोक महत्व के प्रश्न पर किये जाने का अनुरोध करता हूं ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल नगरपालिका परिषद् कोटद्वार अन्तर्गत नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की नीति से उत्पन्न जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भारत सिंह रावत–

जनपद गढ़वाल का नगरपालिका परिषद् कोटद्वार बहुत छोटा पर्वतीय नगर है यह नगर आजादी के पूर्व से जबकि नगर भी नहीं थे और नगर पालिका/टाउन एरिया भी नहीं था । तब गांव के रूप में बसा था इसके पश्चात् वर्ष 1933 से 1955 तक खाम स्टेट के अधीन यह भूमि रही और दिनांक 3-2-55 को खाम सुपरिन्टेण्डेन्ट ने इस भूमि को कोटद्वार को नोटीफाइड एरिया कमेटी घोषित होने पर हस्तान्तरित कर दिया ।

माननीय उच्च न्यायाय ने उ० प्र० द्वारा नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने सम्बन्धी एक दिसम्बर, 1999 के शासनादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है ।

कोटद्वार की इस भूमि के रेट भी मेरठ, लखनऊ आदि बड़े शहरों की तरह सर्मिल रेट 750/– निर्धारित किया है जो कि कोटद्वार के गरीब लोगों के द्वारा अदा करना असंभव है । इसका सर्मिल रेट दर अधिक से अधिक 100 या 150/–रु० होना चाहिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चूंकि कोटद्वार क्षेत्र की भूमि गढ़वाल खाम स्टेट की भूमि है । अतः इस भूमि के लिए शासन से अलग शासनादेश जारी करवाकर इस भूमि को कब्जेदारों के नाम नियमित किया जाये तथा कोटद्वार नगरपालिका के अन्तर्गत आम पड़ाव इन्दिरा नगर व अन्य हिस्सों में बसे हुये गरीब नागरिक जिसको सरकार पट्टे प्रदान किये हैं उनका फ्री होल्ड निःशुल्क किया जाय ।

नजूल मैनुअल परिभाषा के अनुसार तरई भाव स्टेट नैनीताल तथा गढ़वाल खाम भावर स्टेट (गढ़वाल) की भूमि नजूल नहीं है ऐसा नजूल रूल्स चैप्टर एक के पैरा–2 व 3 में अंकित है ।

अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार शीघ्र कार्यवाही करने को निर्देशित करें ।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12-2-99 को नियम 300 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनायें अस्वीकृत की जाती हैं । जो माननीय सदस्य चाहें इसे पुनः दे दें ।

विधान सभा के तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश (ग्यारहवां संस्करण) के निदेश संख्या–14(3) के अपेक्षानुसार, वर्ष 1998 के विधान सभा के तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड को वर्ष 1995-96 का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड की वर्ष 1995-96 का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, कम्पनी अधिनियम 1956, की धारा–619–ए की उपधारा–3 (ख) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के कार्य कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 †††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्य-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 को "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

†† छापा नहीं गया ।

††† छापा नहीं गया ।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1993-94†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 1993-94 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1996 की धारा–12 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–23 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति के कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या–

(1) क० सं० वि०–2–2372/ग्यारह–9 (251) 97–उ० प्र० अधि० 15–48 आदेश–98, दिनांक 23 नवम्बर, 1998

(2) क० सं० वि०–2–2373/ग्यारह–9 (251) 97–उ० प्र० अधि० 15–48 आदेश–98, दिनांक 23 नवम्बर, 1998

(3) क० सं० वि०–2–2374/ग्यारह–9 (251) 97–उ० प्र० अधि० 15–48 आदेश–98, दिनांक 23 नवम्बर, 1998

(4) क० सं० वि०–2–2375/ग्यारह–9 (251) 97–उ० प्र० अधि० 15–48 आदेश–98, दिनांक 23 नवम्बर, 1998

(5) क० सं० वि०–2–2376/ग्यारह–9 (251) 97–उ० प्र० अधि० 15–48 आदेश–98, दिनांक 23 नवम्बर, 1998

को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, तथा विज्ञप्ति संख्या–

(1) क० सं० वि०–2–2377/ग्यारह–9 (251) 97–उ० प्र० अधि० 15–48 आदेश–98, दिनांक 23 नवम्बर, 1998

(2) क० सं० वि०–2–2378/ग्यारह–9 (251) 97–उ० प्र० अधि० 15–48 आदेश–98, दिनांक 23 नवम्बर, 1998

को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यू० पी० प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन 1996-97 को कम्पनी अधिनियम, 1996-97 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619–ए की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 9, 10, 11, 12 में कुछ नहीं है ।

(वेल में उपस्थित सदस्य नारे लगाते रहे)

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 में जो सूचनाएं प्राप्त हुई थीं उन्हें नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया था । इनमें से एक सूचना श्री समरपाल सिंह जी की है जिसका चयन किया गया था ।

(श्री समरपाल सिंह जी के खड़े होने लेकिन व्यवधान के कारण अपनी बात न कहने पर)

दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है यह सूचना निरस्त की जाती है ।

तीसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद जी की है । श्री दद्दू प्रसाद जी आप दुबारा इसको दे दें ।

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप किसी दूसरी तिथि को यह सूचनायें दे दें ।

प्रदेश में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिये कीन्टीनेन्टल ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ जिला छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को शीघ्र चालू कराये जाने के संबंध में श्री दद्दू प्रसाद द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

यह चर्चा जारी रहेगी किसी अन्य तिथि को इसके लिये समय निर्धारित कर देंगे ।

आगरा में पेयजल की समस्या को हल करने हेतु यमुना नदी पर बैराज एवं वीयर बनाये जाने के संबंध में श्री केशो मेहरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन

1. श्री केशो मेहरा (अनुपस्थित)

उत्तरांचल क्षेत्र में पानी से चलने वाले घाटों (पनचक्कियों) को लघु उद्योग घोषित कर, उनके समुचित विकास की त्वरित कार्यवाही के संबंध में श्री लाखी राम जोशी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन

2. श्री लाखी राम जोशी (उपस्थित)

श्री अध्यक्ष–

आपको यह संकल्प दुबारा देना पड़ेगा ।

राज्याधीन सेवाओं में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु समयबद्ध एवं स्पष्ट नीति बनाने संबंधी डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन

3. डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी (अनुपस्थित)

प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति संबंधी श्री समरपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प का स्थगन

4. श्री समर पाल सिंह (उपस्थित)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने संकल्प को दुबारा दे दें ।

उत्तर प्रदेश के बहुमुखी विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में वह स्तर पर उद्योग धन्धों की स्थापना के संबंध में श्री गोरखनाथ पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव का स्थगन

5. श्री गोरखनाथ पाण्डेय (उपस्थित)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने संकल्प को दुबारा दे दें ।

मद संख्या–16(1)

वित्तीय वर्ष 1998-99 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या 01 (आबकारी विभाग)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 3,46,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 01–आबकारी विभाग के अन्तर्गत 3,46,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 02 (आवास विभाग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 02–आवास विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 03 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 16,79,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 03–उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 16,79,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या 04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 11,01,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत 11,01,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 05 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 05–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 8,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 05–उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत 8,15,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 54,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 06–उद्योग विभाग हथकरघा उद्योग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 54,53,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,69,87,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 07–उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 1,69,87,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 09 ऊर्जा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 40,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 09–ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 40,00,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विभाग) के अन्तर्गत 16,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक विभाग) के अन्तर्गत 16,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 78,75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 78,75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विभाग) के अन्तर्गत 1,99,66,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,99,66,85,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 8,08,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 8,08,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 24,06,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 15–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 24,06,08,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 16–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 5,75,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत 50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 6,78,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 6,78,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19–कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 2,10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20–कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत 4,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–21–खाद्य एवं रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत 13,62,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21–खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत 13,62,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,93,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 23–गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 2,93,84,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 27,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24–गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 27,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,74,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 7,74,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–26–गृह विभाग (पुलिस)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,60,52,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 1,60,52,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 83,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 83,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 18,54,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 31–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 18,54,06,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 46,64,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) के अन्तर्गत 46,64,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 22,26,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33–चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 22,26,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 10,43,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

(बेल में बैठे हुए विपक्ष के कुछ सदस्यों से जो व्यवधान कर रहे थे) आप न तो तबलची हैं न मदारी हैं । शान्त रहिए ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34–चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 10,43,62,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान उत्पन्न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

विधायक लोग बड़े जिम्मेदार होते हैं लेकिन आप लोगों ने बेशर्मी की हद कर दी ।

अनुदान संख्या–35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 7,71,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 7,71,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मार्शल सबके नाम नोट कर लें जो वेल में बैठे हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,40,85,(00) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 36–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 1,40,85,(00) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–37–नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 49,58,96,(00) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 37–नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 49,58,96,(00) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–38–नागरिक उड्डयन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,34,18,(00) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38–नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 1,34,18,(00) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–39–भाषा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 2,05,(00) रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39–भाषा विभाग के अन्तर्गत 2,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–40–नियोजन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 74,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40–नियोजन विभाग के अन्तर्गत 74,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–41–निर्वाचन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41 –निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 85,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41–निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 85,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–42–न्याय विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 50,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 42–न्याय विभाग के अन्तर्गत 50,26,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 5,93,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत 5,93,52,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–44–पर्यटन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 9,29,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 44–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 9,29,73,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–47–प्राविधिक शिक्षा विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 34,10,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 47–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 34,10,03,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–48–मुस्लिम वक्फ विभाग

ससदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,43,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 1,43,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 57,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49–महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 57,61,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 67,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50–राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 67,33,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 27,12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 51–राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत) के अन्तर्गत 27,12,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य) के अन्तर्गत 8,72,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52–राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य) के अन्तर्गत 8,72,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 93,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 54–लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 93,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 3,97,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55–लोक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 3,97,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 1,57,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56–लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन) के अन्तर्गत 1,57,90,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 37,86,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58–लोक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 37,86,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,97,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59–लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 1,97,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–60–वन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 1,70,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60–वन विभाग के अन्तर्गत 1,70,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 29,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61–वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 29,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 7,47,44,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62–वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 7,47,44,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 63–वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि) के अन्तर्गत 1,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65–वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्पबचत आदि) के अन्तर्गत 1,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66–वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–68–विधान सभा सचिवालय

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68–विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अन्तर्गत 3,67,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70–विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग के अन्तर्गत 3,67,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 5,42,59,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71–शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 5,42,59,74,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,84,33,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72–शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,84,33,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,00,59,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 73–शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत 1,00,59,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75–शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत 15,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4,59,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 4,59,24,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,20,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 2,20,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–78–सचिवालय प्रशासन विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 3,49,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 78–सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 3,49,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 5,63,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 79–समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 5,63,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 7,19,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 7,19,98,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–82–सतर्कता विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,44,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 82–सतर्कता विभाग के अन्तर्गत 1,44,71,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–86–सूचना विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 86–सूचना विभाग के अन्तर्गत 1,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88–संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत 67,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत 15,78,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 89–संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर) के अन्तर्गत 15,78,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

मनोरंजन तथा बाजीकर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 55,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 90–संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत 55,10,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)

स्टाम्प एवं पंजीकरण मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 18,24,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91–संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 18,24,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–92–संस्कृति विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 50,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 92–संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 50,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,44,90,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 93–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 1,44,90,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 21,90,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत 21,90,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–95–उत्तरांचल विकास विभाग

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 64,40,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 95–उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत 64,40,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1998-99 के लिये स्वीकार की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जायं ।

(प्रतियां बांटी गयी)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्डशः विचार

खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999

31 मार्च, 1999 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1 यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) अधिनियम, 1999 कहलायेगा । — संक्षिप्त नाम

2 ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 1999 ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 9981,43,64,000 रुपये (नौ हजार नौ सौ इक्यासी करोड़ तैंतालिस लाख चौसठ हजार मात्र) होता है, अधिक न हो । — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 1998-99 के लिये 9981,43,64,000 रुपये का दिया जाना

3 इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं । — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व	34690	16335	51025
		पूंजी	...	...	...
02	आवास विभाग	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	1000	437100	447100
03	उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	167900	0	167900
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व	54	0	54
		पूंजी	110075	0	110075
05	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	815	0	815
		पूंजी	0	40	40
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व	5453	0	5453
		पूंजी	...	..	...
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम	राजस्व	184553	0	184553
	उद्योग)	पूंजी	1514218	0	1514218
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	400001	0	400001
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1617	0	1617
	(औद्यानिक विकास)	पूंजी	...	...	...
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	657700	0	657700
	(कृषि)	पूंजी	129800	0	129800
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1996685	0	1996685
	(ग्राम्य विकास)	पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची–क्रमशः

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	80843	765	81608
	(पंचायती राज)	पूंजी	...	...	...
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	203786	68	203854
	(पशुधन)	पूंजी	36822	0	36822
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	1000	0	1000
	(दुग्धशाला विकास)	पूंजी	47500	0	47500
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	50	0	50
	(मत्स्य)	पूंजी	...	...	...
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग	राजस्व	27308	35	27343
	(सहकारिता)	पूंजी	40533	0	40533
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा	राजस्व	21000	0	21000
	अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व	400	33401	33801
		पूंजी	...	...	...
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	90182	0	90182
		पूंजी	46050	0	46050
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व	29384	3065	32449
		पूंजी	0	666	666
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	...	...	...
		पूंजी	270000	0	270000
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	77481	50	77531
		पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची–क्रमशः

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	1605224	62395	1667619
		पूंजी	...	...	...
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा	राजस्व	8350	0	8350
	अन्य व्यय)	पूंजी	...	...	...
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा	राजस्व	185406	0	185406
	एवं प्रशिक्षण)	पूंजी	...	...	...
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व	235996	2119	238115
		पूंजी	230427	0	230427
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं	राजस्व	222638	0	222638
	यूनानी चिकित्सा)	पूंजी	...	...	...
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व	104362	0	104362
		पूंजी	...	...	...
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	29520	239	29759
		पूंजी	47676	0	47676
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक	राजस्व	14085	0	14085
	स्वास्थ्य)	पूंजी	...	...	...
37	नगर विकास विभाग	राजस्व	495896	0	495896
		पूंजी	...	...	...
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	7418	0	7418
		पूंजी	6000	0	6000
39	भाषा विभाग	राजस्व	205	0	205
		पूंजी	...	...	...

अनुसूची–क्रमशः

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
40	नियोजन विभाग	राजस्व	7495	0	7495
		पूंजी	...	...	...
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व	8571	0	8571
		पूंजी	...	...	...
42	न्याय विभाग	राजस्व	4136	39000	43136
		पूंजी	890	0	890
43	परिवहन विभाग	राजस्व	452	0	452
		पूंजी	58900	0	58900
44	पर्यटन विभाग	राजस्व	52754	0	52754
		पूंजी	40219	0	40219
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	311889	0	311889
		पूंजी	29114	0	29114
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	1300	0	1300
		पूंजी	13000	0	13000
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व	0	484	484
		पूंजी	5761	0	5761
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2889	0	2889
		पूंजी	3844	0	3844
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत)	राजस्व	271250	0	271250
		पूंजी	...	...	...
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	87259	150	87409
		पूंजी	...	...	...

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची–क्रमशः

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	93000	0	93000
		पूंजी	...	...	...
55	लोक निर्माण विभाग (अनवासिक भवन)	राजस्व	31141	150	31141
		पूंजी	8573	0	8573
56	लोक निर्माण विभाग (आवासीय भवन)	राजस्व	15790	0	15790
		पूंजी	...	...	...
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	2000	0	2000
		पूंजी	358680	0	358680
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व	18746	0	18746
		पूंजी	1033	0	1033
60	वन विभाग	राजस्व	17040	0	17040
		पूंजी	...	...	...
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	2975	2973991	2976966
		पूंजी	0	65619512	65619512
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)	राजस्व	747400	0	747400
		पूंजी	...	...	...
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	15000	0	15000
		पूंजी	...	...	...
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	राजस्व	195	0	195
		पूंजी	...	...	...
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व	500	0	500
		पूंजी	...	...	...

अनुसूची–क्रमशः

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	1	0	1
		पूंजी	...	...	...
70	विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग	राजस्व	141	0	141
		पूंजी	36600	0	36600
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व	5425974	226239	5632213
		पूंजी	...	...	...
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व	1838348	0	1838348
		पूंजी	5000	0	5000
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व	1005994	0	1005994
		पूंजी	...	...	...
75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक	राजस्व	..	...	...
	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	पूंजी	1500	0	1500
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	45924	0	45924
		पूंजी	...	...	...
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	21313	0	21313
		पूंजी	726	0	726
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	34975	0	34975
		पूंजी	...	...	...
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग	राजस्व	56399	0	56399
	पिछड़ा वर्ग कल्याण)	पूंजी	...	...	...
80	समाज कल्याण विभाग (समाज	राजस्व	56496	0	56496
	कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का	पूंजी	15502	0	15502
	कल्याण)				

अनुसूची–क्रमशः

1	2		3		
अनुदान क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
82	सतर्कता विभाग	राजस्व	14471	0	14471
		पूंजी	...	..	...
86	सूचना विभाग	राजस्व	12500	0	12500
		पूंजी	....	..	....
88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	67	0	67
		पूंजी	....	..	....
89	संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार-कर)	राजस्व	157800	422	158222
		पूंजी	....	..	....
90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन	राजस्व	1510	0	1510
	तथा बाजीकर)	पूंजी	....	..	....
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प	राजस्व	182400	0	182400
	एवं पंजीकरण)	पूंजी	....	..	....
92	संस्कृति विभाग	राजस्व	5040	422	. 504(
		पूंजी	....	..	...
93	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	1091262	112	1091374
		पूंजी	357738	..	357738
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	0	72	72
		पूंजी	219002	1428	220430
95	उत्तरांचल विकास विभाग	राजस्व	311019	0	311019
		पूंजी	333075	0	333075
		योग राजस्व	25870517	3338942	29209459
		पूंजी	4546159	66058746	70604905
		योग :	30416676	69397688	99814364

उत्तरांचल विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(वेल में उपस्थित समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1998-99 का अनुपूरक) विधेयक, 1999 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर को सदन के त्याग करने के श्री अध्यक्ष का निर्देश (क्रमागत)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री भीम प्रसाद सोनकर एवं श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि ने अभी तक सदन का त्याग नहीं किया है । कृपया आप लोग तुरन्त सदन का त्याग कर दें ।

(डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री भीम प्रसाद सोनकर एवं श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि द्वारा सदन का त्याग न करने पर)

डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री भीमराव प्रसाद सोनकर को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री कृपया प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299 (3) (ख) के तहत इनके निलम्बन का प्रस्ताव लाएं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर को इस सदन की सेवा से तीन उपवेशन के लिए निलम्बित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि डा० धर्मज्ञ मिश्र, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर को सदन की सेवा से तीन उपवेशनों के लिए निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

जिन सदस्यों को सदन की सेवा से तीन उपवेशनों के लिए निलम्बित किया गया है, कृपया वह तुरन्त सदन का त्याग कर दें । शेष सदस्य अपने-अपने आसन पर जाएं ।

(वेल में उपस्थित सदस्य वेल में ही खड़े रहे एवं अपने-अपने आसन पर नहीं गए)

श्री जोखू लाल यादव स०वि०स० को सदन की सेवा से निलम्बित किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री श्री जोखू लाल यादव के निलम्बन का प्रस्ताव लायें प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299(ख) के तहत ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री जोखू लाल यादव को सदन की सेवा से तीन उपवेशनों के लिए निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री जोखू लाल यादव को सदन की सेवा से तीन उपवेशनों के लिए निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष

मैं चारों निलम्बित सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सदन का त्याग कर दें एवं शेष सदस्य अपने-अपने आसन पर जाएं ।

इसी के साथ ही साथ मैं आपके सामने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299 को पूरा पढ़कर सुनाए देता हूं । ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे ।

(सदन के वेल में खड़े हुए सदस्यों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नियम 299 सदन में शान्ति और व्यवस्था (1) अध्यक्ष व्यवस्था स्थापित रखेंगे और किसी सदस्य को जिनका व्यवहार उनकी राय में अव्यवस्थापूर्ण हो, अथवा अध्यक्ष के प्रति अवज्ञापूर्ण हो, सदन से तुरन्त बाहर चले जाने का निदेश दे सकेंगे और जिस सदस्य को इस प्रकार बाहर चले जाने का निदेश दिया जाय वह तत्काल सभा मण्डप से बाहर चले जायेंगे और उस दिन के उपवेशन के अवशिष्ट समय में अनुपस्थित रहेंगे ।

(2) अध्यक्ष निम्नलिखित दशाओं में किसी सदस्य को इंगित कर सकेंगे ।

(क) यदि उपवेशन (1) के अन्तर्गत बाहर चले जाने का आदेश दिये जाने पर सदस्य उसका पालन न करें, या

(ख) यदि अध्यक्ष उपनियम (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग अपर्याप्त समझें, या

(ग) यदि सदस्य जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बार-बार अव्यवस्थित रीति से बाधा डालें, या

(घ) यदि उनके विरुद्ध इस नियम के अधीन एक ही सत्र में, अनुवर्ती अवसरों पर कार्यवाही करना आवश्यक हो जाय ।

(3) (क) जैसे ही किसी सदस्य को इंगित किया जायेगा, सदन नेता या संसदीय कार्य मंत्री अथवा उसकी अनुपस्थिति में कोई सदस्य तत्काल इस आशय का प्रस्ताव करेंगे कि इंगित सदस्य को सदन की

सेवा से निलम्बित किया जाय और ऐसे प्रस्ताव पर प्रश्न बिना किसी संशोधन या विवाद या स्थगन प्रक्रिया के सदन के समक्ष उपस्थित कर दिया जायेगा ।

(ख) इस प्रकार किसी सदस्य के निलम्बित किये जाने पर पहली बार निलम्बन की अवधि 3 उपवेशनों के लिए होगी, दूसरी बार 7 उपवेशनों के लिए और अनवर्ती अवसरों पर, यदि सदन अन्यथा विनिश्चय न करें, सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए होगी–

परन्तु निलम्बन की कोई कालावधि किसी अवस्था में भी सत्र की अवशिष्ट कालावधि से अधिक न होगी ।

(ग) सदन द्वारा निलम्बित सदस्य बाध्य होंगे कि वे सदन के परिसर का तुरन्त परित्याग करें । किन्तु ऐसा न करने पर और अध्यक्ष द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर कि बल का प्रयोग अनिवार्य हो गया है निलम्बित सदस्य, बिना किसी अग्रेतर प्रस्ताव के सत्र की अवशिष्ट कालावधि के लिए निलम्बित हो जायेंगे ।

(घ) सदन की सेवा से निलम्बित सदस्य, सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वर्जित रहेंगे ।

परन्तु अध्यक्ष किसी निलम्बित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किये जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे ।

(4) सदन किसी समय प्रस्ताव किये जाने पर यह आदेश दे सकेगा कि उपर्युक्त उपनियम (3) कि अधीन दिया गया निलम्बन का कोई दण्ड या उसका असमाप्त भाग निरस्त किया जाय ।

(5) अध्यक्ष को अपने आदेश या सदन के विनिश्चयों को कार्यान्वित करने की पूरी शक्ति होगी और वे कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेंगे या करने का अधिकार दे सकें ।

(6) सदन में घोर अव्यवस्था होने की दशा में अध्यक्ष, किसी उपवेशन को ऐसे समय के लिए जिसे वह निर्धारित करें, निलम्बित कर सकेंगे ।

(घोर व्यवधान)

आप लोग अपने-अपने स्थान पर नहीं जा रहे हैं और व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए हम मद संख्या 21 और 22 को स्थगित करते हैं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाए

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12-2-99 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की श्री प्यारेलाल शर्मा, जिला चिकित्सालय मेरठ में ए० आर० वी० इंजेक्शनों के अभाव में हो रही अकाल मृत्यु तथा नागरिकों के आर्थिक उत्पीड़न के संबंध में है । इसे मैं वक्तव्य हेतु स्वीकार करता हूं ।

दूसरी सूचना श्री अकबर हुसैन की प्रदेश में शस्त्र नवीनीकरण हेतु बढ़ाये गये स्टाम्प शुल्क पर मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद बढ़ी हुई दरों पर स्टाम्प शुल्क लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसे मैं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार करता हूं ।

तीसरी सूचना श्री अजय कुमार पोइया की जनपद मथुरा की सदर तहसील के गोवर्धन ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम भगोसा में भूमि-माफियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसे भी मैं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार करता हूं।

चौथी सूचना श्री राम औतार शाक्य की–प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन वित्तीय वर्ष 1995-96 से 1998-99 के मध्य स्वीकृत प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के निर्माणाधीन अधूरे भवनों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है। इस सूचना पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

पांचवी सूचना डा० राम बाबू हरित की–आगरा महानगर में पेयजल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध कर जन सामान्य की पेयजल समस्या के निराकरण के संबंध में है। इस सूचना पर भी मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

शेष 7 माननीय सदस्यों की सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और दिनांक 16 फरवरी, 1999 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायं 3 बजकर 25 मिनट पर मंगलवार दिनांक 16 फरवरी, 1999 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

12 फरवरी, 1999

प्रेम चन्द्र सक्सेना,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं०–23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 25-26 पर ।)

संलग्नक–क

तालकटोरा पावर हाउस के विक्रय हेतु मै० मेटल स्ट्रेप ट्रेडिंग कारपोरेशन, नई दिल्ली भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा विभिन्न तिथियों में निविदायें खोलने पर आई विभिन्न निविदा का वितरण निम्न प्रकार है :–

खुलने का दिनांक	ठेकेदार का नाम	दरें	टिप्पणी
1	2	3	4
20-8-95	(1) इण्डोडच मैटैलिक थिमीक लि० 303, मीडिया, नारिमन, प्वाइन्ट मुम्बई ।	6,87,74,424/-	
	(2) महावीर प्रसाद एण्ड कं० डब्लू 227, मायापुरी फेज–II नई दिल्ली ।	2,66,00,000/-	
	(3) भारत आयरन स्टोर, 93/1, आशुघोष लेन, हाबड़ा ।	2,00,07,757.97/-/-	
	(4) वी० एम० गुप्ता एण्ड ब्रदर 90/242, इफितखाराबाद, कानपुर ।	1,77,77,777/-	
	(5) संतोष कुमार जैन एण्ड कम्पनी बारीपाड़ा रोड, लोहामण्डी, आगरा ।	11,56,675/-	
	(6) अभय कुमार जैन एण्ड कं० आगरा ।	24,10,210.20/-	
	(7) डिस्पोजल ट्रेनिंग कारपोरेशन 471/51, नाला भीखन खाना, लखनऊ ।	9,65,636.50/-	
	(8) काटर्सस इलेक्ट्रिकल प्रा० लि० 39 जी/103–105, स्काट ट्रेडर्स संजय प्लेस, आगरा ।	4,09,500/-	
26-3-96	(1) मैसर्स महाबीर प्रसाद एण्ड कं० नई दिल्ली ।	3,12,55,556/-	
	(2) पारस दास जैन एण्ड सन्स, लोहा मण्डली, आगरा ।	31,11,111/-	

1	2	3	4
	(3) गोयल एण्ड कं० कानपुर ।		धरोहर राशि न होने से नहीं खोला ।
	(4) सोखी इण्डस्ट्रीज मुम्बई ।		तदैव
	(5) सुमामी मेटस इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० मुम्बई ।	1,07,00,000/-	
30-10-96	(1) इन्टरनेशनल लिंग ट्रेडर्स, 121. आई० आर० मिलिलीयन टेप हाबड़ा ।	3,17,77,777/-	
	(2) अल्फा ट्रेडिंग कं० 98–पीको आपरेटिव इण्डिस्ट्रियल स्टेट डाडानगर, कानपुर ।	3,01,01,101	तदैव
	(3) सोखी इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० मुम्बई ।	तदैव	तदैव
	(4) एस० के० इलेक्ट्रिकल ई०जी० वर्क्स विशाखापट्टनम ।		तदैव
27-1-97			
पुनरीक्षित दरें	(1) इन्टरनेशनल लिंक ट्रेडर्स हाबड़ा।	3,62,00,999/-	
	(2) अल्फा ट्रेडिंग कं० कानपुर ।	3,21,51,000/-	
15-10-97	(1) जी० के० ट्रेडर्स कानपुर ।	2,61,51,000/-	
10-3-98	(1) जी० के० ट्रेडर्स कानपुर ।	281,51,000/-	इनकी भुगतान की शर्त विभाग को मान्य न होने के कारण जनक राज एण्ड कं० को आदेश दिया गया ।
	(2) जनक राज गुप्ता एण्ड कं० सी–2 /8, मायापुरी फेज–II नई दिल्ली ।	3,13,00,000/-	
4-6-98			
पुनरीक्षित दरें	(1) जी०के०ट्रेडर्स कानपुर ।	3,21,00,000/-	
	(2) जनकराज एण्ड कं०, नई दिल्ली ।	3,15,00,000/-	

निविदायें जिनको दी गयी

क्रमांक	निविदा खुलने का दिनांक	ठेकेदार का नाम जिसको दिया गया	दर जिस पर दिया गया	टिप्पणी
1	22-8-95	इण्डोडच थिमीक लि० बम्बई ।	6,87,74,424/-	भुगतान न करने पर धरोहर राशि जप्त कर ली गयी ।
2	26-3-96	मै० महाबीर प्रसाद एण्ड कं० नई दिल्ली ।	3,12,55,556/-	शर्तें मान्य न होने के कारण केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति ने निरस्त कर दिया ।
3	15-10-97	मै० जी०के० ट्रेडर्स कानपुर ।	2,61,51,000/-	अकेली निविदा होने के कारण केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति ने निरस्त कर दिया ।
4	30-12-96	मै० इन्टरनेशनल लिंक ट्रेडर्स ।	3,62,00,999/-	भुगतान न करने पर धरोहर राशि जप्त कर ली गयी ।
5	10-3-98	मै० जनकराज गुप्ता, एण्ड कं० नई दिल्ली ।	3,15,00,000/-	मै० जनकराज गुप्ता एण्ड कं० को आदेश दे दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

देखिये अता० प्र० सं०–55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37-38 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री श्यामदेवराय चौधरी, मा० सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–55 के उत्तरालेख्य का संलग्नक ।

---

(1) जल संस्थान के किनारे शकुलधारा पोखरा से गेट तक क्षतिग्रस्त नाला सुधार कार्य रु० 1,52,080.00

(2) फुलवरिया (लहरतारा) रेलवे क्रासिंग से बौलिया त्रिमुहानी जी० टी० रोड तक नाला निर्माण कार्य रु० 6,29,946.00

(3) शिवपुर वार्ड अन्तर्गत जौनपुर रोड पर रेलवे क्रासिंग से नरायण पार्क तथा नाला निर्माण कार्य रु० 5,43,800.00

(4) ब्रिज इनक्लैव कालोनी से सराय सुर्जन तक नाला निर्माण रु० 4,00,000.00

(5) शिवपुर वार्ड अन्तर्गत जौनपुर रोड पर लालजी कुआं से नार्मल स्कूल होते हुए जौनपुर रोड सेन्ट्रल जेल रोड क्रासिंग तक नाला निर्माण रु० 9,55,650.00

(6) मो० छित्तुपुर से सप्लाई कार्यालय से रेलवे छित्तुर हरिजन बस्ती तक नाला निर्माण कार्य रु० 5,75,295.00

(7) बड़ी गैवी क्रासिंग से कोल्हुआ विनायका मार्ग पर नाले का निर्माण कार्य धनराशि रु० 5,00,000.00

(8) सरायनन्दन सुखनशाह के मकान से बदुआपुरा तक नाला निर्माण रु० 4,35,805.00

(9) कृष्णदेव नगर, आशुतोषनगर में नाली निर्माण रु० 3,83,000.00

(10) पाण्डेयपुर द्वितीय में जल निकासी हेतु भूमिगत नाली निर्माण रु० 2,98,199.00

(11) करमजीतपुर में पुलिया से नेवादा रोड पर पंचकोसी रोड तक नाला निर्माण कार्य धनराशि रु० 6,50,000.00

(12) जय प्रकाश नगर तिराहा से माधोपुर मुख्य मार्ग तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण धनराशि रु० 5,00,000.00

(13) रेलवे नाला भ० सं० डी० 59/277 से मो० पचपेड़वा होते हुए अल्मूनियम फैक्ट्री तक नाला निर्माण रु० 8,00,000.00

(14) सरसौली से तहसील कार्यालय तक भूमिगत नाला निर्माण रु० 7,00,000.00

अनुसूची 'ग'

(देखिये अता० प्र० सं०–60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39-40 पर)

सूची (अ)

क्र०सं०	सदस्यता संख्या	सदस्यता का दिनांक	नाम	भूखण्ड संख्या	फेज सं०	दिनांक अग्रिम 7000/–	आवंटन की तिथि
1	562	31-5-70	श्री जगदीश खट्टर	287	I	20-5-74	27-10-87
2	1059	27-1-94	श्री दीपक सिंघल	282	I	01-6-84	,,
3	884	5-11-76	श्री एम०एल० गोयल	278	I	10-9-84	,,
4	1045	20-10-82	श्री घनश्याम पन्त	296	I	01-1-85	,,
5	1091	16-5-85	श्री आर०सी० गुजराल	291	I	05-8-85	,,
6	1109	17-12-85	श्री बी०एन०तिवारी	284	I	18-12-85	,,
7	1066	30-5-84	श्रीमती एस० थपलियाल	294	I	02-1-86	,,
8	1116	04-3-86	श्री पी०के० मिश्रा	283	I	04-3-86	,,
9	1117	04-3-86	श्री वी० आनन्द	286	I	04-3-86	,,
10	1118	18-3-86	श्री ए०के० खुराना	285	I	26-6-86	,,
11	1125	16-7-87	श्री एम०एल० शाह	292	I	05-8-86	,,
12	1063	02-6-84	श्री एम०एम० उपाध्याय	280	I	19-9-86	,,
13	1043	30-4-82	श्री एम०एस० खाटी	293	I	20-11-86	,,
14	1975	02-7-84	श्री बी०के० बहुगुणा	281	I	20-11-86	,,
15	974	31-3-78	श्री एस० गिलडियाल	290	I	11-2-87	,,
16	1128	20-11-86	डा०(श्रीमती) एम० डबराल	295	I	10-2-87	,,
17	898	05-11-76	श्री जे०एस० नेगी	279	I	21-2-87	,,
18	1132	23-12-86	श्री प्रताप सिंह	289	I	24-3-87	,,
19	1133	25-12-86	श्री यू०डी० चौबे	288	I	24-3-87	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–76 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46-47पर

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग,

लखनऊ

दिव्य प्रतिक दिनांक : 2 मार्च, 1990

सं० 447जीए/राविप–12/90-5जी ए/90)

(1) समस्त मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० रा० वि० प० ।

(2) समस्त महाप्रबन्धक, उ० प्र० रा० वि० प० ।

(3) समस्त मुख्य परियोजना प्रबन्धक, उ० प्र० रा० वि० प० ।

विषय : मितव्ययता–यात्रा भत्तों के व्यय में मितव्ययता ।

महोदय,

परिषद् ने अपने अधिकारियों/अधिकारिकों को अनुमन्य यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आउट आफ पाकेट भत्ता आदि की दरों का पुनरीक्षण करते हुये दिनांक 1 अक्टूबर, 1989 से विभिन्न वर्गों के अपने सेवकों द्वारा परिषदीय कार्य हित में की जाने वाली यात्राओं पर यात्रा भत्ता आदि के भुगतान किये जाने की दरें निर्धारित करते हुये परिषद् आदेश सं० 482 पीएफपी/राविप–उनतीस-चौदह-पीएफपी/88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 द्वारा निर्गत किये हैं । परिषद् की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये इन आदेशों के तारतम्य में, यात्रा भत्तों में मितव्ययता बरतने के लिये मुझे निम्नलिखित प्रशासनिक आदेश निर्गत करने के निर्देश हुए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू किये जायें :–

(1) समस्त कार्यालयों में नियुक्त/तैनात सम्बद्ध अधिकारी/कर्मचारी कोई भी यात्रा कार्यालय प्रधान (हेड आफिस) की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेंगे ।

(2) समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपने भौगोलिक कार्यक्षेत्र से बाहर की गयी यात्राओं को "प्रदेश से बाहर की गयी यात्रा" (आउट औफ स्टेट जर्नी) के समकक्ष माना जायेगा और यह मुख्य अभिन्ता, स्तर–I/स्तर–II (जैसी स्थिति को) की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं की जा सकेगी । ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से बार-बार दो निश्चित स्थानों के मध्य यात्रा करना कार्यहित में आवश्यक है उनके संबंध में संबंधित मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/(स्तर–II) विशेष अनुज्ञा सामान्य आदेश करके अनुमोदित कर सकते हैं, प्रतिबन्ध यह सदैव रहेगा कि संबंधित मुख्य अभियन्ता अपने स्तर पर इस प्रकार की यात्राओं के अनुमोदन का सम्पूर्ण लेखा-जोखा, उसके वित्तीय भार सहित रखेंगे और उसका विवरण अपने से उच्च अधिकारी (नेक्स्ट हायर आथारिटी) को हर तिमाही निम्न तालिका अनुसार प्रस्तुत करेंगे :–

क्रम सं०	संवर्ग (यात्रा भत्तों के आधार पर श्रेणी वर्गीकरण I. विशेष श्रेणी II. प्रथम श्रेणी III. द्वितीय श्रेणी IV. तृतीय श्रेणी V. चतुर्थ श्रेणी	कुल अधिकारी/ कर्मचारी जिन्हें स्वीकृती दी गई	अनुमानित व्यय जो किया गया
1	2	3	4

(3) खण्डीय लेखाकार एवं अन्य अधिकारी जिन्हें यात्रा भत्ता बीजक की जांच करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, वे यात्रा बीजक भुगतान करने हेतु अधिकृत (पास फार मेमेण्ट) करने के पूर्व उपरोक्त

आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बरतने के कारण परिषद् को होने वाली वित्तीय हानि के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

(4) उप खण्ड अधिकारी अपने अन्तर्गत कार्यरत परिचालन संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा की गई यात्राओं एवं यात्रा बीजक पर प्रभावी नियंत्रण रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जो यात्रायें कर्मचारियों द्वारा ब्रेक डाउन/शिकायतें दूर करने हेतु की जाती है, वह कम से कम हैं और केवल उतने ही कर्मचारी इस हेतु जायें जिसकी वास्तविक आवश्यकता है । अवर अभियन्ता इस प्रकार का विवरण सब-स्टेशन पर एक रजिस्टर (मोवमेण्ट रजिस्टर) में अंकित करके सत्यापित करें एवं की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा दूरी, समय, यात्रा का प्रकार (मोड आफ जर्नी)) एवं फ्रीक्वेंसी आफ जर्नी, का भी उल्लेख करना सुनिश्चित करेंगे । इन आदेशों के संदर्भ में कोई शिथिलता अथवा मिथ्या विवरण (फाल्सिटी एण्ड लैक्सिटी) पाये जाने पर संबंधित अवर अभियन्ता को व्यक्तिगत रूप से दोषी माना जायेगा और वह दण्ड के भागी होंगे ।

(3) स्टाफ कार/जीप द्वारा अधीक्षण अभियन्ता एवं उनसे निम्न स्तर के अधिकारी केवल अपने भौगोलिक कार्य क्षेत्र में कार्यों के सम्पादन हेतु ही यात्रा करेंगे । कार्यक्षेत्र से बाहर की समस्त यात्रायें केवल सार्वजनिक यात्रा माध्यम (पब्लिक मोड आफ ट्रांसपोर्ट विथ रेल बस) द्वारा ही निस्तारित की जायेगी । विशेष परिस्थितियों में कार्यक्षेत्र से बाहर की यात्रा संबंधित अधिकारी द्वारा अपनी स्टाफ कार/जीप से केवल मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(स्तर–II) की पूर्व अनुमति से की जा सकती है, जिसके लिये संबंधित मुख्य अभियन्ता उत्तरदायी होंगे तथा अनुमति प्रदान करते समय विशेष परिस्थिति का स्पष्ट उल्लेख करेंगे जिसका सम्पूर्ण विवरण त्रैमासिक रूप से अपने उच्चधिकारी को भेजेंगे । किसी एक कार्यालय से यदि एक से अधिक अधिकारी एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो एक ही वाहन का प्रयोग किया जायेगा ।

परिषद् की वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुये प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी अपने अधीनस्थ क्षेत्र में सम्पूर्ण (ओवर आल) वाहनों के रखरखाव और यात्रा भत्ता के मद में कम से कम 20 प्रतिशत व्यय की कमी सुनिश्चित करेंगे जिसका त्रैमासिक परीक्षण किया जायेगा । मुख्य अभियन्ता (स्तर–I)/(विवरण)/(पारेषण)/महाप्रबन्धक अपने अधीनस्थ इकाईयों में की गयी मितव्ययता के संबंध में त्रैमासिक आख्या, आंकड़ों सहित दर्शाते हुए प्रत्येक जनवरी, अप्रैल, जुलाई, एवं अक्टूबर मास की दस तारीख तक परिषद् को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

भवदीय,
शरत चन्द्र रस्तोगी,
संयुक्त सचिव ।

सं० 447(1)जीए/रविप–12/99/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० रविप, लखनऊ ।
2–मुख्य सम्प्रेक्षा अधिकारी, उ० प्र० रविप, लखनऊ ।
3–लेखाधिकारी (पी० एण्ड० ए०) उ० प्र० रविप, लखनऊ ।
4–समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ० प्र० रविप ।
5–समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० रविप ।
6–मुख्यालय के समस्त अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक ।
7–अभिलेख पत्रावली ।
8–समस्त मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० रविप ।

परिशिष्ट ''ङ''

(देखिये अता० प्र० सं० 132 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66-67 पर)

संलग्नक–क

श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया तथा श्री हरदेव सिंह द्वारा विधान सभा के पंचम सत्र, 1998 के पहले शुक्रवार के लिये पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–132 के उत्तरालेख में संदर्भित संलग्नक ''क''

1. शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार के निर्माण में सूचित की गयी रु० 8.57 करोड़ की राशि का विवरण निम्नवत् है :–

(क) शक्ति भवन (मुख्यालय) दायां विंग तथा सेन्ट्रल कोर	रु०	45.13 लाख
(ख) शक्ति भवन वांया विंग	रु०	44.87 लाख
(ग) शक्ति भवन (विस्तार)		
(1) सिविल कार्य	रु०	472.58 लाख
(2) एलीवेटर, ए० सी०, विद्युत एवं यांत्रिक कार्य	रु०	112.71 लाख
(3) फायर फाइटिंग सिस्टम	रु०	20.90 लाख
(4) टेलीफोन सिस्टम	रु०	106.58 लाख
(5) फर्निशिंग कार्य	रु०	54.62 लाख
कुल	रु०	857.48 लाख

2. शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार की मरम्मत एवं परिचालन पर वर्ष 1993-94 में व्यय के संबंध में सूचित की गयी रु० 33.51 लाख की राशि का विवरण :–

(क) <u>शक्ति भवन मुख्यालय</u>		
(1) भवन का अनुरक्षण कार्य (सैनीटेशन, विद्युत, सिविल कार्य)	रु०	5.19 लाख
(2) लिफ्ट	रु०	0.70 लाख
(3) वातानुकूलन संयंत्रों का अनुरक्षण	रु०	3.76 लाख
(ख) <u>शक्ति भवन विस्तार</u>		
(1) भवन अनुरक्षण कार्य (सैनीटेशन, सिविल कार्य विद्युत मरम्मत संबंधी, अग्नि सुरक्षा)	रु०	10.23 लाख
(2) लिफ्ट	रु०	2.25 लाख
(3) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	रु०	4.00 लाख
(4) वातानुकूलन संयंत्रों का अनुरक्षण	रु०	7.38 लाख
कुल	रु०	33.51 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अता० प्र० सं० 1041 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 99 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–160 के उत्तर का संलग्नक मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) (विद्युत एवं यान्त्रिकी) (दिनांक 15-1-99 को)

क्रम सं०	नाम (अभिज्ञान सं०)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	चयन का दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	नरेन्द्र कुमार भार्गव (61033)	मुख्य अभियन्ता तापीय परिकल्पन एवम् अभियन्त्रण	17-08-93
2	निरंजन दयाल गुप्ता (62002)	मुख्य अभियन्ता, पारेषण, लखनऊ	14-08-97
3	ओम प्रकाश बहुगुणा (62007)	महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, देहरादून	27-12-95
4	दिनेश चन्द्र वार्ष्णेय (62012)	मुख्य अभियन्ता (जांच समिति) (द्वितीय), लखनऊ	27-12-95
5	विनोद कुमार मिश्र (62023)	मुख्य अभियन्ता, तापीय अनुश्रवण लखनऊ	14-08-97
6	हरि शंकर तिवारी (62029)	महाप्रबन्धक, पारीक्षा परियोजना	11-12-98
7	अब्दुल बहाब अन्सारी (62037)	मु० अ०, नियोजन, लखनऊ	14-8-97
8	शिव कुमार मित्तल (62055)	मु० अ० (वितरण), उत्तरांचल, देहरादून	04-05-98
9	अरुण कुमार पन्त–प्रथम (63025)	मु० अ० सम्बद्ध सदस्य (उत्पादन)	11-12-98
10	रमेश चन्द्र भाटिया (63028)	मु० अ०, रेस्पो, लखनऊ	04-05-98
11	अजय सिंह (63029)	महाप्रबन्धक, केसा, कानपुर	04-05-98
12	ओंकार नाथ मिश्र–प्रथम (63032)	मु० अ० (वाणिज्य), लखनऊ	04-05-98
13	रामेश्वर दयाल गुप्ता (63036)	मु० अ० (सा०/प्र०), लखनऊ	04-05-98

1	2	3	4
14	अशोक कुमार हांगल (63037)	महाप्रबन्धक, लेसा, लखनऊ	14-08-97
15	धर्मवीर सिंह (63045)	महाप्रबन्धक, आनपारा परियोजना	04-05-98
16	मो० यहिया अन्सारी (63053)	मु० अ०, (जांच समिति–प्रथम,लखनऊ	04-05-98
17	रमेश चन्द्र बत्रा (63057)	मु० अ०, सम्बद्ध सदस्य (उत्पादन) नोएडा	04-05-98
18	श्याम सुन्दर बिरमानी (63059)	महाप्रबन्धक, जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून	04-05-98
19	सुभाष चन्द्र निगम (63065)	महाप्रबन्दाक, टाण्डा परियोजना	04-05-98
20	परशुराम सिंह (63076)	सचिव, रा० वि० प०, लखनऊ	11-11-98
21	विनोद कुमार शुक्ला (63087)	महाप्रबन्धक, ओवरा	11-12-98
22	राधेश्याम अग्रवाल (64003)	मु० अ०, वितरण, पश्चिमांचल, मेरठ	11-12-98
23	लाला रुक्मिणी रमन अग्रवाल (64002)	अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ	11-12-98
24	सतीश चन्द्र अग्रवाल (64028)	मु० अ० (पारेषण-परिकल्पना), लखनऊ	11-12-98
25	भुवन चन्द्र पाण्डेय (64019)	मु० अ० (वितरण), पूर्वांन्चल, वाराणसी	11-12-98
26	देवी दयाल शर्मा (64041)	मु० अ० (वाणिज्य), द्वितीय, लखनऊ	11-12-98

विधान सभा के प्रथम सत्र 99 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अता० प्र० सं०–160 के उत्तर का संलग्नक मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) विद्युत एवं यान्त्रिकी) (दिनांक 15-1-99 को)

क्र० सं०	नाम (अभिज्ञान सं०)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	चयन का दिनांक
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1	शिव प्रसाद पाण्डेय (63067)	महानिदेशक, ऊर्जा क्रय अनुबन्ध निदेशालय, लखनऊ	27-08-97
2	वेद प्रकाश चावला (64054)	मु० अ० ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग इकाई, लखनऊ	27-09-97
3	राम सरन (64043)	तापीय परिकल्पना एवं अभियंत्रण लखनऊ	27-08-97
4	शिव भजन सिंह गौर (64044)	लेसा, लखनऊ	27-08-97
5	रवीन्द्र कुमार जैन (63068)	जल विद्युत परियोजनाए, देहरादून	27-08-98
6	ओंकार नाथ मिश्र द्वितीय (64035)	उपमहाप्रबन्धक, आनपारा	27-06-98
7	मगन सिंह (64012)	मु० क्षे० अ०, नैनीताल	27-06-98
8	रवीन्द्र प्रकाश आर्य (64027)	सम्बद्ध मु० अ० (वि०) मध्यांचल, लखनऊ	27-06-98
9	सुरेश सिंह (64033)	मु० क्षे० अ०, वाराणसी	27-08-98
10	राम कुमार गुप्ता (64056)	मु० क्षे० अ०, देहरादून	27-06-98
11	चौधरी बाबू राम (64034)	सम्बद्ध मु० अ० (वितरण) पूर्वान्चल, वाराणसी	27-06-98
12	श्री कान्त गर्ग (64050)	मु० क्षे० अ०, झांसी	27-06-98
13	इन्दर लाल राठी (64049)	जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून	27-06-98
14	हरि कृष्ण दत्त शर्मा (64010)	प्रमुख निदेशक, स्टाफ कालेज, देहरादून	27-06-98
15	ज्ञान चन्द्र अग्रवाल (64011)	इक्वेटर, लखनऊ	27-06-98
16	श्याम सुन्दर (64047)	महाप्रबन्धक, हरदुआगंज परि०	27-06-98
17	राज कुमार अग्रवाल–प्रथम (64016) निलम्बित)	सम्बद्ध मु० अ० (वितरण), मध्यांचल, लखनऊ	27-06-98
18	जितेन्द्र कुमार माथुर (64057)	सम्बद्ध सदस्य (वितरण), लखनऊ	27-06-98
19	अजीत कुमार खरे (64052)	मु० क्षे० अ०, गोरखपुर	27-06-98

1	2	3	4
20	महेन्द्र कुमार अग्रवाल (64063)	जल विद्युत परियोजनाएं, देहरादून	27-06-98
21	हरिश्चन्द्र अग्रवाल (64064)	मु० क्षे० अ०, कानपुर	27-06-98
22	रवीन्द्र नाथ बरतरिया (64067)	महाप्रबन्धक, जल विद्युत परियोजना देहरादून	27-06-98
23	डा० रमापति दुबे (65001)	अपर सचिव–द्वितीय परिषद् सचिवालय, लखनऊ	27-06-98
24	सतेन्द्र नाथ मिश्र (65004)	अपर सचिव–प्रथम परिषद सचिवालय, लखनऊ	27-06-98
25	ज्ञान देव गुप्ता (65007)	मु० क्षे० अ०, इलाहाबाद	27-06-98
26	उदय वीर सिंह–द्वितीय (65008)	उपमहाप्रबन्धक, ओबरा	27-06-98
27	योगेन्द्र सिंह जादौन (65017)	सं सदस्य (पारेषण)	27-06-98
28	सुरेन्द्र कुमार दीक्षित (63033)	महाप्रबन्धक, पनकी	11-12-98
29	ध्रुव कुमार माथुर (63044)	सं० मु० अ० (वितरण), उत्तरांचल देहरादून	11-12-98
30	सुरेन्द्र सक्सेना (65015)	मु० अ० एवं भण्डार नियंत्रक, लखनऊ	11-12-98
31	विजय प्रकाश प्रथम (65017)	मु० क्षे० अ०, आगरा	11-12-98
32	वीरेन्द्र कुमार ओझा (65019)	मु० अ०, ए० पी० टी० पी०, लखनऊ	11-12-98
33	रमेश चन्द्र–प्रथम (65020)	उप महाप्रबन्धक, ओबरा	11-12-98
34	कृष्ण स्वरूप शर्मा (65025)	सं० मु० अ० (जल विद्युत) लखनऊ	11-12-98
35	प्रेम प्रकाश रस्तोगी (65027)	सं० मु०, पा० पू०, इलाहाबाद	11-12-98
36	गिरीश (65029)	उप महाप्रबन्धक, ओबरा	11-12-98
37	मदन मोहन सिंघल (65032)	सम्बद्ध मु० अ०, (सामग्री प्रबन्ध), लखनऊ	11-12-98
38	राज नारायण मिश्र (65035)	सम्बद्ध महाप्रबन्धक, केसा, कानपुर	11-12-98
39	कु० चित्रा मुखर्जी (65036)	सम्बद्ध अध्यक्ष, रा० वि० प०, लखनऊ	11-12-98
40	राम जी (67133)	सम्बद्ध मु० अ० (वि०) मध्यांचल, लखनऊ	27-06-98
41	धर्मदास पासवान (67136)	सम्बद्ध मु० अ०, (जल विद्युत)	27-06-98

पी०एस०यू०पी०–एल० 130 विधान सभा (246)–1999–813 (डी०टी०पी०) ।